हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 मार्च, 2008

खण्ड 1, अंक 16

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY

विषय सूची

शुक्रवार, 28 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(16)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(16)21
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
नियम 64 के अधीन वक्तव्य	(16)22
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(16)25
वाक-आउट	(16)29
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(16)30
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(16)30
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(16)30
विधान सभा की समितियों की रिपोर्टस पेश करना–	(16)32
(i) कमेटी ऑन सुबोर्डिनेट लैजिशलेशन की 37वीं रिपोर्ट	
(ii) कमेटी ऑन गवर्नमैंट अश्योरैंस की 37वीं रिपोर्ट	
(iii) कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंटस की 62वीं रिपोर्ट	
(iv) कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 54वीं रिपोर्ट	
(v) कमेटी ऑन एस्टीमेटस की 37वीं रिपोर्ट	
(vi) कमेटी ऑन दि वैल्फेयर ऑफ शिडयूल्ड कास्टस, शिडयूल्ड ट्राईब्ज एंड बैकवर्ड क्लॉसिज की 31वीं रिपोर्ट	
(vii) कमेटी ऑफ हरियाणा विधान सभा टू एग्जामिन दि किगर्ज ऑफ वेवड लौन्ज ऑफ फारमर्स इन हरियाणा की रिपोर्ट	

मूल्य : 148

हरियाणा के किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़ों की जांच के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा	(16)34
सदस्य का नाम लेना	(16)44
सदस्य का नाम लेने के निर्णय को रद्द करना	(16)44
हरियाणा के किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़ों की जांच के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(16)47
बैठक का स्थगन	(16)49
हरियाणा के किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़ों की जांच के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(16)50
बैठक का स्थगन	(16)51
वाक-आउट	(16)51
हरियाणा के किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़ों की जांच के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(16)53
विधान कार्य–	(16)63
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2008	
दि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन बिल, 2008	
दि हरियाणा लैजीस्लेटिव असैम्बली (फैसीलिटीज टु मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2008	
दि हरियाणा लैजीस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन आफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 2008	
गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलोजी हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
दि हरियाणा लैजीस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स सेलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
दि हरियाणा सेलरीज एंड अलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
दि हरियाणा लैजीस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन आफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल, 2008	
पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज रोहतक बिल, 2008	
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(16)97

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 28 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्स, अब सवाल होंगे।

Upgradation of 33 K.V. Sub-Station at Urlana Kalan

***990. Smt. Parsanni Devi :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the existing 33 KV Sub-Station at Urlana Kalan in district Panipat to 66 KV Sub-Station ; if so, the time by which the said Sub-Station is likely to be upgraded ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, there is no proposal to upgrade the existing 33 KV Sub-Station at Urlana Kalan to 66 KV Sub-Station. Speaker Sir, however, I want to inform the Hon'ble Member that we have added an additional transformer on 23rd November, 2007 on this Sub-Station at a cost of Rs. 1.5 crore.

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, उरलाना कलां, अहर और कुराणा इन तीनों गांवों में 33 के०वी० के सब-स्टेशंज हैं जिससे बिजली की सप्लाई की बहुत दिक्कत रहती है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या इन तीनों गांवों में से किसी सब-स्टेशन को अपग्रेड करने का सरकार का कोई विचार है। अध्यक्ष महोदय, सीख पाथरी गांव बिल्कुल बोर्डर पर है। 7 जनवरी, 2006 को मुख्यमंत्री महोदय इस गांव में गए थे और लोगों ने उनसे यहां सब-स्टेशन की मांग भी की थी। लोगों ने इसके लिए रैजोल्यूशन भी भेजा हुआ है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि सरकार इस सब-स्टेशन को कब तक बना देगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने 2 प्रश्न पूछे हैं। एक तो एडीशनल ट्रांसफार्मर जिसकी मैंने चर्चा की है वह हमने लगाया है। इसके अलावा 33 के०वी० का सब-स्टेशन ब्राह्मण माजरा में और एक 33 के०वी० का सब-स्टेशन डाहर में बना रहे हैं। इसके बनने से पूरे इलाके को फर्दर रिलीफ हो जाएगा। जहां तक माननीय सदस्या ने सीख पाथरी गांव के बारे में कहा है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये बहुत सीनियर सदस्या हैं इसलिए इसके बारे में ये लिखकर भिजवा दें। सरकार इस पर अवश्य

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

ही साकारात्मक रूप से विचार करेगी। हम लिखकर विभाग को भी कहेंगे और पूरे लाट की जांच करके अगर जरूरत है तो इस सब-स्टेशन को अवश्य बनाएंगे।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि ब्राह्मण माजरा तो इस एरिये से बहुत दूर है, उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने उरलाना कलां, अहर और कुराणा में 33 के०वी० सब-स्टेशन को अपग्रेड करने की बात की है तो मैं कहना चाहूंगी कि इसराना से पहले कोई सब-स्टेशन अपग्रेड हुआ नहीं है। इन तीनों गांवों में से किसी भी जगह 133 के०वी० का सब-स्टेशन जहां बन सकता हो क्या वहां पर बनाने की कृपा करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पानीपत का काफी इलाका माननीय सदस्या श्रीमती प्रसन्नी देवी जी की कांस्टीच्युंसी में पड़ता है। हमने पानीपत में काफी सब-स्टेशनों को इन्हीं दिनों में मौजूदा सरकार में आगुमैंट किया है। मैं बताना चाहूंगा कि नौलथा के 33 के०वी० सब-स्टेशन पर 3 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर 21 जून, 2005 को 20 लाख रुपये की लागत से आगुमैंट किया है। नौलथा हल्के में एक और 33 के०वी० सब-स्टेशन पर 3 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकार 40 लाख रुपये की लागत से 14 जून, 2006 को आगुमैंट किया है। नौलथा हल्के में ही एक और सब-स्टेशन पर 1.7 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर 40 लाख रुपये की लागत से 23 जुलाई, 2006 को आगुमैंट किया है। इसके अलावा सिवाह में 33 के०वी० सब-स्टेशन पर 8 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर 28 लाख रुपये की लागत से दिसम्बर, 2005 को आगुमैंट किया है। बापौली में 33 के०वी० सब-स्टेशन पर 35 लाख रुपये की लागत से 5 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर आगुमैंट किया है। इसके अलावा हमने मतलौडा में 132 के०वी० सब-स्टेशन पर 25 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर 185 लाख रुपये की लागत से 15 सितम्बर, 2005 को आगुमैंट किया है। छाजपुर में 132 के०वी० सब स्टेशज पर 113 लाख रुपये की लागत से 16 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर 30 सितम्बर, 2005 को आगुमैंट किया है। मतलौडा में 132 के०वी० के एक और सब-स्टेशन पर 25 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर लगभग 200 लाख रुपये की लागत से 23 नवम्बर, 2007 को आगुमैंट किया है। अध्यक्ष महोदय, इनके यहां लोड लगातार बढ़ रहा है इसलिए हमने इनके इलाके में इतने ज्यादा सब-स्टेशनंज की आगुमैंटेशन की है क्योंकि पानीपत लगातार इंडस्ट्रीज और कृषि दोनों क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। इस प्रकार आगुमैंटेशन की बहुत लम्बी लिस्ट है और अगर माननीय सदस्या हमें और भी सब-स्टेशनों की अगुमैंटेशन के लिए लिखकर देंगी तो हम उस पर पोजीटिवली विचार करेंगे।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तावडू क्षेत्र के लोग टोटली ट्यूबवैल्ज पर निर्भर करते हैं और वहां पर 66 के०वी० का सब-स्टेशन है। जब सारी लाईनें शुरू हो जाती हैं तो लोड की कमी की वजह से वहां ट्रीप्रिंग बहुत ज्यादा होती है। क्या मंत्री जी तावडू के 66 के०वी० के सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का पृथक प्रश्न है। माननीय साथी ने जो चिंता जाहिर की है इस बारे में वे लिखकर भिजवा दें। उसके बाद मैं अपने विभागीय अधिकारियों को आदेश दूंगा कि वे इसको चैक करें और वाकई में इनकी प्रोब्लम सही है तो उसकी कैपेसिटी जरूर बढ़वाई जायेगी।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रादौर हल्के में किसी सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने या नया सब-स्टेशन लगाने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का पृथक प्रश्न है। इस समय मेरे पास हल्कावाईज डिटेल्ज नहीं हैं। ये इस बारे में लिखकर जवाब मांग लें, इनका लिखित में जवाब दे दिया जायेगा कि इनके हल्के में अब तक क्या-क्या कार्य किए गए हैं और अगले दो साल के दौरान क्या-क्या कार्य करने का प्लान है? हमने माननीय सदस्य के हलके में काफी व्यापक आगुमैंटेशन की है फिर भी मैं माननीय सदस्य की और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले तीन साल के दौरान पूरे प्रदेश में 68 नये सब-स्टेशंज लगाये हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जिनमें 220 के०वी० के 3 सब-स्टेशंज 58.2 करोड़ रुपये की लागत से, 132 के०वी० के 8 सब-स्टेशंज 47.94 करोड़ रुपये की लागत से, 66 के०वी० के 11 सब-स्टेशंज 34.48 करोड़ रुपये की लागत से और 33 के०वी० के 46 सब-स्टेशंज 47.63 करोड रुपये की लागत से बनवाये गये हैं। कुल 188.7 करोड़ रुपये इन पर खर्च हुए हैं। इसके अलावा 220 के०वी०, 132 के०वी०, 66 के०वी० और 33 के०वी० के 182 सब-स्टेशनों को 170.14 करोड़ रुपये की लागत से आगुमैंट किया गया है। इसी तरह से हमने 1137.73 कि०मी० यानि तकरीबन 1138 कि०मी० की नई लाईनें 138.36 करोड़ रुपये से लागत से पूरे प्रदेश में लगाई हैं। अध्यक्ष महोदय, अगले दो साल में हम क्या-क्या कार्य पूरे प्रदेश में करने वाले हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा जिसमें मेरे माननीय साथी के हल्के में भी काम किए जाएंगे। आने वाले दो वर्षों के दौरान 164 नये सब-स्टेशंज लगाये जायेंगे जिनमें 400 के०वी० के दो सब-स्टेशंज 185 करोड़ रुपये की लागत से, 220 के०वी० के 11 सब-स्टेशंज 286.20 करोड़ रुपये की लागत से, 132 के०वी० के 36 सब-स्टेशंज 300.11 करोड़ रुपये की लागत से, 66 के०वी० के 21 सब-स्टेशंज 239.7 करोड़ रुपये की लागत से और 33 के०वी० के 94 सब-स्टेशंज 136.19 करोड़ रुपये की लागत से बनाये जायेंगे। इन 164 नये सब-स्टेशनों पर कुल 1146.55 करोड़ रुपये खर्चा आयेगा। इसके अतिरिक्त आने वाले दो सालों में 94 सब-स्टेशंज 223.33 करोड़ रुपये की लागत से आगुमैंट भी किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त 2678 कि०मी० की नई लाईनें 772.62 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, कुल 2142.52 करोड़ रुपये बिजली के सुधार पर खर्च किये जायेंगे जो हरियाणा के गठन के बाद सबसे बड़ा दो साल का प्लान है जिसके तहत प्रदेश में लोगों को बिजली की सुविधा दी जायेगी।

श्री रणधीर सिंह बरवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे हल्के के खेड़ी लोचब गांव में कोई सब-स्टेशन बनाने पर सरकार विचार कर रही है? क्योंकि वहां पर पंचायत ने सब-स्टेशन बनाने के लिए जमीन भी दे दी है और रैजोल्यूशन भी भिजवाया हुआ है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है। इस बारे में माननीय साथी लिखित में प्रश्न पूछ लें। यदि ये कह रहे हैं कि जमीन दे दी है हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे और इनको लिखित में उत्तर दे दिया जायेगा कि वहां पर कब तक सब-स्टेशन बनवा दिया जायेगा।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और सरकार की मंशा बिजली के सुधार के लिए सराहनीय है। गांव और खेतों के लिए बिजली की सप्लाई की लाइनों को अलग किया जा रहा है। नये सब-स्टेशंज बनाये जा रहे हैं। नये-नये पावर हाउसिज लगाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुलाना गये थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि उगाला, धनौरा, सरदाहेड़ी और धीन में नये पावर सब-स्टेशन्ज बनाये जायेंगे। उसके लिए हमने जगह भी दे दी है। लेकिन अभी तक वहां पर कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस योजना पर कब तक काम शुरू हो जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुलाना साहब इस बारे में मुझे लिखवाकर भिजवा दें। हम जरूर कार्यवाही करेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को लागू करने के लिए हम पाबंद हैं उन्हें अवश्य लागू किया जायेगा। इसकी समय सीमा के बारे में भी मैं माननीय सदस्य को लिखकर भिजवा दूंगा।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, मेरे विधान सभा हल्के रादौर में एक 66 के०वी० का बसंतपुरा में सब-स्टेशन है और उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि उससे 6 फीडरों को एक साथ पावर सप्लाई हो सके। इस बारे में जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी इतनी है कि इससे हम एक समय में तीन फीडरों को ही पावर दे सकते हैं और दूसरे तीन फीडरों को दूसरे समय में दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी क्षमता को बढ़ाये जाने की कोई प्रपोजल सरकार के पास है? इस बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने पूछा था अपने रादौर क्षेत्र के बारे में लेकिन उन्होंने बहुत सारा चिट्ठा पढ़कर सुना दिया।

श्री अध्यक्ष : पलाका साहब, यह चिट्ठा नहीं था यह गवर्नमैंट का डाकूमैंट था जो कि बिजली के नये ट्रांसफार्मरज़ और सब-स्टेशनज़ लगाने के बारे में था।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, मैं अपने रादौर क्षेत्र की बात कर रहा था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इनके विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले 66 के०वी० सब-स्टेशन के ओवरलोडिड होने की चर्चा की है। जिसकी माननीय सदस्य पहले चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको उसके बारे में इतने आंकड़े दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य के अन्दर वर्षों से बिजली के उत्पादन और बिजली की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने माननीय सदस्य को पढ़कर सुनाया कि 3 वर्षों के अन्दर मार्च, 2005 से जनवरी, 2008 तक 3 वर्ष से 2 महीने कम में हमने 538 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च किए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि बसंतपुरा गांव सब-स्टेशन ओवरलोडिड है। ये हमें लिखकर भिजवा दें हम उसकी जांच करवा लेंगे। जब मैं बोलता हूं आगुमैंटेशन तो इस का मतलब

यही होता है कि जो ओवरलोडिड हैं उन्हें हम ठीक करेंगे और अगले 2 साल के अन्दर 94 नये सब-स्टेशन हम 223 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से आगुमैंट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिजली के सुधार पर कुल 2142 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह इसलिए है कि बिजली की वितरण प्रणाली और ज्यादा सुचारू बने। अगर किसी स्पैसिफिक केस के बारे में माननीय सदस्य को शिकायत है तो उसके बारे में वे मुझे लिखकर भिजवायें अगर वह ओवरलोडिड है तो उसकी हम जांच करवा लेंगे अगर वह हमारे प्लान में नहीं हुआ तो उसे हम अपने प्लान में डालने का प्रयास करेंगे और अगर पहले से ही वह हमारे प्लान में हुआ तो मैं माननीय सदस्य को लिखकर सूचित कर दूंगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि बिजली की बड़ी भारी कमी है और उसको पूरा करने के लिए और बिजली को बचाने के लिए जिस प्रकार से स्ट्रीट लाईट पर जो बड़े-बड़े सोडियम बल्बज़ लगाये जाते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार के स्तर पर कोई ऐसी प्रपोजल है कि उन सोडियम बल्बज़ को सोलर लाईट्स में बदला जा सके?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न बड़ा वाजिब है। हमारा अनुमान यह है कि अगर हरियाणा में सभी घरों में एक भी एनर्जी सेविंग लाईट लगा ली जाये तो अकेले उससे ही 300 मैगावाट बिजली की बचत होगी। इसलिए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है और जो हमारा रिनुअल एनर्जी डिपार्टमैंट है वह इसको इम्पलीमैंट कर रहा है कि हरियाणा सरकार के जो कार्यालय हैं उनके अंदर भी और नगरपालिकाओं के अंदर भी जो लाईटिंग सिस्टम है उसमें भी जो एनर्जी सेविंग लाईटिंग सिस्टम हैं उसको बढ़ावा दिया जाये और वे खुद भी ऐसी लाईट्स खरीदकर दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी नगर पालिकायें हैं जिन्होंने इस बात की पहल भी की है। ऐसी दो-तीन नगरपालिकाओं के बारे में मैं जानता हूं जहां पर लोकल साथियों ने ही पहल की है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा लाईटिंग सिस्टम शहर के अन्दर लगायेंगे जो सी०एफ०एल० और दूसरी लाईट्स हैं और जहां तक सोलर लाईट्स का प्रश्न है क्योंकि यह अर्बन लोकल डिवैल्पमैंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है उनका बजट वे देंगे। नगरपालिका अपने संसाधनों से अपना बजट जोड़ें। हम कम से कम जरूर उनको एनक्रेज करते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम तो जिस पोल पर लाइट लगी है उसका फिक्स प्रति पोल का भी बिल लेते हैं। अगर वे कम लाईट इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि बिजली की बचत होगी और बिल भी कम आयेगा। इसके लिए हरियाणा प्रांत के सभी लोगों को सचेत होना चाहिए क्योंकि उत्पादन के बावजूद आगे-आगे बिजली एक भयंकर समस्या बनेगी क्योंकि अगर हम कोयले से बिजली का उत्पादन भी करते हैं तो उससे पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। उससे इंवायरमैंट इश्यू क्रिएट होते हैं इसलिए मैं अपने आपको आपकी चिन्ता से जोड़ते हुए आश्वस्त करता हूं कि सरकार नगरपालिकाओं को इस बात के लिए हिदायतें भी देगी और एनक्रेज भी करेगी कि वे एनर्जी एफिशिएंट लाईट ही इस्तेमाल करें।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में 33 के०वी० के या 132 के०वी० के सब-स्टेशन लगाये गये हैं, क्या उन गांवों को उस सब-स्टेशन से जोड़ा जायेगा और क्या उन गांवों को सरकार 24

[श्री नरेश यादव]

घण्टे बिजली उपलब्ध करवायेगी? जिस प्रकार से आपने महासर को नहीं जोड़ा है और शेका वह गांव है जहां हरियाणा में सबसे पहले आपने बिजली के नये मीटर लगाये थे। आज उस गांव की भी यह शिकायत है कि बिजली नहीं मिलती।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो पृथक प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह पूछा है कि जिन गांवों में सब-स्टेशन लगेंगे क्या उन गांवों को उससे जोड़ा जायेगा, तो इसका जवाब हां में है क्योंकि जिस गांव में सब-स्टेशन लगाया जा रहा है स्वाभाविक है वह इसलिए लगा रहे हैं कि उसमें से उसको बिजली दी जाये। दूसरा प्रश्न यह पूछा कि क्या 24 घण्टे बिजली उन गांवों को सरकार देगी तो इसका जवाब नहीं में है। अध्यक्ष महोदय, सब-स्टेशन किसी एक गांव के लिए नहीं लगता वह तो उस एरिया के कुछ गांवों के लिए लगता है। यदि हम उस गांव को 24 घण्टे बिजली देंगे तो बाकियों के साथ भेदभाव क्यों करें। हमारा लक्ष्य पानी की तरह सबको बराबर बिजली उपलब्ध करवाना है। बिजली के सब-स्टेशन लगाना और बिजली की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना हमारा लक्ष्य है। कई बार ऐसा होता है कि बिजली उपलब्ध होते हुए भी आप सारी बिजली जला नहीं पाते। पहले हरियाणा में बिजली की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर थी लेकिन अब हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिजली वितरण प्रणाली के सुधार पर 2142 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं उसका यही लक्ष्य है कि हमारी वितरण प्रणाली इतनी अच्छी हो जाये कि अगर हमारे पास बिजली हो तो उसकी वोल्टेज ट्रिप न हो। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एल०वी०डी०एस०, एच०वी०डी०एस० जो हम लगा रहे हैं। उसका भी यही लक्ष्य है। अगर सब साथी कनैक्शन ले लेंगे तो हर 3-4 घरों पर एक ट्रांसफार्मर रख देंगे और हम 11 हजार के०वी० की लाईन को गांवों के अन्दर तक ले जायेंगे। उससे बिजली ट्रिप भी नहीं करेगी और बिजली पूरी मिलेगी तथा बिजली की क्वालिटी भी अच्छी होगी।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, करीब डेढ़ साल पहले मेरे हल्के में रैली हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भीमोढ़ में एक 66 के०वी० सब-स्टेशन लगाने की घोषणा की थी मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर से भी मिला हूं और मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष : जब आप व्यक्तिगत तौर पर मिल ही लिये तो क्या बाकी रह गया?

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी लिख कर देने के लिए कह देते हैं और कुछ होता नहीं इसलिए यहां पर इस बात को उठा रहा हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जो सोहना विधान सभा क्षेत्र है उसके विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार भी बहुत कोशिश करती है क्योंकि यह एरिया ग्रोइंग गुड़गांव का हिस्सा बनता जा रहा है। उसमें कहीं पर पीने के पानी की समस्या है, कहीं पर नहरी पानी की समस्या है और कहीं पर बिजली की समस्या है उसके लिए हम प्रावधान कर रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सब-स्टेशन का सवाल है, इस बारे में इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में आ जायें मैं पूरी जानकारी इनको उपलब्ध करवा दूंगा।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले सरकार की स्कीम थी कि जिन गांवों में 66 के०वी० सब-स्टेशन लगाये जाते हैं और ग्राम पंचायतें उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन उपलब्ध करवाती हैं उन गांवों को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाती थी, क्या वह स्कीम अब बंद हो गई है या चालू है? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरी दूसरी रिक्वैस्ट थी जो कि मैंने पहले भी की थी और आज कर रहा हूं कि क्या मंत्री महोदय आशाखेड़ा के सब-स्टेशन को भी आगुमैंट करवाने की कृपा करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न रखे हैं (विघ्न) जहां तक इनके पहले प्रश्न का ताल्लुक है, जिस गांव में सब-स्टेशन है उसको 24 घण्टे बिजली देने का, इसके बारे में माननीय नरेश यादव जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैं दे चुका हूं। पहले भी जो स्कीम थी उसमें भी इस प्रकार से कभी 24 घण्टे बिजली नहीं दी गई और ऐसा सम्भव भी नहीं है। स्पीकर सर, ऐसा करना अव्यवहारिक भी है क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो गांवों में आपस में झोड़ लग जाएगी और उससे अगले गांव को तो बिजली मिलेगी ही नहीं। यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात है क्योंकि 24 घण्टे बिजली अभी गांवों को नहीं दे सकते हैं। जहां सब-स्टेशन लगा है Speaker Sir, Sub-Station is not meant for one village Sub-Station is normally meant for a group of villages, even if it is a bigger village. But Sir, it is not possible to discriminate between one village and the other village in Haryana. Speaker Sir, we give one village 24 hours power supply and other village 8 hours power supply. How it is possible ? यह पक्षपात क्यों? इसलिए हमारा यह निर्णय बड़ा स्पष्ट है और यह नीतिगत बात भी है कि सब-स्टेशन पर बिजली की वोल्टेज बैटर होगी, बिजली की सप्लाई बेहतर होगी लेकिन 24 घण्टे बिजली किसी एक गांव को नहीं मिल पाएगी। माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न था उसके बारे में मैंने अधिकारियों को हिदायतें दे दी हैं और उसके ऑगुमैंटेशन पर हम ऑलरेडी विचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से करवाएं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार तथा माननीय मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यमुना नगर में थर्मल प्लांट सरकार ने लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 नवम्बर, 2007 को वहां पर यह घोषणा करके आए थे कि उस थर्मल पॉवर प्लांट के दस किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव पड़ते हैं उन सब गांवों में 24 घण्टे बिजली की सप्लाई देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक और घोषणा भी की थी कि उस थर्मल प्लांट के लिए जिन लोगों की जमीनें गई हैं उनके एक-एक लड़के को नौकरी देने का प्रावधान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं क्या उनको सरकार लागू करने बारे विचार कर रही है। इसके साथ ही साथ उस थर्मल प्लांट के आस-पास की जो खेती की जमीन है उसमें गेहूं या जो भी फसल बो रहे हैं राख की वजह से फसल को बहुत नुकसान हो रहा है। इस बारे में अखबार में भी छपा था। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वह बिल्कुल स्पष्ट है कि उस थर्मल प्लांट के साथ लगते दस किलोमीटर के दायरे के गांवों को 24 घण्टे बिजली देंगे इसमें किसी प्रकार की दिक्कत या शिकायत की कोई गुंजाईश नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं हम उस पर लामबंद हैं और वहीं खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, पिछले साल दिसम्बर-जनवरी में लंदन में एन्वायरनमैंट के ऊपर एक सैमीनार हुआ था जिसमें तकरीबन साठ देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और वहां पर पूरे छः दिन एन्वायरनमैंट पर डिटेल में डिस्कशन हुई थीं इस डिस्कशन में एक टॉपिक सोलर ऐनर्जी का भी था। इस संबंध में मैंने गवर्नमैंट को एक नोट भेजा था कि क्या सोलर ऐनर्जी से सोलर हीटर पर्टिकुलरली गवर्नमैंट बिल्डिंगों में, कमर्शियल बिल्डिंगों में, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटीज की बिल्डिंगज में, पर्टिकुलरली हरियाणा में 500 यार्डज से ऊपर की जो कोठियां हैं उनके बारे में था। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग्ज़ बनती हैं उनके कम्पलीशन में यह स्पैशली जोड़ा जाए कि इसके लिए सोलर लाईट और सोलर हीटर का प्रोविजन करें तभी उनको कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एक या दो बल्ब का प्रोविजन भी इन बिल्डिंगों में कर दिया जाए तो इससे कम से 100 मैगावाट बिजली की बचत हो सकेगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन बिल्कुल सही और वाजिब है इसके अन्दर कोई शक की गुंजाईश नहीं है। जब हम थर्मल पॉवर प्लांट से बिजली का उत्पादन करते हैं तो कार्बन ऐमीशन्ज होती ही है। अध्यक्ष महोदय, जिस कॉन्फ्रैंस की आपने चर्चा की है मैंने उसकी सारी प्रोसीडिंग्ज जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं वे पढ़ी थीं। Speaker Sir, future energy lies in three places, solar energy, wind energy and hydro energy. These are three cleanest and greenest form of energy but sir, solar energy is at the top. इन तीनों को हम छोड़ दें तो सोलर एनर्जी अभी हिन्दुस्तान में टैप नहीं हो पा रही है हालांकि Himalayan range of fountains young है यह भी शायद हो सकता है या फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी है इनको छोड़ कर हम हरियाणा में और पूरे हिन्दुस्तान में सभी कोल बेस्ड एनर्जी पर आश्रित हैं but gas based thermal power plant on account of unavailability of gas, अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, दूसरे हम हाईड्रो पर आश्रित हैं एक हमें अपना हाईड्रो पोटैंशल पूरा टैप करना पड़ेगा because in times to come the demand for energy is likely to shoot up to another 100 thousand M.W. इसलिए तो हमें वह डिमाण्ड सप्लाई गैप को ब्रीज करना पड़ेगा। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो चिन्ता और सोच थी कि हम न्यूक्लियर एग्रीमैंट पॉवर प्रोडक्शन के लिए अमेरिका और दूसरे जो न्यूक्लीयर सप्लाई ग्रुप के मुल्क हैं उनसे एग्रीमैंट दस्तख्वत कर लें। उसके पीछे यह सोच थी कि 2020 तक 20,000 मैगावाट की बढ़ोतरी हम करें। अध्यक्ष महोदय आपने जो सुझाव दिया है उस बारे में सरकार और सदन के सभी सदस्य सहमत हैं। मैं अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी और अर्बन लोकल बाडी दोनों को पत्र लिखकर आपकी भावनाओं के बारे में अवगत करवाऊंगा और कहूंगा कि अपने रैगुलेशन में तरसीम करें और जो 250 गज से बड़े मकान हैं उनमें कम्पलीशन सर्टिफिकेट देने के समय कम से कम यह कंडीशन रखें कि उसमें सोलर हाईड्रो का भी

प्रावधान वाटर हारवैस्टिंग के साथ-साथ हो। इसके साथ हम ये सुझाव प्राईवेट डिवैल्पर्ज जो हैं उनको भी देंगे कि स्ट्रीट लाईटिंग में ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए हम सोलर लाईटनिंग के कन्वर्शन में इन्वैस्टमैंट कर सके। जैसा कि माननीय सदस्या सुमिता सिंह जी ने सुझाव दिया था, हम ये दोनों प्रयास करेंगे।

Desilting of Hisar-Ghaggar Drain

***992- Shri Bharat Singh Beniwal :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether the desilting work of Hisar-Ghaggar drain (Saimnala) was got done in the area of District Sirsa during the last year ; if so, the name of the village from where the desilting work was started togetherwith the name of the village upto which it was desilted alongwith the time taken for desilting and the time by which the desilting work of the said drain is likely to be completed?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : The desilting work of Hisar-Ghaggar Drain was started during June, 2007 and 57% work has been completed. The balance work is likely to be completed by June, 2008. The work was started from village Randhawa and has been done upto village Tarkanwali.

श्री भरत सिंह बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि घग्गर ड्रेन से सफाई करके गाद कब निकाली गई और वह आदमियों के द्वारा निकाली गई है या मशीन के द्वारा निकाली गई है। यह जो गाद निकाली गई है उसका वहां के जमींदारों को कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि आज भी वहां पर नदी के अन्दर 10-10 फुट के झाड़ खड़े हुए हैं। क्या मंत्री जी वहां से उन झाड़ों को कटवाकर गाद निकलवाने का प्रावधान करेंगे ताकि वहां के जमींदारों को उससे फायदा हो सके?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, हिसार घग्गर ड्रेन की गाद निकलवाने का काम कंट्रैक्टर को अप्रैल, 2007 में दिया गया था। उसने वह काम 2 जून, 2007 को शुरू किया था और यह काम उसने एक महीने में 30 जून, 2007 तक कम्पलीट करना था। इस ड्रेन की सफाई पर 28 लाख खर्च होने अनुमानित थे। लेकिन जब इस बारे में टैण्डर काल किए गए तो कंट्रैक्टर ने इस अमाउण्ट से 49 प्रतिशत लैस पर फीगर कोट किया था। उसको यह टैण्डर 14.80 लाख के हिसाब से मिला। अध्यक्ष महोदय, उस कंट्रैक्टर ने यह काम 57 प्रतिशत ही किया था और बाकी का काम बीच में छोड़ कर चला गया। अध्यक्ष महोदय, पांच परसैंट तो परफोरमैंस सिक्योरिटी के नाम पर और 6 परसैंट दूसरी सिक्योरिटी के नाम पर हम उनकी सिक्योरिटी रखते हैं। इस तरह से टोटल 11 परसैंट की सिक्योरिटी हम कंट्रैक्टर की रखते हैं। इसके अलावा दस परसैंट हमने पैनल्टी लगाने का भी प्रावधान रखा हुआ है। स्पीकर साहब, इस मामले में 1.48 लाख रुपये कंट्रैक्टर पर पैनल्टी लगायी गयी है। माननीय सदस्य का यह कहना कि काम कब तक हो जाएगा, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम डिपार्टमैंट की मशीनरी को करनाल से वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं और जून, 2008 तक हम उस ड्रेन की गाद निकालने का काम पूरा कर देंगे।

10.00 बजे

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, ऑनरेबल मैम्बर्ज ने जो चिंता जाहिर की है वह वाजिब है, इस बारे में जानने के लिए कई सदस्यों के हाथ भी रेज हो रहे हैं। इस बारे में हम सब भी देखते हैं कि कई ड्रेन बनी हुई तो हैं लेकिन पिछले आठ दस सालों से उनकी छंटाई या सफाई वगैरा नहीं हुई है जबकि इसके लिए बहुत भारी फंडज की ऐलोकेशन है। जब हम सब हरियाणा प्रदेश को नम्बर वन की तरफ ले जा रहे हैं तो रैनी सीजन से पहले-पहले सभी ड्रेन्ज की डिसिल्टिंग जरूर होनी चाहिए। इस बात को पूछने के लिए कई सदस्य भी अपने हाथ उठा रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक सफाई का सवाल है हमने वाई०डब्ल्यू०एस० सर्कल रोहतक के अंदर 132.15 लाख रुपये, भिवानी सर्कल में 11.23 लाख रुपये, जींद सर्कल 15.12 लाख रुपये, फरीदाबाद में 3.61 लाख रुपये, देहली सर्कल में 11.01 लाख रुपये, करनाल वाई०डब्ल्यू०एस० सर्कल में 54.37 लाख रुपये, एच०के०वी० जगाधरी सर्कल में 4.93 लाख रुपये, हिसार बी०डब्ल्यू०एस०-I सर्कल में 41.11 लाख रुपये, हिसार बी०डब्ल्यू०एस-II सर्कल में 11.29 लाख रुपये और सिरसा बी०डब्ल्यू०एस० सर्कल में 44.22 लाख रुपये, ड्रेन्ज की सफाई के लिए खर्च किए हैं। टोटल 2007-08 में ड्रेन्ज की सफाई पर 3 करोड़ 82 लाख रुपये लगे हैं। स्पीकर साहब, 2004-05 में पिछली सरकार के समय में 1 करोड़ 14 लाख रुपये ही ड्रेन्ज की सफाई के लिए खर्च किए गए थे लेकिन अब जब तक यह काम पूरा होगा तब तक यह करीब चार करोड़ रुपये का ऐस्टीमेटस इसके लिए हो जाएगा। स्पीकर साहब, जो दस परसैंट पैनल्टी कंट्रैक्ट पर लगाने की कंडीशन थी उसको भी अब हम रिव्यू कर रहे हैं और इसको अब हम रिस्क एंड कॉस्ट पर करने जा रहे हैं। जो भी कंट्रैक्टर टैंडर करेगा तो हम रैवेन्यू के तौर पर उसकी लैंड को भी बीच में ले लेंगे ताकि जो कंट्रैक्टर बीच में काम छोड़कर चले जाते हैं उनको रोका जा सके। सर, सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। पहले रिस्क एंड कॉस्ट की यह कंडीशन पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) में थी लेकिन अब हम इसको इरीगेशन डिपार्टमैंट में भी लागू कर रहे हैं। इसके अलावा परफोरमैंस सिक्योरिटी भी बढ़ाने की पेशकश हम कर रहे हैं और नोर्मल सिक्योरिटी भी हम बढ़ा रहे हैं। स्पीकर साहब, कल भी सदस्यों ने चिंता जाहिर की थी कि कंट्रैक्टर काम बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं लेकिन अब हम कंडीशंज स्ट्रींजैंट बनाने जा रहे हैं ताकि कंट्रैक्टर बीच में ही काम छोड़कर न भागे। स्पीकर साहब, पंचायत डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट में भी इस प्रकार की अनियमितताएं पायी गयी थी कि कंट्रैक्टर बीच में ही काम छोड़कर चले जाते हैं, मैं समझता हूं कि अब कंडीशंज को स्ट्रींजैंट करने के बाद ऐसी दिक्कत नहीं आयेगी कि कंट्रैक्टर काम बीच में छोड़कर भागे।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, आपने भी चिंता जाहिर की और कई सदस्यों ने भी इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। जब ठेकेदारी सिस्टम नहीं था तो उस समय कुछ जिम्मेवारी फिक्स होती थी और काम समय पर होता था। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाएगा? विभाग के हमारे बहुत अधिकारी हैं वे क्या काम करते हैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, मुलाना साहब ठीक कह रहे हैं। पीछे ऐसी बातें हुईं कि जैसे

31 मार्च आ गया और फंड्स लैप्स हो रहे हैं। 31 मार्च से पहले पहले फंड्स विदड्रा किए जाते हैं जो कि ऐक्चुअली स्पैंट नहीं होते। नहरों की डीसिल्टिंग करा दी जाती है। होता यह है कि बरसात हुई और उसके बाद उसमें फिर से सिल्ट आ जाती है। इस तरह से जो यह सिस्टम है यह गलत है। आप सदन को इस बारे में एश्योर करवाओ कि यह जो डीसिल्टिंग ऑपरेशन है यह रेनी सीजन से पहले-पहले हो जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी इस बारे में कहा है। कल भी इस सदन में बात उठी थी कि कंट्रैक्टर बीच में ही काम छोड़ कर चले जाते हैं। इस समस्या के हल के लिए हम कंडीशंज को स्ट्रींजैंट कर रहे हैं। अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी मनी बढ़ा रहे हैं। रिस्क एंड कास्ट बंद कर रहे हैं। जहां तक डीसिल्टिंग की बात कही गई है उसके लिए हमने बाकायदा कमेटी बना रखी है जिसमें इंचार्ज एस०डी०एम० को बनाया है और ठेकेदार की पेमैंट सब्जैक्ट टू है और पेमैन्ट तभी होगी जब एस०डी०एम० इन्चार्ज यह देखे लेंगे कि काम हो गया है या नहीं। जहां तक डीसिल्टिंग का सवाल है डीसिल्टिंग जितनी पिछले तीन वर्षों में हुई है उतनी उससे पहले कभी नहीं हुई। जे०एल०एन० कैनाल में 8-8 फुट गहरी गाद थी। अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में से भी जे०एल०एन० कैनाल निकलती है और आप जानते हैं कि कभी भी उसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। इस सरकार के आने के बाद जितनी डीसिल्टिंग हुई है उससे पहले उतनी कभी नहीं हुई। यह बात बिल्कुल सही है कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी ड्रेन हैं उनकी सफाई हम बरसात आने से पहले-पहले करने की पूरी कोशिश करेंगे। सारी ड्रेनों की सफाई के बारे में तो मैं झूठा आश्वासन नहीं दे सकता कि सारी की सारी ड्रेनों की सफाई हो जाएगी लेकिन ज्यादातर ड्रेनों की सफाई बरसात से पहले-पहले करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ और सिरसा में नरेगा स्कीम है उस स्कीम के तहत जोहड़ों की खुदाई और मिट्टी का काम होता है। हमारे जिले में उस स्कीम के तहत कोई काम नहीं हो रहा है। काम बहुत है और फंड्स भी बहुत आ रहे हैं लेकिन सारे अधिकारी खाली बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि नहर महकमे के साथ मिलाकर यह काम किया जाए। मंत्री जी ऐसे आदेश दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप जिस बारे में प्रश्न कर रहे है। उसके बारे में आपकी मौजूदगी में वहां के डी०सी० और सारी स्टेट के ऑफीसर्ज की मैंने मीटिंग नारनौल में ली थी और आपके सामने ही डी०सी० ने कहा था कि नरेगा स्कीम के तहत हमने सफाई करवाई है।

श्री नरेश यादव : उस दिन की मीटिंग तक भी सफाई नहीं हुई थी और अब तक भी सफाई नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि अब नरेगा स्कीम के तहत सफाई का यह काम आप करवाएं।

श्री अध्यक्ष : नरेश यादव जी, आप चेयर के थ्रू बात कीजिए। सीधे कोई कम्यूनिकेशन न करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा हवा में कोई बात कह देना कि अब तक सफाई का काम नहीं हुआ है, यह बात ठीक नहीं है। मैं माननीय

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

सदस्य को यह भी बता दूंगा कि नरेगा स्कीम के तहत कितना पैसा हमने खर्च किया है। जिस तरह से सैल्फ इम्प्लौयमैंट स्कीम जो हमारी यू०पी०ए० की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयासों से लागू हुई थी, अब पूरे प्रदेश में नरेगा स्कीम लागू हो जाएगी और हमने यह भी हिदायत दी हैं कि बजाय इसके कि इरीगेशन डिपार्टमैंट का पैसा उस काम में लगे, उसमें हम चाहते हैं सैल्फ इम्प्लौयमैंट स्कीम जिसमें 90 दिन तक रोजगार मिलेगा, उस स्कीम का पैसा लगे ताकि 90 दिन मजदूरों को रोजगार भी मिल जाए। उस स्कीम के माध्यम से हम ड्रेन्ज की सफाई के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। इसके लिए हमने निर्देश भी दे दिये हैं। डी०सी० को भी लिखकर भेजा है। हम यह भी पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेट का पैसा लगने की बजाय नरेगा स्कीम का पैसा लगे। हमारे यहां के लोगों को मजदूरी भी मिल जाए और काम भी हो जाए, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ में तो मैंने स्वयं कोशिश करके काम करवाया है।

To Improve the Sewerage System of Hansi City

*988. **Shri Amri Chand Makkar :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the sewarage system of Hansi City is in very bad condition due to old sewerage lines ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to improve the sewerage system of Hansi city ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay sewerage system in the new colonies of Hansi city ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) & (b)

At present, the sewerage system serving Hansi city consists of 42 KM of sewer lines, Six Intermediate Pumping Stations and a Main Disposal. The System is overall functioning smoothly and improvement works including capacity augmentation are being undertaken where required. A project for improving the system by replacing old, undersized sewer lines by larger ones is under implementation at a cost of Rs. 156.00 lacs and is expected to be completed by 31.08.2008.

Another project for providing sewerage to 28 newly approved colonies and construction of a Sewage Treatment Plant (STP) for Hansi City with an estimated cost of Rs. 1650.00 Lacs is proposed to be taken up under a World Bank Project which is presently under consideration.

स्पीकर सर, मैं यह भी बताना चाहूंगा और कल भी मैंने बताया था कि 705 लाख रुपये बूस्टिंग स्टेशन के लिए हमने दिए हैं और अप्रैल, 2008 तक यह काम पूरा कर देंगे।

156 लाख रुपये की राशि सीवरेज के लिए दी है और इसका काम 31 अगस्त, 2008 तक पूरा कर देंगे।

श्री जमीर चन्द मक्कड़ : धन्यवाद स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि हांसी शहर में सीवर समूथली काम कर रहा है। वहां पर सीवर की बहुत बुरी हालत है। कितनी दफा लोग धरने दे चुके हैं और वहां के एस०डी०एम० से मिल चुके हैं। वहां पर जो सीवर डाला हुआ है वह बहुत पुराने हिसाब से डाला हुआ है और आबादी अब ज्यादा बढ़ चुकी है। हर जगह सीवर का पानी चौक मारता है, बाजारों में गलियों में सीवर का पानी फैला हुआ है। बारिश की दो बूंद गिरने से सारे शहर की गलियों में बुरा हाल हो जाता है। इसी प्रकार से वहां पर 28 कालोनियां सरकार ने मंजूर की हैं उनका थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि हांसी के सीवर का काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, 28 कालोनियों का काम तो अभी शुरू नहीं हुआ है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन कालोनियों का थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है। मैंने तो जवाब में यह कहा है कि 28 कालोनियों का काम तो अभी शुरू नहीं किया है। उन 28 कालोनियों के लिए 1650 लाख रुपया अतिरिक्त चाहिए। हमने केस वर्ल्ड बैंक के प्रोजैक्ट के अंदर भेजा हुआ है। जहां तक पुराना सीवर रिप्लेस करने की बात है, मैंने जवाब में लिखा है कि वहां प्राब्लम थी तभी हमने 156 लाख रूपये की राशि दी है और हम 31.08.2008 तक इस प्रोजैक्ट को पूरा कर देंगे। अगर और राशि की जरूरत पड़ी तो वर्ष 2008-2009 में और देंगे। It is a continuous process. हांसी एक पुराना ऐतिहासिक शहर है। एक दिन में हम पुराना सारा सीवर नहीं बदल सकते। हमारे पास फण्ड्स सीमित हैं। 750 लाख रुपये पीने के लिए और 156 लाख रुपये सीवर के लिए दिए हैं जो अप्रैल तक पूरा काम करेंगे और इस समय 8-9 करोड़ रुपये का काम तो हांसी शहर में जारी है।

आई०जी० शेरसिंह : स्पीकर महोदय, जुलाना एक छोटा सा टाऊन है। वर्ष 1996-1999 की सरकार के समय जुलाना में सीवर सिस्टम का काम शुरू हुआ था जिस पर लगभग 20-25 लाख रुपया खर्च भी हो गया है। उसके बाद जो सरकार आई उसने जुलाना की कमेटी को तोड़ दिया और जुलाना को गांव बना दिया। अब जुलाना की कमेटी दोबारा से बना दी है और जमीन भी काफी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जुलाना में दोबारा से सीवर सिस्टम का काम शुरू करने का सरकार का कोई प्रोपोजल है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल वाजिब है लेकिन जुलाना छोटा टाऊन नहीं है जींद जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है। माननीय सदस्य वहां की नुमायंदगी करते हैं और इनके नेतृत्व में उस शहर ने ग्रोथ की है और जींद के बड़े शहरों में और प्रगतिशील शहरों में जुलाना का नम्बर आता है। हमारे पास जुलाना शहर में सीवरेज डालने की प्रोपोजल है और वर्ष 2008-2009 के साल में जो एक अप्रैल से चालू होने जा रहा है उसमें जुलाना में सीवर डालने के लिए पैसा देने वाले हैं।

Supply of Raw Water through Cemented Pipes

*963. **Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state whether it is a fact the raw water to water-works at village Kont in Bhiwani is being supplied by open Nala ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply raw water to water-works at village Kont through cemented pipes ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir, the raw water to water-works at village Kont is being supplied from open Haluwas Minor of Irrigation Department and thereafter through open inlet channel of the Water Supply & Sanitation Department.

Yes, Sir, The work of laying 20" diameter Reinforced Cement Concrete (RCC) pipe combined inlet channel from Bhiwani Distributary for water works Kont and water works Ninan, has been completed. The raw water from this Distributary would be made available at water works Kont after commissioning of the pumping station and completion of 3.57 Kms, rising main of 12" diameter Asbestos Cement (A.C.) pipe from water works Ninan to water works Kont. This work is likely to be completed by 31st May, 2008 at a cost of Rs. 41.75 lacs.

डॉ० शिवशंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निनाण वाटर वर्क्स से तो 20 इंच के पानी से सप्लाई कर रहे हैं और कोंट वाटर वर्क्स पुराना वाटर वर्क्स है और यह वाटर वर्क्स ढाणा लाडनपुर, ढाणा नरसाण, अजीतपुर, पूर्णपुरा और कोंट छः गांवों को वाटर सप्लाई करता है इसलिए कोंट वाटर वर्क्स बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे नहीं लगता कि 12 इंच से इसकी भरपाई हो पायेगी ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले भी यह चिन्ता जाहिर की थी और हमने अपने एक्सपर्ट इंजीनियर्स से यह एग्जामिन भी करवाया था और उन एक्सपर्टस ने एग्जामिन करके यह कहा है कि यह सफीशियंट है और पानी पहुंच जाएगा इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की जो यह चिंता है शायद वह वाजिब नहीं है । अगर कोई और दिक्कत आएगी तो I assure कोई प्रोब्लम नहीं होगी । Sir, we stand committed. निनाण में वाटर वर्क्स की जहां तक बात है इसके लिए हमने 114 लाख 55 हजार रुपये दे रखे हैं । कोंट में 41 लाख 75 हजार रुपये जिसकी मैंने चर्चा की वह भी हमने दे रखे हैं । ये दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे तथा और भी कोई दिक्कत अगर रहेगी तो I assure him, we will get it sorted out.

Sewerage System in Sohna City

*986. **Sh. Sukhbir Singh Jaunapuria :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state whether the sewerage system of Sohna City is lying incomplete ; if so, the time by which it is likely to be completed ?

Powe Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : The work for laying of sewerage system alongwith a Sewage Treatment Plant (STP) in Sohna City at an estimated cost of Rs. 584.85 lacs is in progress and is likely to be completed by March, 2009. इसके अलावा कल मैंने 65 करोड़ रुपये से अधिक की स्कीम के बारे में बताया था । जहां तक इस ट्रीटमैंट प्लांट की बात है तो इसको हमने चैक करवा लिया है और इसकी हम जल्दी ही पूरा करवा देंगे ।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे सोहना को सबसे पहले यह स्कीम दी गई थी लेकिन करीब 80 परसैंट एरिया जो छूट गया है वहां आबादी बसी हुई है और

वह एरिया म्यूनिसिपल कमेटी में आता है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अधिकारियों को निर्देश दें कि कुछ एरिया जो छूट गया है उसको भी इस स्कीम में ले लिया जाए। पूरे शहर का पानी इधर-उधर बह रहा है। जब तक शहर में ट्रीटमैंट प्लांट नहीं बनेगा तब तक शहर की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्लांट को जल्दी बनवाया जाए और 80 परसैंट जो एरिया बसा हुआ है और छूट गया है उसको भी इसमें इन्क्लयूड कर लिया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनका सुझाव नोट कर लिया है और हम इस बारे में अधिकारियों को हिदायत दे देंगे।

New Roads Constructed in Naggal Constituency

*977. **Shri Nirmal Singh :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the number of new roads constructed in Naggal Constituency during the last three years togetherwith the number of new roads which are proposed to be constructed alongwith the progress thereof ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, 20 new roads have been constructed during last 3 years. One new road is in progress and one is approved for construction.

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे बताएं कि जिन 20 नई सड़कों का इन्होंने जिक्र किया है ये कब मंजूर हुई थी और इन को बनाने पर कितना पैसा खर्च हुआ था और ये सड़कें कौन-कौन सी हैं ? इन्होंने कहा है कि एक सड़क और बनाने जा रहे है। वह कौन सी सड़क है और इसके लिए कितना पैसा दिया गया है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये जो सड़कें हैं इनमें पहली सड़क है जगौली से पंजाब बोर्डर तक इसको हमने नवम्बर, 2005 को पूरा किया है। पिछली सरकार के दौरान इस सड़क की सिर्फ कागजों में बात कर रखी थी, न कोई बजट में पैसा दिया था और न ही कोई और प्रावधान किया था। इस सरकार के आने के बाद बहुत काम किए गए हैं। दूसरी सड़क बलाना से पंजाब बोर्डर तक है इसको दिसम्बर, 2005 में पूरा किया गया है। पंजोला से पंजाब बोर्डर तक की सड़क को नवम्बर, 2005 में पूरा किया है। इसी प्रकार बोह से पंजाब बोर्डर तक की सड़क को अक्तूबर, 2006 में पूरा किया है, सौंटा से पंजाब बोर्डर तक की सड़क को दिसम्बर, 2005 में पूरा किया है। एक लिंक रोड मोहड़ा से दुराना से भौंकर माजरा को सितम्बर, 2007 में पूरा किया है। मच्छोंडा से न्यू सेवा समिति स्कूल तक की सड़क को अक्तूबर, 2007 में पूरा किया गया है। एक लिंक रोड सरगना से पंजाब बोर्डर तक को नवम्बर, 2007 में पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने मार्किटिंग बोर्ड की भी सड़कें बनाई हैं। सोनटा से इस्लामपुर तक की सड़क को जून, 2007 में पूरा किया है। कोंट कछुआ से शाहपुर तक की सड़क को अप्रैल, 2007 में पूरा किया है। भूनि से पंजाब बोर्डर तक की सड़क को अप्रैल 2007 में पूरा किया है। इस प्रकार से टोटल आप देखेंगे कि 41.5 किलोमीटर सड़कें इन तीन सालों में हमने बनाई हैं जिन पर करीबन 3 करोड़ 93 लाख रुपये लगे हैं। एक और सड़क है जसोई से बिश्नोर कालोनी जिसकी लैंथ प्वांयट 48 किलोमीटर है उस पर काम चल रहा हैं और इस पर 4.9 लाख रुपये की लागत आएगी। The road from Udarpur to Bantoran has been approved for construction vide Memo No. CRR 3831, दिनांक 4 फरवरी, 2008 को पूरी हो गई है, इसकी लैंथ 1.82 किलोमीटर है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इनकी मठेडी से सेखों नन्नौला रोड अप-टू पंजाब बोर्डर बनाने पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2 करोड़ 52 लाख रुपये लगे हैं। एक और सड़क

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
जगाधरी अम्बाला से अम्बाला हिसार तक है इस पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 7 करोड़ 90 लाख रुपये लगे हैं और काम चल रहा है। इसके अलावा अम्बाला-हिसार रोड टू कलावर, डानीपुर अप-टू जखवाल और एक अम्बाला-हिसार रोड़ टू विलेज निहारसी तक सड़क है, इसका काम कम्पलीट हो गया है और इस पर नाबार्ड के तहत करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपये लगे हैं और इसकी लैंथ 18.85 किलोमीटर है। भठेड़ी से सेखों नन्नौला रोड से जगौली खेड़ा से अम्बाला हिसार रोड जिसकी लैंथ 8.6 किलोमीटर है उस पर आलरेडी काम चल रहा है। नाबार्ड के तहत इस पर 95.25 लाख की लागत से काम हो रहा है।

श्री निर्मल सिंह : प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तो सड़कों की रिपेयर के काम हुए हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं सड़कों की रिपेयर की ही बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से वाईडनिंग के ऊपर जगाधरी-अम्बाला टू पड़ेल माजरा रोड पर काम हुआ है। इसके अतिरिक्त माननीय साथी के हल्के में दूसरी सड़कों पर भी काफी काम रिपेयर का हुआ है।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि मेरे हल्के में एक नई सड़क बनाने जा रहे हैं वह रोड कौन सी है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वह रोड उदरपुर से बांतरों है। यह सड़क 1.82 कि०मी० लम्बी होगी जिस पर 42.27 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे। इस सड़क को बनाने के लिए टैंडर रिसीव हो चुके हैं और जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। यह सड़क मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इनके हल्के में बनाई जा रही सड़कों के बारे में पूछा था इसलिए मैंने मार्केटिंग बोर्ड और पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनकी पूरी डिटेल दी है। इनके हल्के में 8 के करीब सड़कें पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा बनाई जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के हल्के में दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। इनके हल्के में पी० डब्ल्यू०डी० की तरफ से 10.80 कि०मी० और मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा तकरीबन 30 कि०मी० लम्बी सड़कें बन रही हैं।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पी०डब्ल्यू०डी० और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनके बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि मेरी कान्स्टीचूएंसी में ज्यादा पैसा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी कान्स्टीचूएंसी क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी है। मेरे हल्के में 306 कि०मी० का सड़कों का जाल है। मेरे हल्के में जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं उनकी रिपेयर करना बहुत जरूरी है। एक सड़क बोह से बब्याल की रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इस सड़क पर कई गांव पड़ते हैं। इस सड़क के बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी। माननीय मंत्री जी बतायें कि इस सड़क की क्या पोजीशन है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बोह से बब्याल के बारे में कहा था कि यह सड़क टांगड़ी नदी के साथ-साथ अम्बाला कैंट तक बनानी है। इन्होंने यह भी कहा था कि 6 करोड़ रुपये खर्च करके वहां रिटेनिंग वाल बनवाई जाये। मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि इसको हम एग्जामिन करवा रहे हैं और एग्जामिन करवाने के बाद ही मैं ठोस जवाब दे सकूंगा कि इसको कब तक बनाया जायेगा। इसमें 80 हजार की आबादी पड़ती है। हमारी सरकार जहां-जहां जरूरत होती है वहां-वहां सड़कें बनाती है।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला-जगाधरी रोड टू अम्बाला-हिसार रोड

मुलाना और नग्गल दोनों हल्कों से होकर गुजरता है। दो साल हो गये इस रोड पर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वाईडनिंग और स्ट्रैंथनिंग का काम शुरू हुआ था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सड़क पर बहुत बिलो क्वालिटी काम हुआ है और काम पूरा भी नहीं किया गया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक यह रोड बना दिया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जगाधरी-अम्बाला रोड अप टू अम्बाला-हिसार रोड पर कार्य चल रहा है। इस पर 7.90 करोड़ रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने बिलो क्वालिटी वर्क का जिक्र किया है इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम इसकी जांच करवायेंगे और क्वालिटी में कमी होगी तो जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो उसे बख्शा नहीं जायेगा।

Upgradation of P.H.C. Naultha to C.H.C.

***991. Smt. Parsanni Devi :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Primary Health Centre, Naultha in district Panipat to Community Health Centre ; if so, the time by which the said P.H.C. is likely to be upgraded ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : हां श्रीमान जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौल्था का दर्जा बढ़ाकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करना सरकार के विचाराधीन है। समय सीमा नहीं दी जा सकती। माननीय स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय बहिन जी को यह भी बताना चाहूंगी कि यह बात बिल्कुल सच है कि पी०एच०सी०, नौल्था को सी०एच०सी० का दर्जा दिये जाने की प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है लेकिन इसकी समय सीमा इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जमीन देने के लिए पंचायत का रेजोल्यूशन तो हमारे पास आ चुका है लेकिन वह जमीन अभी तक स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर सर, इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि जमीन तो ये जितनी भी चाहें उतनी मिल सकती है और अगर ये चाहें तो और भी ज्यादा मिल सकती है जमीन की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि मेरे हल्के में पी०एच०सी०, सींक, सी०एच०सी० मांडी किसी में भी पूरा स्टाफ नहीं है। सींक में तो एक डॉक्टर है और वह भी डैपूटेशन पर है। सी०एच०सी० अहल में भी इस तरह से एक दो डॉक्टर ही रहता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह डॉक्टरों की कमी कब तक पूरी हो जायेगी?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, यह सवाल पहले भी इस सदन में आ चुका है। तब भी मैंने बताया थ कि 232 डॉक्टरों के पद इस समय खाली हैं। उनको भरने के लिए हमने रिकूवीजीशन एच०एस०एस०सी० को भेजी हुई है। कमीशन द्वारा इन पदों की एडवरटाईजमैंट भी की जा चुकी है और जैसे ही एच०एस०एस०सी० से सिलैक्शन लिस्ट हमारे पास आयेगी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी डॉक्टरों के खाली पदों को भरा जाये। इसके साथ ही एक खुशी की बात यह भी है और मैं याद भी दिलाना चाहूंगी कि माननीय वित मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो यह आश्वासन दिया है कि डॉक्टरों के वेतनमान पंजाब से ज्यादा हरियाणा में होंगे। इससे पहले यह भी एक कारण था कि वेतनमान कम होने की वजह से भी डॉक्टर नौकरी मिलने पर हरियाणा से नौकरी छोड़कर दिल्ली या पंजाब में चले जाते थे और हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी हो जाती थी। अब अगर वेतनमान दिल्ली और पंजाब के बराबर हो जायेंगे या उनसे ज्यादा हो जायेंगे तो फिर डॉक्टर हरियाणा से नौकरी छोड़कर बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कैथल में एक बहुत बड़ा गांव है उसका नाम है गुणा। क्या वहां पर पी०एच०सी० खोलने का सरकार का कोई प्रोग्राम है और अगर है तो क्या इसी साल में उसे शुरू करवायेंगे?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि अगले साल में 10 पी०एच०सीज० और 12-13 नये सी०एच०सीज० अपग्रेड करने का सरकार का विचार है। माननीय सदस्य ने अभी लिखकर दिया है अगर यह गांव नॉर्म पूरे करता होगा तो हम वहां पर भी जरूर पी०एच०सी० बनायेंगे।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कांटी और बाछौद में पी०एच०सी० मंजूर हुई थी उन पर कब तक काम शुरू हो जायेगा? इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अटेली मंडी के लिए 50 बैड का हॉस्पिटल अनाऊंस किया था उस पर कब तक कार्यवाही शुरू हो जायेगी?

बहिन करतार देवी : माननीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है इस बारे में इनको बताना चाहूंगी कि अभी 39 स्थानों पर काम चालू है और नये बजट में जो पैसा स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्धारित हुआ है उसके मुताबिक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अनाऊंसमैंट है उनको पूरा करने के लिए हम कमीटिड हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी ऐसी कमिटमैंट नहीं करते जो पूरी न हो सकती हों इसलिए अगले साल में जरूर उन पर काम शुरू हो जायेगा।

Position of Staff in P.H.Cs

***996. Sh. Bharat Singh Beniwal :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) the position of the staff in Primary Health Centres of Nathusari Chaupta, Darbakalan, Ding and Randhawa togetherwith the number of posts lying vacant alongwith the time since when the said posts are lying vacant ;

(b) the names of the Sub Health Centres which are functioning under the Primary Health Centres mentioned in part(a) above togetherwith the details of vacant and filled up posts in these Sub-Health Centres ; and

(c) whether the Primary Health Centre Darbakalan mentioned in part(a) above has its own building ; if not, the name of place where the said Primary Health Centre is functioning at present and whether there is any proposal under Consideration of the Govt. to construct the building for the said Primary Health Centre ; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : श्रीमान जी,

(क) सूचना सदन के पटल पर रखी है।

(ख) सूचना सदन के पटल पर रखी है।

(ग) नहीं, श्रीमान जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दड़बाकलां का सरकारी भवन नहीं है। वर्तमान में यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गए पंचायत भवन में कार्य कर रही है। यहां पर सरकारी भवन बनाने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सूचना

नाथूसरी चौपटा, दड़बांकलां, डींग तथा रंधावा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अमले की स्थिति

क्रम संख्या	पद का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम															
		नाथूसरी चौपटा				दड़बांकलां				डींग				रंधावा			
		स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	जिस तिथि से पद रिक्त है	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	जिस तिथि से पद रिक्त है	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	जिस तिथि से पद रिक्त है	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	जिस तिथि से पद रिक्त है
1	चिकित्सा अधिकारी	2	--	2	11.9.07	2	1	1	पिछले चार वर्ष से	2	1	1	1.12.07	2	2	--	--
2	दन्तक सर्जन	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	दन्तक मैकेनिक	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	औषधाकारक	1	1	--	--	1	1	--	--	1	1	--	--	1	1	--	--
5	स्टाफ नर्स	1	--	1	7.3.2008	1	--	1	1.3.2002	1	1	--	--	--	--	--	--
6	लैब टैक्निशियन	1	--	1	21.1.08	1	--	1	11.7.03	1	--	1	2.6.01	1	--	1	12.5.04
7	एम.पी.एच.एस. (एम.)	1	--	1	2005 से	1	--	1	2005 से	1	--	1	2005 से	1	--	1	2005 से
8	एम.पी.एच.डब्ल्यू. (एफ)	1	1	--	--	1	1	--	--	1	1	--	--	1	1	--	
9	एम.पी.एच.एस. (एफ)	1	--	1	2003 से	1	--	1	2003 से	1	--	1	2003 से	1	--	1	2003 से
10	चतुर्थ श्रेणी	--	--	--	--	1	1	--	--	3	3	--	--	--	--	--	--

सूचना

नाथूसरी चौपटा, दड़बाकलां, डींग तथा रंधावा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अमले की स्थिति

क्रम संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	एम.पी.एच.डब्ल्यू (एम)				एम.पी.एच.डब्ल्यू (एफ)				एम.पी.एच.एस. (एफ)			
			स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	जिस तिथि से पद रिक्त है	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	जिस तिथि से पद रिक्त है	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	जिस तिथि से पद रिक्त है
1.	नाथूसरी चौपटा	चाहरवाला	1	1	--	--	1	1	--	--	1	--	1	2003 से
		कमंधाना	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
		नाथूसरी कलां	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
		लूडेसर	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
		नहराना	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
		सहारपूरा	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		कुमारियां	1	--	1	2.12.07	1	--	1	2007 से	--	--	--	--
		हंजीरा	1	--	1	2.6.07	1	1	--	--	--	--	--	--
		शाहपुरिया	1	--	1	23.1.07	1	1	--	--	--	--	--	--
		रामपूरा डिहलों	--	--	--	--	1	--	1	2007 से	--	--	--	--
2.	दड़बाकलां	दड़बाकलां	1	1	--	--	1	1	--	--	1	--	1	2003 से
		जमाल	1	--	1	16.2.07	1	1	--	--	--	--	--	--
		रूपावास	1	--	1	25.2.07	1	1	--	--	--	--	--	--
3	डींग	डींग	1	1	--	--	1	1	--	--	1	--	1	2003 से
		करनवाली	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
		मकू शेरान	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
		शेरान	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
		साहूवाला-2	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
		जोधखान	1	--	1	9.4.07	1	1	--	--	--	--	--	--
		शेरपुरा	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
4	रंधावा	रंधावा	1	--	1	23.12.07	1	1	--	--	1	--	1	2003 से
		नागियाखेड़ा	1	--	1	12.5.07	1	1	--	--	--	--	--	--
		दुखड़ा	1	--	1	17.7.07	1	1	--	--	--	--	--	--
		डींग टोनियां	1	--	1	16.2.07	1	1	--	--	--	--	--	--

सम्माननीय स्पीकर सर, यह भी ऐसा ही क्वैश्चन है जैसा पिछला क्वैश्चन है। इसलिए इसके साथ-साथ मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को मैं यह भी बताना चाहती हूं कि डॉक्टरों की कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 232 डॉक्टरों के पदों की एडवरटाईजमैंट आ चुकी है और जैसे ही एच०एस०एस०सी० से सिलैक्शन लिस्ट आ जायेगी तो डॉक्टरों के सभी खाली पदों को भरने की पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री भरत सिंह बेनीवाल : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे दड़बां कलां में अगर डिस्पैंसरी चल रही है तो वह कहां पर चल रही है? अगर नई बनाई जा रही है तो कब तक बनाई जायेगी और नाईं डिस्पैंसरी में अगर कोई डॉक्टर है तो वह बतायें, चौथा डिस्पैंसरी में है तो वह बतायें और डींग डिस्पैंसरी में है तो वह बतायें क्योंकि वहां पर 60 किलोमीटर के अन्दर कोई डॉक्टर नहीं है। वहां कम्पाऊंडर रहते हैं कोई डॉक्टर नहीं है और अगर वहां पर कोई डॉक्टर है तो उसका नाम क्या है?

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Allotment of Land to the Tenants

***989. Sh. Amar Chand Makkar :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the poor persons have been farming on Government land in Hansi Bir farms since 1914 and these tenants have repeatedly requested the Haryana Government to allot said land to them ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to allot the above land to aforesaid tenants ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

1200 M.W. Thermal Power Plant to be set up in Private Sector

***998. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the name of the companies which participated in the bidding of the proposed 1200 MW Thermal Power Plant to be set up in private sector on the lands of Khanpur Khurd & Khanpur Kalan in Jhajjar Distt.;

[Sh. Karan Singh Dalal]

(b) the terms and conditions of awarding the bids ; and

(c) whether the acquired land will be the ownership of the State Govt. or of the company ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) जिला झज्जर में निजी क्षेत्र में लगाए जा रहे 1320 मैगावाट के ताप विद्युत संयंत्र के लिए बोलियां देने की शर्तें, भारत सरकार द्वारा मानक बोली दस्तावेजों के रूप में जारी की गई, समय-समय पर संशोधित तथा हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) द्वारा अनुमोदित, ठेके प्रदान करने की शर्तों के अनुसार हैं।

(ग) अर्जित भूमि पर स्वामित्व इस परियोजना के लिए गठित स्पैशल परपज व्हीकल (SPV) का रहेगा, जोकि बाद में चयनित बोलीदाता के द्वारा अभिग्रहित कर लिया जाएगा।

विवरण

निजी कम्पनियों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए बोली की प्रक्रिया को दो भागों में बांट दिया गया, बोलीदाताओं की तकनीकी योग्यता के लिए रिक्वैस्ट फार क्वालीफिकेशन (RFQ) आमंत्रण और उसके बाद योग्य पाये गये बोलीदाताओं से रिक्वैस्ट फार प्रोपोजल (RFP) आमंत्रण। 19 कम्पनियों ने रिक्वैस्ट फार क्वालीफिकेशन (RFQ) प्रस्तुत किए। इन 19 बोलीदाताओं में से 11 बोलीदाताओं को रिक्वैस्ट फार क्वालीफिकेशन (RFQ) के लिए योग्य पाया गया। तत्पश्चात् हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के अनुमोदन से 24.12.07 को उपरोक्त 11 बोलीदाताओं को रिक्वैस्ट फार प्रोपोजल (RFP) दस्तावेज जिसमें बोली की शर्तें उपलब्ध थीं, जारी किए गये। 10.3.08 को निम्नलिखित 3 बोलीदाताओं ने अन्तिम बोलियां प्रस्तुत की --

1. मैसर्ज सी०एल०पी० पावर इण्डिया प्रा०लि०, ईस्ट मुम्बई
2. मैसर्ज लैंको इनफ्राटैक लि०, हैदराबाद
3. मैसर्ज टौरैन्ट पावर लि०, अहमदाबाद

नियम 64 के अधीन वक्तव्य

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाईनैंस एंड पॉलिसी हिन्दुस्तान, भारत में एक इंडिपैंडैंट ऑर्गेनाईजेशन है जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न

प्रांतों की क्या स्थिति है, निवेश, निवेश की गति, प्रति व्यक्ति आय, ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्ट और दूसरे आर्थिक प्रगति के आंकड़े विभिन्न राज्यों के समय-समय पर देखते हैं। इस संस्थान का आर्थिक जगत में अपना एक स्थान है। अध्यक्ष महोदय, आज के इंडियन एक्सप्रैस अखबार में जो उसकी सीनियर फैलो हैं उनका एक आर्टिकल छपा है। यह पूरे प्रांत के लिए गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को बताना चाहूंगा। उन्होंने एक लिस्ट छापी है जिसमें यह बताया गया है कि पूरे देश के अन्दर आज से तकरीबन 10 साल पहले दिसम्बर, 1997 में प्रति व्यक्ति निवेश 8450 रुपये था और दिसम्बर, 2007 में 10 साल के बाद प्रति व्यक्ति निवेश 22669/- रुपये है। उसके बाद उन्होंने प्रान्तवाईज यह फिग्गर्स दी हैं। उसमें खुशी की बात यह है कि उनमें पहले नम्बर पर जिस प्रान्त का नाम है वह हरियाणा प्रान्त है और प्रति व्यक्ति निवेश की दर 78710/- रुपये दिखाई गई है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही इंट्रैस्टिड बात यह है कि उन्होंने टॉप 20 स्टेट्स दिखाये हैं जिनमें हरियाणा तो नम्बर एक पर है ही उस पूरे चार्ट में आखिर में रहने वाली 5 स्टेट ऐसी हैं जिनमें गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। मैं उनके नाम बताना चाहूंगा। सबसे पीछे है बिहार जिसकी प्रति व्यक्ति निवेश दर 3081/- है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश 4722/- है और वहां पर इस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार है और उससे पहले मुलायम सिंह जी की सरकार थी। असम की प्रति व्यक्ति निवेश 7502/- रुपये है और वहां पर कांग्रेस की ही सरकार है। उससे नीचे नंबर 17 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति निवेश दर 8743/- रुपये है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मध्यप्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर प्रति व्यक्ति निवेश दर 13035 है और यह 16वें स्थान पर है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि जे०डी०यू० की सरकार है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा लेकिन जे०डी०यू० के साथ भारतीय जनता पार्टी भी एलायंस में है। अध्यक्ष महोदय, यह दर कैसे बढ़ी इसके बारे में भी चर्चा की गई है और मैं इस बारे में चन्द लाईनों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। It says—

> " The Change in investment per capita over the last five years is roughly a measure of the capabilities of the administration and political leadership of the State."

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सूचकांक की सबसे बड़ी इंडिपैंडैंट संस्था ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार के लिए यह लिखा है Speaker Sir, I repeat it again. It says—

> " The Change in investment per capita over the last five years is roughly a measure of the capabilities of the administration and political leadership of the State. Speaker Sir, leadership of these five States has done a good job of attracting investment and facilitating the implementation of investment plans over the last five years."

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

वह तो उन्होंने 5 साल का बताया है और प्रति व्यक्ति निवेश आप देखिये 40 साल में प्रति व्यक्ति निवेश केवल 40 हजार करोड़ रुपये हुआ और 3 साल में जब से हुड्डा साहब की सरकार आई है, हरियाणा में 32 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 68 हजार करोड़ रुपये का निवेश पाईपलाईन में है। अध्यक्ष महोदय, एक समय वह भी था जब उद्योग हरियाणा से पलायन करते थे और इनने तो पांच साल के आंकड़े तीन साल के शासनकाल में बदल कर रख दिये हैं। (विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनें। (विघ्न)

Mr. Speaker : Sita Ram Ji, Parliamentary Affairs Minister is making a statement in Zero Hour. आप लोग इनको डाईवर्ट कर रहे हैं। Whether you are endorsing the statement or denying it? डॉ० साहब, आप यह बताएं कि Whether you are endorsing it?

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि पिछले पांच साल का डैटा आया है जिसमें दो साल का हमारे समय का भी है। स्पीकर सर, मैं यह बात कह रहा था कि स्टेट पहले सैकिण्ड पोजीशन पर थी और अभी भी सैकिण्ड पर ही है। अभी हरियाणा स्टेट देश में पहले नम्बर पर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप एक बात बताएं कि आप स्टेट की प्रोग्रैस से खुश हैं या नाराज हैं? (विघ्न) आप हां या ना में जवाब दें (विघ्न एवं शोर) पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर स्टेट की प्रोग्रैस बता रहे हैं, स्टेट की लीडरशिप की बात कर रहे हैं और आप लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। (विघ्न एवं शोर)।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय साथियों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने पांच साल का जिक्र किया है। जहां तक पर कैपिटा इन्कम का ताल्लुक है, जब से हमारी सरकार बनी है हमने जो प्रगति की है उसके बारे में यह इस ऐजैंसी की रिपोर्ट है। हम देश में 13वें या 14वें नम्बर पर थे और आज हम देश में नम्बर वन स्टेट हैं। हम पिछले तीन साल के अरसे में ही 14वें स्थान से पहले स्थान पर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पांच साल के बारे में कह रहे हैं जबकि यह इस ऐजैंसी की ओवर ऑल स्टेटमैंट है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम हो उसमें समय तो लगता ही है। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छी शुरूआत की है। There is no doubt in it but initiation was taken by our government headed by Shri Om Parkash Chautala also.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि इन लोगों की समझ में यह बात नहीं आती कि हरियाणा स्टेट ने अभूतपूर्व तरक्की की है। यह तरक्की केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं की है बल्कि इसमें सबका सहयोग है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह हो पाया है, यही बात मैं कहने का प्रयास कर रहा

हूं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फरमाया है। मैंने तीन साल के आंकड़े और गणित देकर आपको बताया है कि 32 हजार करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट तीन साल में हुई है और 40 साल में 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश था। स्पीकर सर, आंकड़े अपनी कहानी भी कहते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो पाईपलाईन में 68 हजार करोड़ रुपये हैं वह अलग से है। 33 हजार करोड़ रुपये on ground आ चुके हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि another 65 to 68 thousand crore is in pipeline. स्पीकर सर, अगर हम विशेष आर्थिक जोन का निवेश भी इसमें लगा लें तो वह बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा इसके आंकड़े तो हम इस में दे ही नहीं रहे हैं। हम हरियाणा स्टेट को देश में 14वें नम्बर से पहले नम्बर पर लेकर आए हैं। स्पीकर सर, यह ऐसा पहला बड़ा इन्स्टीच्यूट नहीं है यह दूसरा इन्स्टीच्यूट है जिसने इस पर फिर मुहर लगाई है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, डॉ० साहब कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश दूसरे नम्बर पर है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि ये अपने प्रान्त को नम्बर एक से दूसरे नम्बर पर ले जाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं हम तो 14वें नम्बर से खींच कर एक नम्बर पर लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इस हाउस को एश्योर करते हैं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बाकी सूचकांक में भी यह प्रान्त एक नम्बर की तरफ अग्रसर रहेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि हरियाणा स्टेट देश भर में नम्बर एक पर आए। अगर सरकार कहीं पर कोई गल्तियां करती हैं तो हमारा काम सरकार को इस बारे में बताना है। अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो आवर के अन्दर एक मुद्दा उठाना चाहता हूं क्योंकि अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि हरियाणा प्रदेश में जेलों के अन्दर जो मैडिसन्ज परचेज की जाती हैं उनमें बहुत सी इररैगुलैरिटीज हुई हैं जिसके कारण स्टेट एक्सचैकर को भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में तीन जेलों के नाम हैं हिसार, अम्बाला और एक और जेल है जिनके नाम इसमें लिए गए हैं। यह ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सदन को अवगत करवाए।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, अगर आपने यह खबर पढ़ी थी तो you should have given the notice of calling attention motion before 9.00 A.M. in the morning hours when the office is opened. अगर ओपोजीशन के मैम्बर्ज किसी विषय पर कोई कॉलिंग अटैंशन मोशन देना चाहते हैं तो विधान सभा कार्यालय में इस बारे में लिख कर दे सकते हैं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, कॉलिंग अटैंशन मोशन जो हमने पहले दी हैं उनमें से हमारी कोई भी कॉलिंग अटैंशन मोशन मंजूर नहीं हुई। किडनी काण्ड के बारे में हमने

[डॉ० सीता राम]

कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था उसका क्या हुआ? मैंने जो लिख कर दिया था वह भी आपने एक्सैप्ट नहीं किया था। स्पीकर सर, जीरो आवर में हम कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। हमने जो लिखित में दिया था आपने उसको भी ऐक्सैप्ट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप प्लीज बैठें। Please take you seat (interruptions) ऐसा है कि जैसे आपको गवर्नर ऐड्रैस पर बोलने का टाईम मिला और बजट पर भी आपको बोलने का टाईम मिला था, कल प्राईवेट मैम्बर्ज डे था जिसमें नॉन ऑफिशियल बिजनैस भी था। यदि आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात कहना चाहते हैं तो उसमें भी आप बोल सकते थे। I will allow you and I will give you plenty of time. डॉ० साहब, यह सदन है इसकी एक गरिमा है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। यह सदन कांस्टीच्यूशन पर बेसड है और जनता का मन्दिर है। इस कांस्टीच्यूशन को बनाने के लिए लोगों ने पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि देश के संविधान के तहत आप सदन की गरिमा को बनाए रखें। मैं आपका कस्टोडियन हूं, मैं आपको बोलने का समय दूंगा, प्लैन्टी ऑफ टाईम दूंगा। आप जो चाहे बोलना, एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना, डिमाण्डज़ पर बोलना। आप स्पैसिफिकली बार-बार एक ही बात को उठाओ, यह ठीक नहीं लगता है। अब आपने सुबह एक कालिंग अटैंशन मोशन दी थी और उस पर लिखा था 'किडनी की गूंज'। मैंने ऊपर देखा कि कहीं कोई तरेड़-तुरेड़ तो नहीं आ गई। आपकी एक कालिंग अटैंशन मोशन थी, It was rejected because it is subjudice. It is also under the CBI investigation and it cannot be discussed in the House. इस बारे में मैंने सदन में एक स्पैसिफिक रूलिंग दी थी। आप यहां से जाकर प्रैस में जाते हो और वहां पर एक गूंज उठा देते हो। उस गूंज को करने की बजाए आप यहां पर गूंजो। आप यहां पर गूंज लगाओ। (शोर एवं व्यवधान) सस्ती लोकप्रियता में कुछ नहीं रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जो सी०बी०आई० है यह सिर्फ जांच एजैंसी है। कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा है। एच०पी०एस०सी० से जो रिलेटिड मामला था वह हमारे द्वारा सदन में उठाया गया था। उस समय आपकी रूलिंग कहां गई थी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, सढ़ौरा साहब, आप डिमांड पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढ़ौरा : स्पीकर सर, आप कस्टोडियन ऑफ दि हाउस हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपसे एक सम्मानित सदस्य बोलने के लिए इजाजत मांग रहा था और आपने उस बात पर 10 मिनट का भाषण दे दिया। आप हमें अपनी एक बात उठाने के लिए भी समय नहीं देते हैं। आज इसको सारा सदन देख रहा है, सारा हरियाणा प्रदेश देख रहा है और सारी प्रैस देख रही है। यहां पर सभी सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं। ये 90 के 90 सदस्य चुन कर आए हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपके कहने की और हमारे कहने की बात नहीं है, इसको सारी दुनिया देख रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सढ़ौरा जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सब देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) एक मिनट, आप सब मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान) Please take your

seat. (शोर एवं व्यवधान) एक मिनट ! (शोर एवं व्यवधान) I will not allow you to speak. (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर इन्दौरा जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हो, पार्लियामैंट में भी रहे हो । मैं आपको बताना चाहूंगा कि It is first time in the History of Haryana that full day was given for discussion on demands, which has never happened कि डिमाण्डज़ पर डिस्कशन हुई हो । आपके पास पूरी अपोरचूनिटी थी कि आप बोलें । (शोर एवं व्यवधान) लेकिन आप तो बोलना ही नहीं चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान) सिर्फ सुर्खियों के लिए और सस्ती लोकप्रियता पाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं है और न ही आपके पास टाईम है । (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको बोलने का पूरा टाईम दूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढ़ौरा : स्पीकर सर, आप अपनी अन्तरआत्मा से पूछें कि इसके लिए कौन दोषी है । आप हमें बोलने नहीं देना चाहते हैं (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : आप हमें बोलने दें । हमें अपनी बात कहने तो दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आज हैल्थ के बारे में डिमाण्ड है आप उस पर बोल सकते हो । (शोर एवं व्यवधान) आप उस पर बोलते हुए लीवर पर बोल सकते हो, लंग्ज़ पर बोल सकते हो, हार्ट के बारे में बोल सकते हो । (शोर एवं व्यवधान) आप बॉडी के किसी भी पार्ट के बारे में बोल सकते हो । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हम किसी जरूरी मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, इस बारे में हम आपकी रूलिंग चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी रूलिंग यही है कि आप जो भी बोलना चाहते हैं, उस बारे में आप डिमाण्ड पर बोल सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप within the limit बोल सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, आप बोलें ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा है और मैं भी यह कहना चाहता हूं हम सदन की गरिमा का पूरा ध्यान रखते हैं । हमारी कभी भी यह सोच नहीं है कि हम सदन की गरिमा को बिगाड़ें । हम भी यही चाहते हैं कि अच्छे काम हों । हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लोकहित की बात करें । अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से नोटिस दे रहा हूं । पार्लियामैंट में प्रैक्टिस रही है जो कि हमारे यहां पर भी है कि शून्य काल में जितने भी नोटिस आप देंगे उनमें से जो भी पहले 15 नोटिस आएंगे उन पर सुनवाई होगी । हमने आपसे हाथ खड़े करके बोलने की इजाजत

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
मांगी कि हमें शून्य काल में कुछ बोलने की इजाजत दी जाए लेकिन आपने हमें बोलने का समय नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने परम्परा के आधार पर लगातार दो दिन नोटिस दिया कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और उनके बारे में सरकार सदन में अपना जवाब दे दे। बस हम यही चाहते थे। हमारा सदन की गरिमा को बिगाड़ने का मकसद नहीं है, हमारा आचरण तो सदन को ठीक से चलाने का है। स्पीकर सर, आप हमारे कस्टोडियन हैं, इस बारे में आपने अभी कहा भी है लेकिन यह जो पूंछ उठाकर बन्दरों की तरह गालियां निकालना, यह शोभा नहीं देता है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, सदन के नेता यहां पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूंगा कि हमारा पूरा कोआप्रेशन इनके साथ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे शब्द कल ही कार्यवाही से निकाल दिए गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम कोआप्रेशन में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप सभी ऐसे ही बोले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्या आप जाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) I will give you plenty of time and I will extend the House, अगर आप बोलेंगे तो। (शोर एवं व्यवधान) मेरे साथ कोई प्रोब्लम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आपको मर्यादा में ही सदन में बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं लेकिन ये जो अलंकार प्रयोग होते हैं, यह एक गलत तरीका है। (शोर एवं व्यवधान) आप हमारे से उम्र में बड़े हैं और हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हो सकता है हम भी कल उस कुर्सी पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) हो सकता है उस कुर्सी पर भी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसके लिए तो आप ड्राइंग रूम में झंडा गाडकर फूंक मारियो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, फिर वही बात आ गई। क्या पता हम किसको फूंक मारेंगे।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब मुझे भी पता है मैं भी पोलिटिकल आदमी हूं। मैं भी इस चेयर के अलावा सारी बातों को जानता हूं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब यह फैसला तो जनता करेगी। हाउस में जनता की बात ही की जानी चाहिए।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, यह तो प्रजातंत्र है इसमें पता नहीं कौन किधर आ जाए।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप बड़े पढ़े लिखे जिम्मेवार सदस्य हैं कृपया आप बिजनैस पर आएं। मैं आपको बोलने के लिए अलाऊ करूंगा (शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आपको हमने कालिंग अटैंशन मोशन के कई नोटिस दिए हुए हैं उनका आपने क्या फैसला लिया है? मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन स्कारसिटी ऑफ वाटर इन गुड़गांव सिटी दिया था। (शोर)

श्री अध्यक्ष : इस कालिंग अटैंशन के बारे में आपको पहले भी बताया था कि वह अंडर कंसिडेरेशन है लेकिन फिर भी पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने उसके बारे में सारी स्थिति हाउस में स्पष्ट कर दी थी लेकिन उससे पहले आप सदन से वाक आउट करके चले गए थे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मैंने भी किडनी स्कैण्डल इन हरियाणा के बारे में एक कालिंग अटैंशन दिया था उसका आपने क्या फैसला लिया है?

श्री अध्यक्ष : वह डिसअलाऊ कर दी गई है क्योंकि यह मामला सबजुडिस है।

वाक-आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, स्कारसिटी ऑफ वाटर इन गुड़गांव सिटी के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आऊट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आऊट कर गए)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, मैं आज फिर उस बारे में स्थिति बता देता हूं। इनको आप कहें ये सदन में बैठ कर मेरी बात को सुनें। ये पहले भी उस दिन वाक-आउट करके चले गए थे लेकिन फिर भी मैंने उस दिन इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी थी। ये अपनी-अपनी सीट पर बैठें मैं इनको उस बारे में पोजीशन बता देता हूं। स्पीकर साहब, इस बारे में हमने वहां पर जो प्रयास किए हैं वे मैं आपकी इजाजत से बताना चाहूंगा। गुड़गांव में वाटर सप्लाई इसलिए डिसरप्ट हो गई क्योंकि गुड़गांव कैनाल में ब्रीच हो गया था और वह ब्रीच पीछे कर लिया गया था। गुड़गांव सिटी की वाटर सप्लाई स्कीम के वाटर टैंक में दो तीन दिन की वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी है। गुड़गांव कैनाल में ब्रीच होने की वजह से वह डिसरप्ट हो गई थी। इस बारे में ज्यों ही मुख्यमंत्री जी को पता लगा इन्होंने 21 तारीख की रात को ही सारे अधिकारियों को बुला लिया था। स्पीकर साहब, अपोजीशन के सदस्यों को इसमें कोई रुचि नहीं है कि गुड़गांव सिटी में क्या सुविधा है क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी ने 21 और 22 तारीख की रात को जो बैठक बुलाई उसमें चीफ सैक्रेटरी और मुख्तलिफ अधिकारी मौजूद थे। उस बैठक में जो फैसला लिया गया वह मैं बता देता हूं। गुड़गांव कैनाल में भविष्य में ब्रीच न हो उसके लिए वहां पर परमानैंट पुलिस पोस्ट बना दी गई है। कैनाल के अन्दर ब्रीच करने वाले लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर पैट्रोलिंग की व्यवस्था कर दी गई है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। बाकी सारी बातें मैंने उस दिन बता दी थीं उनको दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the table of the House.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/01/2004, dated the 12th April, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/02/2004, dated the 12th April, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/03/2004, dated the 12th May, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/04/2004, dated the 16th July, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/05/2004, dated the 10th August, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/06/2004, dated the 31st August, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/07/2004, dated the 30th November, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/08/2004, dated the 23rd December, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/09/2004, dated the 28th December, 2004 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/10/2005, dated the 6th January, 2005 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/11/2005, dated the 19th May, 2005 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/12/2005, dated the 26th July, 2005 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/13/2005, dated the 27th December, 2005 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2005-2006, as required under section 104(4) and 105(2) of the Electricity Act, 2003.

The Annual Report of the Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 1998-1999, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of the Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 1999-2000, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of the Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 2000-2001, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 33rd Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 2006-2007, as required under section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 40th Annual Report & Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited Chandigarh for the year 2006-2007, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना

(i) कमेटी ऑन सुबोर्डिनेट लैजिशलेशन की 37वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Prof. Chhatar Pal Singh (Chairperson, Committee on Subordinate Legislation) will present the Thirty Seventh Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2007-2008.

Prof. Chhatar pal Singh (Chairperson, Committee on Subordinate Legislation) : Sir, I beg to present the Thirty Seventh Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2007-2008.

(ii) कमेटी ऑन गवर्नमैंट अश्वेरैंस की 37वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Naresh Kumar Pardhan (Chairperson, Committee on Government Assurances) will present the Thirty Seventh Report of the Committee on Government Assurances for the year 2007-2008.

Shri Naresh Kumar Pardhan (Chairperson, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Thirty Seventh Report of the Committee on Government Assurances for the year 2007-2008.

(iii) कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स की 62वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri S.S. Surjewala (Chairperson, Committee on Public Accounts) will present the Sixty Second Report of the Committee on Public Accounts

for the year 2007-2008 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended (i) 31st March, 2002 (Revenue Receipts) (ii) 31st March, 2003 (Civil).

Shri S.S. Surjewala (Chairperson, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present the Sixty Second Report of the Committee on Public Accounts for the year 2007-2008 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended (i) 31st March, 2002 (Revenue Receipts) (ii) 31st March, 2003 (Civil).

(iv) कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 54वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, I.G. Sher Singh (Chairperson, Committee on Public Undertakings) will present the Fifty Fourth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2007-2008 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2003-2004 and 2004-2005 (Commercial).

I.G. Sher Singh (Chairperson, Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present the Fifty Fourth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2007-2008 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2003-2004 and 2004-2005 (Commercial).

(v) कमेटी ऑन एस्टिमेट्स की 37वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Anand Singh Dangi (Chairperson Committee of Estimates) will present the Thirty Seventh Report of the Committee on Estimates for the year 2007-08 on the Budget Estimates for 2007-08 Rural Development Department & Commerce Department.

Shri Anand Singh Dangi (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Thirty Seventh Report of the Committee on Estimates for the year 2007-08 on the Budget Estimates for 2007-08 Rural Development Department & Commerce Department.

(vi) कमेटी ऑन दि वैल्फेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राईब्ज एंड बैकवर्ड क्लासिज की 31वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Smt. Raj Rani Poonam, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Thirty First Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2007-08.

श्रीमती राजरानी पूनम (चेयरपर्सन, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति) : स्पीकर सर, मैं वर्ष 2007-2008 की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बनी समिति की 31वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करती हूं।

(vii) कमेटी ऑफ हरियाणा विधान सभा टू एग्जामिन दि फिग्गर्ज ऑफ वेव्ड लोन्ज ऑफ फार्मर्ज इन हरियाणा की रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Mange Ram Gupta, Chairperson, Committee of Haryana Vidhan Sabha to examine the figures of waived loans of farmers in Haryana

[Mr. Speaker]

will present the Report of the Committee of Haryana Vidhan Sabha to examine the figures of waived loans of farmers in Haryana.

Shri Mange Ram Gupta (Chairperson, Committee of Haryana Vidhan Sabha to examine the figures of waived loans of farmers in Haryana) : Sir, I beg to present the Report of the Committee of Haryana Vidhan Sabha to examine the figures of waived loans of farmers in Haryana.

हरियाणा के किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़ों की जांच के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : आपने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी है तो आप उस बारे में क्या कहेंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, यह मामला मेरी पार्टी से संबंधित है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथी श्री ईश्वर सिंह पलाका जो कि इस कमेटी के सदस्य हैं, वे भी हकीकत को सामने रखें।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सर, खुद जो सदस्य हैं वे इस बारे में क्यों नहीं बोलते।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि मीटिंग में चर्चा हुई थी उसके अनुसार यह बात हुई थी कि जो आंकड़े माननीय चौटाला साहब ने आपसे कहे थे, उनकी क्लेरिफिकेशन करने के लिए माननीय चौटाला साहब नहीं आए थे। उन्होंने करैक्शन के लिए विधान सभा की प्रोसीडिंग मांगी थी। विधानसभा के नियमानुसार प्रोसीडिंग को करैक्ट करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। जो उस वक्त मीटिंग में चर्चा की गई उसमें माननीय मंत्री जी के आंकड़े भी गलत पाए गए थे जो कि हरियाणा प्रदेश के लोन से संबंधित थे। चौटाला साहब के आंकड़ों की क्लेरिफिकेशन करने की बात कही गई थी। स्पीकर सर, करैक्शन के 15 दिन के बाद ही प्रोसीडिंग की कॉपी वापस भेजी जाती है। यह विधान सभा का नियम भी है कि विधान सभा की तरफ से माननीय सदस्यों के पास प्रोसीडिंग की कॉपी भेजी जाती है और वह करैक्शन होकर वापस आती है उसके बाद रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए और सदन में यह कमेटी बनी है इस पर यहां चर्चा का सवाल ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : कई बार प्रिंट का मिस प्रिंट हो जाता है। गलती किसी से भी हो सकती है। प्रैस से हो सकती है किसी से भी हो सकती है। एक बात मैं आपको बताऊं। सैकिण्ड वर्ल्ड वार में एक सैंटैंस में एक जगह कौमा लगा दिया गया। एक सैंटैंस था कि रोको उसके बाद कोमा लगा दिया मत जाने दो परन्तु वहां कौमा लग गया मत के बाद और सैंटैंस हो गया रोको मत, जाने दो और उस कौमे से सारा सैंटैंस ही उल्टा हो गया। ऐसे मामले में छोटी-छोटी बारीकियों पर जाना उचित नहीं। जो हो गया सो हो गया।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, कमेटी उसके बाद ही कोई निर्णय दे एक पक्ष की सुनकर तो नहीं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अपनी बात कहना चाहता हूं, अगर पलाका साहब ने अपनी बात कह दी तो ही मैं अपनी बात कहना चाहूंगा because he is on his legs. अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय पलाका जी उस कमेटी के सदस्य थे। अब कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने है और कमेटी ने जो आंकड़े अफर्म भी किए हैं जो वहां पेश भी किए गए थे। अब दूध का दूध और पानी का पानी सदन के सामने है। इस पर चर्चा सदन के अन्दर करना इसलिए भी आवश्यक है कि इस सदन के अन्दर जो कहा जाता है वह स्पष्ट और सही कहा जाए। अगर आदमी सदन में आए तो सदन में यहां लिखा भी है कि यहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपने दो रिफरैंसिज किये थे कि वर्ष 1987 के अन्दर कितना लोन वेव ऑफ हुआ। वे आंकड़े यहां पर आ गये हैं बड़े स्पष्ट हैं और यह भी कहा गया कि बगैर किसी शर्त के लोन वेव हुआ था। सर, तीन शर्तें लगाई गई थी अब यह सामने आया है। वर्ष 1987 में लोन और इन्ट्रस्ट वेवर स्कीम थी जो श्री देवीलाल जी की सरकार लेकर आई थी। उनमें एक शर्त तो यह थी कि दस हजार रुपये से ज्यादा लोन माफ नहीं होगा, दूसरी शर्त यह भी थी कि 23.3.1986 को यह राशि देय होनी चाहिए, वह ठीक है सर, और यह due for recovery 30th June, 1987 को होनी चाहिए और अगर सारा लोन वापिस देगा तो ही दस हजार रुपये की माफी होगी। चाहे एक लाख रुपये का लोन हो, चाहे दो लाख रुपये का लोन हो या 50 हजार रुपये का लोन हो। अगर दो लाख रुपये दोगे तो सिर्फ दस हजार रुपये की माफी होगी। वर्ष 1987 की स्कीम में जो लोन माफी हुई वह केवल 34 करोड़ 31 लाख रुपये की हुई। बैंक के आंकड़े यहां मौजूद हैं। मैंने कहा था 32 करोड़ रुपये मुझे तकरीबन अंदाजा था यही फिगर तकरीबन यहां उभर कर आई है। सर, 1990 की स्कीम बड़ी इन्ट्रस्टिंग थी। चौटाला जी ने यह कहा था कि वर्ष 1990 में हमने 16514 करोड़ रुपये की लोन माफी कर दी। सर, वे सारे फिगर सदन के सामने आ गये हैं उन्होंने कहा था कि उसके अन्दर कोई इफ्स और बट्स नहीं लगाये गये थे कोई शर्तें भी नहीं लगाई गई थी अब यह सामने आ गया कि उसके अन्दर भी शर्तें थीं। वर्ष 1990 में लोन माफी स्कीम के अन्दर सीलिंग थी कि दस हजार रुपये से ज्यादा का लोन माफ नहीं होगा चाहे आपको पांच लाख रुपये देने हों। उसके साथ आपको सारा लोन जमा कराना होगा तब ही आपके दस हजार रुपये का लोन माफ होगा। चौटाला साहब ने यहां पर सरेआम झूठ बोला है। इसके साथ शर्त यह भी थी कि 1.4.1986 को on or after 1.4.1986 के बाद का लोन लिया गया हो और 2.10.1979 को यह लोन बैंक को overdue हो गया हो। उस लोन का आधा हिस्सा हरियाणा प्रान्त की सरकार को देना था और आधा हिस्सा केन्द्र की सरकार ने देना था। यह भी स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में कितनी लोन माफी हुई उन्होंने बोलते हुए यह कहा था जिसकी पलाका साहब टैक्नीकल खामी की आड़ लेना चाहते हैं कि 15 दिन में हम प्रोसिडिंग्ज को करैक्ट कर सकते हैं और उन्होंने कहा प्रदेश सरकार पर उस समय 4400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा कुल ऋण माफी हरियाणा में हुई वह 130 करोड़ 79 लाख रुपये थी और उसका आधा हिस्सा हरियाणा सरकार ने दिया जो बना 65 करोड़ 45 लाख रुपये। (विघ्न) इन्होंने मेरे बारे में कोई बात

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

कही थी इसलिए मुझे उस बात पर बोलने का अधिकार है इसमें विचलित होने की क्या बात है। अब तो सारे आंकड़े आ गये हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987-88 की जो बात माननीय मंत्री जी ने कही है उस समय माननीय मंत्री जी ने सदन में 32 करोड़ रुपये कहा और उसकी एग्जैक्ट फिगर वर्ष 1987-88 की लोन माफी की 34 करोड़ 31 लाख रुपये थी और सर, 1990 में माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो बात कही थी कि वह किसी प्रदेश की सरकार के लिए नहीं कही थी। उस समय चौधरी देवी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री न होकर हिन्दुस्तान के उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जो बात कही थी वह थ्रू आउट आल स्टेट्स के लिए कही थी। माननीय मंत्री जी उसको घुमा फिराकर अकेले हरियाणा में लाने की सोच रहे हैं। चौधरी देवी लाल जी केवल हरियाणा के नेता नहीं थे बल्कि पूरी भारत सरकार के नेता थे। (शोर एवं व्यवधान)

11.00 बजे

श्री अध्यक्ष : पलाका जी, देवीलाल जी नेता तो थे लेकिन उनको तीन-तीन बार लगातार रोहतक में रगड़ा लगाया गया। इतनी बड़ी शख्सियत का नेता क्या तीन-तीन बार लगातार हारता है? (शोर एवं व्यवधान) मैं उनकी इज्जत करता हूं।

Shri Randcep Singh Surjewala : Speaker Sir, I am on my legs. आपने माननीय सदस्य को प्वांयट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए समय दिया इसलिए मैं बैठ गया था, I am only making a point कि चौटाला जी ने बोलते हुए कहा कि 4400 करोड़ रुपये का प्रदेश सरकार के ऊपर बोझ पड़ा। जब आंकड़े आए तो पता चला कि केवल 130 करोड़ 90 लाख रुपये की ही ऋण माफी हरियाणा में हुई जिसमें से हरियाणा सरकार का हिस्सा बनता था 65 करोड़ 45 लाख रुपये। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी एक और इंट्रस्टिंग बात है कि जब इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी जिसके उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी थे, यहां भी इनकी सरकार थी। वह सरकार चली गई और 23 जून 1991 में नई सरकार आ गई। ये 65 करोड़ 45 लाख रुपये भी पूरे नहीं दे पाए, वे भी बाकी हमने दिए। वे आंकड़े भी अपनी कहानी कहते हैं (शोर एवं व्यवधान) आप सुनिए तो सही। इसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है। यह तो आंकड़े आ गए। ये शोर मचाते हैं ताकि यह बात सदन के सामने न आए। (शोर एवं व्यवधान) आप जब बोल रहे थे तो मैं बैठ गया था। अब आप दोबारा बोलना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। मैं बात जरूर बताऊंगा। 1990 की स्कीम के तहत 130.90 करोड़ रुपये में से 50 प्रतिशत शेयर के मुताबिक 65.45 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमैंट/कोपरेटिव बैंक की तरफ से माफ किया गया और उस कुल अमाउंट में से 96.37 लाख रुपये हरको बैंक का हिस्सा बनता था। उसके हरियाणा के 50 परसैंट शेयर में से भी ये पूरी राशि नहीं दे कर गए। कांग्रेस की सरकार आई तो उसने उस लोन वेवर्स की जो राशि थी उसमें से 31.3.94 को हमने 2 करोड़ 36 लाख रुपये दिए। 4.5.94 को कांग्रेस की सरकार ने इनके लोन की माफी के 2 करोड़ 36 लाख रुपये दोबारा दिए। 16.9.94 को 4 करोड़ 81 लाख रुपये हमने दिए। 4 करोड़ 81 लाख फिर भी बच गए, उसके लिए हमने बैंकों को कह दिया कि तुम अपने खाते में से दो। इस प्रकार 4 और 4 हुए 8 और 2 हुए 10 और 10 और 2 हुए 12 यानि तकरीबन 13, साढे 13-14 करोड़

रुपये की राशि जो इनके हरको बैंक के 96 करोड़ 37 लाख बनते थे उसमें से कांग्रेस की सरकार ने दिये। इसी प्रकार अगर आप दूसरे बैंकों की फीगर देखें तो हरियाणा स्टेट कोआपरेटिव और एग्रीकल्चर और रूरल डिवैल्पमैंट बैंकों की कुल लोन वेवर्स बनती थी 34 करोड़ 52 लाख। इसमें से भी जुलाई 1991 में कांग्रेस की सरकार ने 4 करोड़ 4 लाख रुपये दिए। जनवरी 1993 में कांग्रेस की सरकार ने 2 करोड़ 37 लाख रुपये फिर दिए। अप्रैल 1994 में एक करोड़ 66 लाख रुपये दिए। अगस्त, 1994 में 3 करोड़ 45 लाख रुपये दिए। इस प्रकार टोटल 34 करोड़ 52 लाख में से कांग्रेस की सरकार ने 11 करोड़ 52 लाख रुपये दिए। वह भी ये हमारे सर पर छोड़ गए थे। ये तो लोन वेवर्स करके भाग गए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह आपने एक मुहावरा देकर शुरूआत की कि वर्ल्ड वार में रोको मत जाने दो। पार्लियामैंटरी प्रोसैस में विधानसभा हो या पार्लियामैंट हो, हम जो यहां बोलते हैं उसकी करैक्शन के लिए कापियां हमारे पास भेजी जाती हैं और समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हमें 10 दिन या 15 दिन में करैक्ट करके वापिस भेजनी होती हैं। हो सकता है कि किसी सदस्य की जानकारी गलत हो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी यदि मानते हैं कि उन्होंने मिसलीड किया है तो उन्हें करैक्शन का टाईम दे दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपके जो कटैंशन हैं, आरग्यूमैंट हैं these are pertaining to this record. इसमें अगर आपके नेता ने कोई क्लैरिफिकेशन, आरग्यूमैंट या कटैंशन देनी थी तो वह कमेटी के सामने देते। आपके नेता कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। आपके नेता को कमेटी के सामने पेश होना चाहिए था और अपनी बात कहनी चाहिए थी।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, सदन में 12 तारीख को ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से एक बात आई कि केन्द्र सरकार ने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए हैं। यह बहुत अच्छी बात थी और सबने इसका सहयोग किया। लेकिन सामने विपक्ष में बैठे ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस पर भारी अटैक किया कि जब चौधरी देवी लाल जी 1987 में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने भी हरियाणा के किसानों के बहुत बड़े कर्जे माफ किए थे तथा जब 1990 में चौधरी देवी लाल जी उप-प्रधानमंत्री थे उस समय भी उन्होंने हिन्दुस्तान के किसानों के बहुत बड़ी तादाद में कर्जे माफ किए। यहां तक किसी को कोई एतराज नहीं था क्योंकि 1987 में और 1990 में चौधरी देवी लाल जी ने किसानों के कर्जे माफ किए थे। इसमें कोई डिसप्यूट या कोई नाराजगी नहीं थी। सबने इसको वैलकम किया है। अध्यक्ष महोदय, डिसप्यूट कहां पैदा हुआ जब श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि 1987 में जो कर्जे माफ हुए थे उस स्कीम के तहत केवल 34 करोड़ रुपये हरियाणा के किसानों के माफ हुए। उस पर ओम प्रकाश चौटाला जी ने जवाब में यह बात कही कि 1990 में चौधरी देवी लाल जी ने 16514 करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए थे। इसलिए यहां डिसप्यूट खड़ा हो गया और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने

[श्री मांगे राम गुप्ता]

दलबीर सिंह जो भारत सरकार में वित्तमंत्री रहे हैं उनकी स्टेटमैंट का हवाला देकर कहा कि इतना कर्जा माफ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़िग हो गये। ओम प्रकाश चौटाला जी कहने लगे कि उन्होंने जो 16514 करोड़ रुपये की फिग्गर दी है वह सही है और रणदीप जी कहने लगे कि इतने के कर्जे माफ नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड की बात है। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने आब्जैक्शन उठाया कि ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से एक मंत्री और विपक्ष के एक विधायक की तरफ से जो फिग्गर दी जा रही है उसमें कौन सी फिग्गर सही है, उसकी सदन को जानकारी मिलनी चाहिए और हाउस में इसका निर्णय होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने सभी सदस्यों की बात का सम्मान किया और सदन की एक कमेटी बना दी, जो इसकी सच्चाई जान सके। उस कमेटी का मेरे को चेयरपर्सन बनाया गया। उस कमेटी में आपने सभी पार्टियों के सदस्यों को मैंबर बनाया। इनेलो पार्टी के श्री ईश्वर सिंह पलाका जी भी उस कमेटी के मैंबर हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के मुताबिक 19 तारीख को हमने उस कमेटी की मीटिंग रखी जिसमें कमेटी ने श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को एवीडैंस के लिए बुलाया। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी तो अपने पूरे फैक्ट्स और रिपोर्टस के साथ कमेटी के सामने पेश हुए और उस रिपोर्ट को डीटो करने के लिए हमने जो हमारे फाईनैंशियल कमिश्नर हैं और जो निगम और बोर्डों के चेयरमैन हैं और एम०डीज़० हैं, उनको बुलाया और उनकी जो फीगर्ज थी उनको पूरी तरह से हमने करैक्ट किया और उसके मुताबिक जो फिग्गर्ज 34 प्वायंट कुछ करोड़ रुपये में है वह कंफर्म हो गई कि 1987 में चौधरी देवी लाल के फैसले से जो हरियाणा के किसानों के कर्ज़ माफ हुए थे वे 34 प्वायंट कुछ करोड़ रुपये थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला उस मीटिंग में नहीं आये। उसके बाद हमने फिर उनको मौका दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस दिन किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ गया था। हमने उनको फिर 25 तारीख का दोबारा मौका दिया और बाकायदा ऑफिशियल नोटिस भी भेजा। इसके अतिरिक्त हमने श्री ईश्वर सिंह पलाका को जो कि कमेटी के मैम्बर भी हैं, पर्सनल रिकवैस्ट भी की कि श्री ओम प्रकाश चौटाला को कमेटी के सामने आना चाहिए और अपनी बात जो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कह रखी है उसको सबूत के साथ कमेटी के सामने पेश करना चाहिए लेकिन वे 25 तारीख को भी नहीं आये और ये आज प्रोसीडिंग्ज पर एतराज कर रहे हैं कि विधान सभा में सैशन के दौरान जो स्टेटमैंट किसी एम०एल०ए० की होती है उसकी प्रोसीडिंग्स उस एम०एल०ए० के पास करैक्शन करने के लिए भेजी जाती है। यह बात सही है इसमें कोई भी शक नहीं है। स्पीकर सर, हमने उनकी बात को मानते हुए हालांकि हमने उनको यह भी कहा कि उन्हें यह बात खुद कमेटी के सामने आकर कहनी चाहिए और उन्हें कमेटी का और स्पीकर के आदेश का सम्मान करना चाहिए। उन्हें कमेटी के सामने आकर अपनी बात कहनी चाहिए। इतना बड़ा आदमी अपने आपको नहीं समझना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, इसमें स्पीकर की बात नहीं है। इसमें सदन की गरिमा की बात है। उन्हें सदन की इज्जत करनी चाहिए। वह कमेटी सदन की तरफ से बनाई गई है। आपकी कमेटी पूरे हरियाणा प्रदेश का और पूरे सदन का प्रतिनिधित्व कर रही थी और

उनको उसके सामने अपनी बात कहनी चाहिए थी। It is unfortunate part.

श्री मांगे राम गुप्ता : लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि मुझे प्रोसीडिंग्स नहीं मिली। मैं समझता हूं कि अगर वे खुद आकर इस बात की रिकवैस्ट करते तो इससे उनका कोई मान नहीं घटता। फिर भी हमने सोचा कि चलो बड़े बाप का बहुत बड़ा बेटा कोई बहुत बड़ी बात यह आज भी समझ रहा है तो उनको मौका दे दिया जाये। क्योंकि हम उस बात को लम्बा खींचना नहीं चाहते थे। इसलिए जो प्रोसीडिंग्स वे चाहते थे वे हमने खुद सम्बन्धित शाखा से मंगवाकर उन्हें भेजी। वैसे तो वे जानी ही थी लेकिन इसने पर्सनली स्पैशल तौर पर उनको वे प्रोसीडिंग्स भेजी जिनमें उनकी स्टेटमैंट थी। मैं इनेलो के माननीय साथियों से पूछना चाहता हूं कि अब ये क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद 26 तारीख को उनको फिर मौका दिया गया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्पैशल मैसेज, नोटिस और सम्मन देने के साथ हमने अपने साथी विधायक को भी उनके लिए पर्सनल रिकवैस्ट की और वे उस दिन जब विधान सभा में आये उस समय भी हमने पर्सनली तौर पर उन्हें कहा कि ओम प्रकाश जी आज आपको कमेटी की मीटिंग में आकर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन वे 26 तारीख को भी नहीं आये और वे उसी बात पर अड़े रहे कि मेरे पास जब विधान सभा की प्रोसीडिंग्स आयेंगी तब मैं उनमें करैक्शन करूंगा। जब हम प्रोसीडिंग्स उनको दे रहे हैं तो उस समय अपनी प्रोसीडिंग्स में वे करैक्शन कर देते।

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I was on my legs. जब उन्होंने point of order raise किया तो पलाका साहब को आपने मौका दिया था तो बीच में इन्दौरा साहब भी खड़े हो गये। उन्होंने भी अपनी बात कह ली (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा है कि सदन द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट on the table of the House ले हुई है उसके बारे में पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर अपनी बात कह रहे हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : **********

Mr. Speaker : Noting is to be recorded. इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये। I will allow you to speak on this report decision. मंत्री जी बोल रहे हैं जो कि कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आप उनकी बात सुनें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात को रख लें उसके बाद क्लैरिफाई कर लें। कमेटी के चेयरमैन भी क्लैरिफाई कर लें और संसदीय कार्य मंत्री भी क्लैरिफाई कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, हाउस कमेटी के चेयरमैन श्री मांगे राम गुप्ता जी बोल रहे हैं उनको बोल लेने दो, मैं आपको बाद में बोलने का समय दे दूंगा। I will allow you to speak. (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने रिपोर्ट पेश की है, ये उसके बारे में मुझे अपनी बात कम्पलीट तो करने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, जो दोषी था वह तो आया ही नहीं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, कमेटी में फिग्गर्ज के साथ छेड़छाड़ की गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, गुप्ता जी को अपनी बात कहने दें, मैं आपको दस मिनट का समय बाद में दे दूंगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश यह था कि फिग्गर्ज के मामले में यह रिपोर्ट वैरीफाई करके इसी सत्र में पेश करें। 27 मार्च को डबल सीटिंग थी और 28 मार्च तक ही यह सत्र चलना था। जब हमने यह सोचा कि चौटाला साहब को और तारीख दे दी जाये तब तक सत्र एडजर्न हो जाना था। पलाका साहब बतायें कि हमने कौन सी रिपोर्ट बदल दी? हमने रिपोर्ट में लिखा ही क्या है? सर, सबने सर्वसम्मति से फैसला किया है। हमने सहकारी बैंकों के एम०डीज० को बुलाकर फिग्गर्ज ली हैं और रिपोर्ट पेश की है। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो फिग्गर्ज दी थी वह बिल्कुल सही है। उसमें थोड़ा सा अन्तर था। उन्होंने जो 32 करोड़ रुपये कहा था वह लगभग 34 करोड़ रुपये है। सर, हमने तो तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो 16514 करोड़ रुपये वाली प्रोसीडिंग्ज मांगी हैं वह देने की कोई जरूरत नहीं रही थी और न ही हमारे पास इतना समय था। माननीय साथी ईश्वर सिंह पलाका वहां मौजूद थे। हमने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चौटाला जी को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। वह अपनी बात पर अड़ जाते हैं। चाहे वह गलत हो या सही हो। इसीलिए तो मार खा रहे हैं, इसीलिए तो जनता ने उनको विपक्ष के नेता बनने का मौका भी नहीं दिया। हमारी बात पहले मान लेते तो यह पोजीशन नहीं होती। वह किसी की बात को मानते ही नहीं हैं। हम भी यही बात कहते थे कि राज किसी के बाप का नहीं है, इतना घमण्ड नहीं करना चाहिए कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर 2 एम०एल०ए० भी आये हैं, 5 एम०एल०ए० भी आये हैं और 9 एम०एल०ए० भी आये हैं। यह तो जनता के हाथ में है कि वह किसको कितने एम०एल०ए० देकर भेजती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अपनी बात कह रहे हैं, उनको कहने दें। आपको डिस्कशन के लिए टाईम देंगे। आपके नेता अगर कहीं पर हैं तो आप उनको बुला लें उनको बोलने के लिए मैं एक घण्टे का टाईम दूंगा। अगर वे अपनी बात कमेटी के सामने नहीं कहना चाहते हैं तो हाउस के सामने अपनी बात बता दें। (विघ्न) वे हाउस के सामने अपनी बात कह दें। यह डैमोक्रेसी है और जनता तथा सदन से ऊपर कोई नहीं है। (विघ्न एवं शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप अभी से किस लिए घबरा रहे हैं। (विघ्न) पिछली दफा इतना ही फर्क

था कि ये लोग इधर बैठते थे और हम लोग उधर बैठते थे। श्री बलवन्त सिंह जी उस समय यहां हाउस में बैठा करते थे और कम से कम वे इस बात के गवाह हैं। बाकी के इनके जो इस समय सदस्य हैं वे उस समय सदन के मैम्बर्ज नहीं थे ये सारे नये मैम्बर्ज हैं। उस वक्त इन्दौरा साहब भी इस हाउस के मैम्बर बन कर नहीं आए थे। मैं और बलवन्त सिंह जी पुराने मैम्बर्ज बैठे हैं और शायद वे उस दिन को भूल गए हैं जब नौ मार्च को बजट सैशन था और मैं इधर बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी। स्पीकर साहब, चौटाला साहब का दिमाग कम्प्यूटर की तरह बड़ा तेज चलता है। वे हाउस में आए और खड़े होकर मुझे कहने लगे, गुप्ता जी, आज क्या तारीख है। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी। वे बोले गुप्ता जी, सोच लो तो मैंने उन्हें कहा कि आज नौ मार्च है। उन्होंने मुझे कहा कि देखो क्या मैं आज भी मुख्यमंत्री बना बैठा हूं या नहीं बना बैठा। आपने कहीं पब्लिक मीटिंग में यह कहा था कि नौ मार्च के बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहेगा। स्पीकर सर, वे मुझे कहने लगे कि आप तो नौ तारीख की बात कह रहे हैं मैं तो जब तक जीऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ रिकार्डिड बात है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने जवाब में सिर्फ एक ही बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी, राज का इतना ज्यादा घमण्ड नहीं करना चाहिए। राज तो हरिण्यकश्यप का नहीं रहा, राज तो रावण का नहीं रहा, राज तो कंस का भी नहीं रहा, आप किस खेत की मूली हैं। (विघ्न) आज तो प्रदेश में जनता का राज है। (विघ्न)

डा सीता राम : **********

डॉ० सुशील इन्दौरा : **********

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (interruptions)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात जो कह रहा हूं वह रिकॉर्ड पर दर्ज है (विघ्न एवं शोर)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब सारी जिन्दगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते थे। (विघ्न एवं शोर) स्पीकर सर, उस समय ये मैम्बर्ज तो हाउस में थे ही नहीं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। डॉ० साहब, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) गुप्ता जी, आप अपनी बात कान्टीन्यू करें। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि हम जाएंगे, इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है। (विघ्न) हम लोगों ने तो सब देख रखा है, एक बार नहीं कई बार देख रखा है। (विघ्न) मैंने तो उधर बैठ कर भी देख रखा है और इधर बैठ कर भी देख रखा है इसलिए चिन्ता की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जो बात मैंने कही थी वह उस वक्त के हालात को देखते हुए कही थी। मैं कोई ज्योतिषी का काम

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री मांगे राम गुप्ता]
नहीं करता और मैंने यह बात इस आधार पर कही थी कि हरियाणा के किसानों ने उनकी बात पर विश्वास करके तथा हरियाणा के हरिजनों ने उनकी बात पर विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया था। स्पीकर सर, मेरे फिग्गर्ज के मुताबिक उस वक्त 46 विधायक किसान समर्थक थे और अपने आपको किसानों का हितैषी कहते थे और उनके 16 विधायक एस०सीज० या रिजर्व कैटेगरीज के थे जो इनकी पार्टी के अन्दर शामिल थे। मैंने कहा कि कण्डेला काण्ड जो हुआ था वहां मेरे हल्के के किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। उस समय नौ किसान मारे गए थे और 50-100 जख्मी भी हुए थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बहुत ज्यादा डिटेल में न जाएं। Please come to the point. जो मेजर प्वायंट्स हैं आप उन पर बात करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि यह जो सदा राज करने की बात है यह ठीक नहीं है क्योंकि राज किसी के मां-बाप की जागीर नहीं है और सदा किसी का राज नहीं रहा। अगर उस वक्त वे हमारी बात मान जाते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना था और अब भी वे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी तरह से मामले को एग्जामिन करवाया है। कमेटी के जो मैम्बर्ज आपने बनाए थे वे सभी एक्सपीरियैंसड हैं। हमने पूरी स्टेटमैंट जारी की थी चौटाला साहब कमेटी के सामने आ जाते। अध्यक्ष महोदय, शायद उनको कोई गलतफहमी हुई है और वे जिद्द भी कर रहे हैं। वे कमेटी के सामने आकर अपनी बात कह सकते थे और फिग्गर्ज देख सकते थे हमने बार-बार उनको मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हमारे पास टाईम कम था और आपने इसी सैशन में रिपोर्ट मांग रखी थी। अध्यक्ष महोदय, उस समय केन्द्र में चौधरी दलबीर सिंह स्टेट फाईनैंस मिनिस्टर थे और उन्होंने हाउस में अपनी जो स्टेटमैंट दी थी उसमें 16514 करोड़ रुपये उस वक्त के हिसाब में किसानों के आउटस्टैंडिंग थे। टोटल जो कर्जा उस समय किसानों पर था उसके बारे में उन्होंने स्टेटमैंट दी थी वह 16514 करोड़ रुपये की फिग्गर दी थी। स्पीकर सर, उन्होंने जो हाउस में अपनी स्टेटमैंट दी है उस स्टेटमैंट में उन्होंने यह कहा कि इसमें 50-50 का शेयर है। इसमें आधा पैसा स्टेट गवर्नमैंट वहन करेगी और आधा पैसा सैंट्रल गवर्नमैंट वहन करेगी। उसमें 7714 करोड़ रुपए सभी स्टेटों का माफ किया है। अब मिस्टर ओम प्रकाश चौटाला ने 16 हजार 514 करोड़ रुपये कर्जा माफ करने की बात मान ली जबकि वह सारा अमाउंट आउट स्टैंडिंग है। असलियत में स्पीकर सर, यह है कि 16 हजार 514 करोड़ रुपये आउटस्टैंडिंग तो थे लेकिन उसमें से 7714 करोड़ रुपये ही माफ हुए, वे सारी स्टेटों में किसानों के हुए हैं। हरियाणा स्टेट में 130 करोड़ रुपए माफ हुए थे। उसमें से 65 करोड़ रुपए तो हमारे जिम्मे लगे और 65 करोड़ रुपये सैंट्रल गवर्नमैंट ने भरे हैं। अगर अब इसमें आप कोई फर्क समझ रहे हों तो मुझे बता देना। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आपने जो हमारी ड्यूटी लगाई थी उसके अनुसार आपके सामने हमने एक्चुअल रिपोर्ट रखी है। इस बारे में आप हाउस में डिस्कशन करवा लें और डिस्कशन के बाद हाउस फैसला लेगा, आप फैसला लेंगे कि इसमें कौन दोषी था, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। यह सजा देना हमारी ड्यूटी नहीं

थी, हमारी जो ड्यूटी थी वह हमने पूरी की है। अगर जो फिग्गर्ज हमने दिए हैं इसमें कोई फर्क हो तो अध्यक्ष महोदय, आप इसको चैक करवाने के लिए हाउस की कमेटी बना दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट मांगे राम गुप्ता जी ने सदन में पेश की है इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) Sir, I was on my legs. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मांगे राम गुप्ता जी के बाद हम बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I was on my legs. (Interruptions) अब बीच में मांगे राम गुप्ता जी ने प्वायंट आफ ऑर्डर मांगा था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : ********** । (शोर एवं व्यवधान).

डॉ० सुशील इन्दौरा : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोक दल के सदस्य बोलते हुए सदन की वैल के नजदीक आ गए और जोर-जोर से बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये वाक-आउट कर के जाएंगे क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चलो आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) इस रिपोर्ट के पेज नम्बर 102 में लिखा है–

> "After going through the material on record, the Committee is of the view that the figure of waived off loan given by Shri Om Prakash Chautala, MLA was false and incorrect."

(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जी बात कह रहे हैं। आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सीता राम : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप अपनी सीट पर जाएं। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) I warn you Dr. Indora. (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ठेठ हरियाणवी में एक कहावत है कि "चोर की मां कुलड़ी में मुंह देवे और रोवे"। (शोर एवं व्यवधान) सच बात तो यही है कि हमारे साथियों की स्थिति चोर की मां वाली हो रही है। इनके नेता तो यहां से भाग गए और इन बेचारों को यहां छोड़ गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय इण्डियन नेशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की वैल की तरफ खड़े होकर जोर-जोर से बोलते रहे।)**

सदस्य का नाम लेना

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, मैं आपको वार्न करता हूं। आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मिनिस्टर साहब, अपनी बात कहना चाहते हैं आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) I warn you Dr. Indora. (शोर एवं व्यवधान) आप यहां वैल में नहीं आ सकते। (शोर एवं व्यवधान) आप सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Mr. Indora, I name you. (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। इन्दौरा जी, आप सदन से बाहर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) (At this stage Dr. Sushil Indora withdrew from the House.)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर सीता राम जी, आप भी अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर सीता राम जी, वैल में नहीं आना। जो भी बोलना है अपनी सीटों पर चेयर की इजाजत लेकर बोलो। (शोर एवं व्यवधान) एक मिनट आप लीडर आफ दि हाउस की बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्य के नाम लेने के निर्णय को रद्द करना

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी पार्टी के माननीय सदस्य डॉ० सुशील इन्दौरा जी को अभी नेम किया है। आपसे मेरी रिक्वैस्ट है कि आप उनको सदन में वापिस

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

बुलाएं ताकि वे सदन की कार्यवाही में पार्टीसिपेट कर सकें।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी रिक्वैस्ट है ********** ।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : ********** ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) एक मिनट आप मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपने इनके एक सदस्य को नेम किया है आप उनको सदन में वापिस बुला लें। इसी के साथ मैं मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इन साथियों को भी बोलने का समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन मैं इनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये भी यह वायदा करें कि ये वाक-आउट करके नहीं जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, यह तो हम देखेंगे। हम अपनी बात करेंगे। अगर आचरण ठीक नहीं होगा तो हम वाक आउट भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, यह आचरण का क्वैश्चन नहीं है बल्कि यह सदन द्वारा बनायी गयी कमेटी की रिपोर्ट का मामला है। डॉक्टर साहब, आप अपनी चेयर पर जाकर मांग करें। (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर साहब, आप अपनी चेयर पर जाकर बात करें।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, आप हमारे साथी को बुलाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं उनको बुला रहा हूं आप अपनी सीट पर जाइये और वहां से बोलिए।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, आपने कहा है कि इन्दौरा जी को वापस हाउस में बुलाएंगे तो आपको पहले ही उन्हें बोलने के लिए समय देना चाहिए था लेकिन आपने उन्हें नेम कर दिया जोकि अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सढौरा साहब, सदन के नेता ने एक बात कही है कि उनको वापस बुला लें तो आप उनको वापस हाउस में बुला लाएं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सबको दस-दस मिनट का, पन्द्रह-पन्द्रह मिनट का या आधे-आधे घंटे का समय बोलने के लिए दे दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, आप उस समय उनको पांच मिनट का समय दे देते तो ये पांच मिनट में ही अपनी बात कह देते। स्पीकर साहब, आप तो बहुत सुलझे हुए हो, आपको सारी बात देखनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चलो ठीक है बात हो गयी है आप उनको बुला लाइये। सढौरा साहब, कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर साहब कुछ बात कहना चाहते हैं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, आप हाउस के कस्टोडियन हैं लेकिन आपने हमारे नेता को बोलने का समय नहीं दिया और उनको नेम कर दिया।

श्री अध्यक्ष : क्या वे आपके नेता हैं?

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, ये हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर हैं लेकिन आपने उनको बोलने नहीं दिया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, आप इनको भी बोलने का समय दें, इनके नेता को भी बोलने का समय दे। आप इन सबको बोलने का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : सढ़ौरा साहब, ऐसा है कि जैसा अरजन सिंह के साथ मिसबिहेव हुआ था और सदन ने उसको कंडैम भी किया लेकिन इसके बाद कल वे फिर इनकी चेयर के साथ आकर खड़े हो गए than I was compelled to name him. आज फिर वे आगे आ गए तो avoid the burst situation आप अपनी चेयर पर जाकर अपनी बात कह सकते हैं, आप वहां से किसी भी बात का विरोध कर सकते हैं। आप अपनी चेयर पर से ही बात कर सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, हमने तो आपसे ही बात की है। अरजन सिंह ही हमारी तरफ हाथ उठाकर बात करते हैं। ये तो हमें उल्टा धमकाते हैं इस बात को सारे सदन ने देखा है, प्रैस ने देखा है। हमने आपसे बात की है, हमने अरजन सिंह की तरफ मुंह करके बात नहीं की। हमने आपसे परमिशन लेकर ही बात की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, ये अब कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों नहीं बोल रहे हैं।

श्री अरजन सिंह : स्पीकर साहब, मैंने कौन सा इनकी तरफ मुंह करके बात की है मैं तो आप की तरफ मुंह करके बात करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सढौरा साहब, आप बोलना शुरू करें। क्या आप उनके वापस आने के बाद बोलना शुरू करेंगे?

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब तक इन्दौरा साहब वापस हाउस में नहीं आएंगे तब तक हम कैसे बोल सकते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, सढौरा साहब सीनियर मोस्ट मैम्बर हैं इसलिए इनसे ही आप बोलना शुरू करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : सढौरा साहब, आप उनसे ज्यादा सीनियर आदमी हैं, आप शरीफ आदमी हैं आप झूठ नहीं बोल सकते।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, न मैं आपके सर्टिफिकेट से शरीफ बनता हूं और न ही मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। यह तो जनता है जो सर्टिफिकेट देती है।

श्री अध्यक्ष : आप जनता की बात करते हो लेकिन आपके साथी तो कहते हैं कि हम चौटाला की वजह से ही सब कुछ है। जनता को तो आप मानते ही नहीं हो।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, जनता जो सर्टिफिकेट देगी वह हमें मान्य होगा। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, ये सोनिया गांधी का नाम क्यों लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, आप इन्दौरा जी को वापस बुलाने के लिए गए थे, क्या आप उनको वापस बुला लाए?

डॉ० सीता राम : सर, आप बुला लें। मुझे तो वे मिले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है कि वे डिप्टी स्पीकर साहब के कमरे में बैठे हैं। आप जाकर बुला लाओ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, डॉ० सुशील इन्दौरा जी डिप्टी स्पीकर साहब के कमरे में बैठे हुए हैं और माइक ऑन है और वे सदन में हो रही सारी बातें सुनने लग रहे हैं पर यहां आ नहीं रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी अपने नेता को फोन पर सारी बातें बता भी रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि सीता राम सदन के अंदर खूब झगड़ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) सीताराम जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। डॉक्टर साहब, आपके फादर बहुत भले आदमी हैं। (हंसी)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आप हमारे साथी डॉ० सुशील इन्दौरा जी को बुलवाइए। ********

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

हरियाणा के किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़ों की जांच के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सर, आप कमेटी की रिपोर्ट पर डॉ० सीता राम से चर्चा करा लें या फिर ईश्वर सिंह पलाका जी से चर्चा करा लें। इससे बढ़िया सरकार और क्या होगी जो कि सबको बोलने का मौका देना चाहती है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Mange Ram Gupta : Dr. Sita Ram ji, you were not present in the Committee meeting. (Noises and interruptions) No Question.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो भी सदस्य इस रिपोर्ट पर बोलना चाहते हैं उन सबको मौका दे दीजिए। यह मेरा अनुरोध है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपकी यह बात गलत है। इस बारे में जैसी आपने रिक्वैस्ट की है उसे सदन के नेता ने असैप्ट कर लिया और सदन में यह बात कही कि जो इनके नेता को नेम किया है उसको वापस बुला लिया जाए। इस बारे में staff has informed the Hon'ble member but he did not turn up. He refuses to come. Meaning thereby he refused to come in the House. देखो डॉ० सीता राम जी, आप एक बात बता दें कि सदन द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट को आप मानते हैं या नहीं?

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के बारे में मेरा कहना यह है कि इसमें हमारे नेता को पूरा मौका नहीं दिया गया। जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं वे उस कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने भी इस बारे में आपत्ति जताई है। इसकी रिपोर्ट पेश करने की इतनी क्या जल्दबाजी थी। ये भी तो हो सकता है कि किसी को कोई आवश्यक काम हो जाए। मुझे तो यह भी लगता है कि इसमें मांगे राम गुप्ता जी को कोई राजनीतिक फायदा है। (शोर एवं व्यवधान) *******

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, ये मेरे राजनीतिक फायदे की बात कह रहे हैं। इसमें मेरा कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। सीता राम जी, मैं तो आपके फादर के साथ भी था और ओम प्रकाश चौटाला के पिता जी के साथ भी था। इसमें मेरा कोई राजनीतिक फायदा नहीं है।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को पेश करने में इतनी क्या आफत थी। क्या यह कमेटी आगे नहीं चल सकती थी। **********

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, **********

Mr. Speaker : Please take your seat Dr. Sira Ram. आप कहते हैं कि आपके नेता को अपोर्चुनिटी नहीं दी गई तो मैं कहता हूं कि तीन अपोर्चुनिटी आपके नेता को दी गई, अब भी आप इस बारे में बता दें कि फलां डेट को वे आ जाएंगे। आप बता दें कि इस दिन ओम प्रकाश चौटाला कमेटी के सामने आ जाएंगे। आप डेट बता दें then I will extend the time of the Committee.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, let them give an undertaking on behalf of Shri Om Parkash Chautala that they will come. सर, ये अंडरटेकिंग दे दें कि इनके नेता कमेटी के पास फलां तारीख को आ जाएंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : कमेटी की मीटिंग के बारे में कमेटी ने जोर लगा दिया, हाउस में भी गुप्ता जी ने श्री ओम प्रकाश चौटाला को पर्सनली कहा। पलाका साहब को कह दिया। क्यों गुप्ता जी, आपने चौटाला जी को पर्सनली कहा था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको पर्सनली हाउस में कहा, by notice भी कहा, उसके बाद श्री ईश्वर सिंह पलाका को कहा। (शोर एवं व्यवधान) what is this.

श्री अध्यक्ष : चलो साहिदा साहब, आप बता दो, किस डेट को चौटाला साहब कमेटी के सामने पेश हो जाएंगे। एक डेट बता दो, महीने की, दो महीने की, तीन महीने की या छः महीने की।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, इन को पूरा टाईम दे दीजिए, कमेटी की तारीख एडजर्न कर दीजिए, इनको जो कागज रखने हैं वह रखने दीजिए, जितना ये बोलना चाहें वे बोल लें, जिसको बुलाकर लाना है उसको बुलाकर ले आएं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बुलाकर लाना है तो बुलाकर ले आएं। कोई दिक्कत नहीं है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप बोल लो, बेशक, I allow you to speak.

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, **********

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को मानता हूं (विघ्न) आप कोई एक दिन बता दो। डॉ० साहब, आपने कहा कि आपकी पार्टी का सदस्य कमेटी का मैम्बर है। वे तो spineless है। सढौरा साहब जो कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए (शोर) आपकी पार्टी की तो एक ही स्पाईन है आपका नेता। मैं आपको टाईम देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये तो मीटिंग में ही नहीं आये, जो उस कमेटी के सदस्य हैं वे तो मीटिंग में ही नहीं आये, आप इन सब सदस्यों को बोलने का मौका दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मौका दे दिया, मैं आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन आप यह एश्योर करें कि उस दिन आप अपने नेता को कमेटी की मीटिंग में ले आओगे।

(इस समय इंडियन नैशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सदस्य सदन की वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे।)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, **********

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. यही बात आप अपनी सीट पर खड़े होकर कह सकते हो, रिकॉर्ड करवा दूंगा। आप वहां से बोलो। (विघ्न) आप अपनी सीट पर जाकर बोलें तो आपकी बात रिकॉर्ड करवा देंगे। मैं कमेटी की रिपोर्ट को एक्सटैंड करता हूं लेकिन आप यह एश्योर करो कि छः महीने में कमेटी की मीटिंग वाले दिन मिस्टर चौटाला कमेटी के सामने पेश हो जायेंगे। आप चाहे चार डेट दे दो, चारों डेट हम ले लेते हैं।

डॉ० सीता राम : आप उनको कमेटी की डेट कम्यूनिकेट करवा दें।

श्री अध्यक्ष : चलो आज कम्यूनिकेट करवा देते हैं। लेकिन आप डेट तो बताएं जिस डेट को वे कमेटी के सामने अपीयर हो जाएंगे। आप कम्यूनिकेट करने की बात करते हैं आज पूरी प्रैस गैलरी में पत्रकार बैठे हैं, सदन में आनरेबल मैम्बर्स बैठे हैं।

बैठक का स्थगन

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, **********

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, **********

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आज तारीख है 28 मार्च, 2008 मैं एक महीने का टाईम यानी 28 अप्रैल, 2008 तक का टाईम देता हूं उस दिन मिस्टर चौटाला कमेटी के सामने आ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Noting is to be recorded. (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मैं इनेलो के सदस्यों को एक बात कहना चाहता हूं कि ये टाईम बता दें कौन सी तारीख को वे मीटिंग में आएंगे। ये जो बोलना चाहते हैं बोल लें, ये सारे सदस्य बोल लें, ये चौटाला साइब को भी बुलाना चाहते हैं तो ले आइये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned for 10 minutes.

(The Sabha then adjourned at 11.44 A.M. and re-assembled at 11.54A.M.)

हरियाणा में किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़ों की जांच के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा (पुनरारम्भ)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ********** (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, ये लोग सदन का कीमती समय बरबाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ******। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, ******। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded, Yadav ji, please sit down. Gautam ji, please sit down. डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि keeping in view the sense of the House सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनी थी। उसकी सैंकटिटी को भी आप डिनाई करते हो। I do not know whether you are doing it politically motivated या आप पर दबाव है कि आपने सदन में ऐसा बोलना है जिसका हमारे पास कोई ईलाज नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ****** (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत के बगैर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनाने पर हमें कोई एतराज नहीं है। चाहे चर्चा के लिए स्पैशल सैशन लेकर आयें उस पर भी हमें कोई एतराज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

12.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** डॉ० इन्दौरा, उस कमेटी में डिफरैंट पार्टीज के मैंबर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है कि इनकी पार्टी के भी एक मैम्बर श्री ईश्वर सिंह पलाका उस कमेटी के मैम्बर थे उनसे भी बार-बार यही कहा गया था कि क्या वे इस बारे में कोई तथ्य पेश करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हमारे ये साथी तो सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, श्री अरजन सिंह बोल रहे हैं जो कि कमेटी के मैम्बर भी हैं आप उनकी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान) आप उनको कुछ बोलने तो दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर सर, आपने सारी पार्टियों के मैम्बर इस कमेटी में लिये। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक विशेष पार्टी के मैम्बर इस कमेटी में लिये हों। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस कमेटी द्वारा जो फैसला लिया गया है वह पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित है। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का स्थगन

Mr. Speaker : Dr. Sahib, please don't disturb. (Noises & Interruptions) आप बोलें डॉक्टर साहब। I allow you to speak. (Noises & Interruptions).

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर सर, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि अगर इनके पास इस बारे में कोई और डाक्यूमैंट है तो उसे आप इनको हाउस के सामने रखने की इजाजत दे दें। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, ये अपने आप ही अपना साथ नहीं दे रहे हैं तो और कौन इनका साथ देगा। (शोर एवं व्यवधान) ये बार-बार यही बात कह रहे हैं कि दोषी को सजा दो। इसलिए आप इस बारे में कोई फैसला कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप मेरे चैम्बर में आ जायें।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned for 15 minutes.

(The Sabha then adjourned at 12.04 P.M. and reassembled at 12.19 P.M.)

वाक-आउट

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, ********** (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री इन्दौरा जी अनपार्लियामैंट्री शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि ऐसे शब्द रिकॉर्ड न किए जाएं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। (विघ्न) डॉ० साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, हम इस कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के विरोध में एज०ए० प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर साहब, इस कमेटी के चेयरमैन ने चौटाला साहब को कमेटी के सामने पेश होने के लिए बार-बार समय दिया लेकिन वे कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। इस कमेटी का मैं भी मैम्बर हूं। इस कमेटी की मीटिंग में चौटाला साहब के वकील श्री बड़शामी पेश हुए थे। उनको यह कहा गया था कि वे चौटाला साहब से कहें कि वे कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें लेकिन श्री चौटाला साहब कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : मुलाना साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कहें।

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, सारा सदन आपकी फ़ाखदिली की दाद देता है। आपने इतना लम्बा सैशन चलाया है कि हर मैम्बर को दो-दो या तीन-तीन बार बोलने का मौका मिला है। हर मैम्बर ने अपनी बात कही। विपक्ष के माननीय साथी बार-बार कभी यह बात कहते हैं कि रिपोर्ट झूठी है, कभी कहते हैं कि हमें कन्सल्ट नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मामूली सी बात है जैसे मांगे राम गुप्ता जी ने कहा है। आपने कमेटी का गठन किया फिर जो भावनाएं सदन में आई वह सब के सामने हैं। उन्हें केवल यह बताना था कि कितना कर्जा मुआफ हुआ है यह सारी रिकॉर्ड की बात थी। सभी जानते हैं कि जो रिकॉर्ड है उसको झुठलाया नहीं जा सकता, यह फिग्र्ज की बात है। स्पीकर सर, एक आदमी बोल रहा है कि इतना कर्जा मुआफ हुआ और रिकॉर्ड से वह कन्फर्म हो गया कि असल में इतने कर्जे मुआफ हुए। फिर भी माननीय विपक्ष के साथी खड़े हो कर हाउस की प्रोसीडिंग्ज को रोकते हैं, स्टाल करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही को रोकना amounts to the contempt of the House. यह आपकी फ़ाखदिली है कि आपने इसके बारे में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। वे लोग केवल झूठी शोहरत हासिल करने के लिए बार-बार सदन की प्रोसीडिंग्ज को रोकना चाहते हैं और अपने झूठ को छिपाना चाहते हैं, अपने नेता को छिपाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार से अगर दोबारा हाउस की प्रोसीडिंग्ज को रोकने का प्रयत्न करें तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। स्पीकर सर, एक ऐसा मजहब चलाया जाए कि इन्सान को इन्सानियत सिखाई जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे जो साथी वाक-आउट करके गए हैं मैं तो उनकी तारीफ करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी का सैकण्ड मोरल डाउन हो, जिस पार्टी की पॉपुलैरिटी डिक्लाईन पर हो, जिस पार्टी की लोगों में जगह खत्म हो चुकी हो I will appreciate कि यहां कम से कम अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रखने के लिए ब्रेक

लगाने का काम भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट आज हाउस में पेश की गई है इस रिपोर्ट के बारे में शोर करने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट मे जितनी सच्चाई है उससे यह भाग नहीं सकते और camouflage करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि चौधरी देवी लाल जी तो देश के उप प्रधान मंत्री थे और हमने तो देश की फिगर दी थी। अध्यक्ष महोदय, हमने तो उस वक्त कर्जा मुआफी की कोई बात नहीं सुनी थी। जिनका आधार हमेशा झूठ की राजनीति पर रहा है वे एक्सपोज हो गए हैं और अब लोग उनको पहचान जाएंगे। जनता के बीच में से उनका इमेज खत्म हो गया है। स्पीकर सर, इनकी लीडरशिप ने अपना झूठ छिपाने के लिए इन लोगों की जो ड्यूटी लगाई थी उसमें ये लोग पूरे उतरे हैं इसलिए मैं कह रहा था कि I must appreciate their efforts.

हरियाणा में किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़ों की जांच के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी सदन के द्वारा गठित की गई थी। मेरी सोच है कि आपने जो फिराखदिली दिखाई उसके लिए हम आपका सारे सदन की तरफ से धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक दल के साथी कम से कम जो बात कहना चाहते हैं, वह सदन में कहें और सरकार ने भी बार-बार कहा कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए लेकिन वे नहीं बोले। उनके एक मैम्बर को नेम कर दिया गया लेकिन फिर भी सदन के नेता ने उनको सदन में वापिस बुलाने के लिए कहा। सर, आपने फिर से फिराखदिली दिखाते हुए उनको सदन में वापिस बुला लिया। दो बार उनके कारण से हाउस को एडजर्न कर दिया। आपने और हमने उनसे यह भी कहा कि आप तारीख निश्चित कर दें कि ओम प्रकाश चौटाला जी किस दिन मीटिंग में आएंगे। वे फिर भी नहीं माने। आपने यह भी कहा कि कोई और कागज देना चाहते हैं, वह दे दें तो वे उसको भी नहीं माने। आपने यह भी कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जी हाउस में आकर अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें, वे उसको भी नहीं माने। अध्यक्ष महोदय, बात वही है जो कि मैंने पहले भी कही थी कि हरियाणा में खड़ी बोली में कहावत है "चोर की मां कुलड़ी में मुंह देवे और रोवे।" सच बात तो यही है कि जैसे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने, मुलाना जी ने और दूसरे सदस्यों ने भी चर्चा की है कि 1987 से वर्षों तक दम भरा जाता था और आज हम 2008 में आ गए हैं, चौधरी देवी लाल जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके दोनों बेटे जहां पर भी जाते थे, पब्लिक मीटिंग में जाते थे, गांवों में जाते थे सिर्फ यही बात कहते थे कि हमने लोन माफ किए हैं। ये जब भी अखबारों में, रसालों में या पब्लिक मीटिंग में ब्यान देंगे, तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि 1987 में हमने हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। आदरणीय मांगे राम गुप्ता जी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी थी उसने उनकी पोल खोल कर रख दी है कि वे हजारों करोड़ रुपए नहीं थे। वे केवल 34 करोड़ 31 लाख रुपए थे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ढोल की पोल खुलने वाली थी इसलिए उन साथियों को लगा कि अब यहां से जाना ही अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने 1990

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

के लोन वेवर स्कीम की भी बात की थी। अध्यक्ष महोदय, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार द्वारा किसानों के 60,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए गए हैं, अब वे उसके साथ भी मुकाबला करते हैं यह जो 60,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए गए हैं इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने भी 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपए माफ किए थे। सर, हमारी सरकार ने बिजली बिलों के 1600 करोड़ रुपए माफ किए तो उसके मुकाबले में उन्होंने कहा कि हमने इतने हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिये। आपने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के माध्यम से सदन में आंकड़े सामने आए। स्पीकर सर, 1987 में केवल 34 करोड़ 31 लाख रुपए के ही लोन माफ हुए थे। 1990 में हरियाणा के अन्दर जो कर्जे माफ हुए वे केवल 130 करोड़ 89 लाख रुपए के थे जिसमें हरियाणा का हिस्सा मात्र 65 करोड़ 45 लाख रुपए था। यह कर्जा हरियाणा स्टेट कोआप्रेटिव, एग्रीकल्चर और हरियाणा स्टेट रूरल डवैल्पमैंट दोनों बैंकों का मिलाकर हरियाणा स्टेट के हिस्से वाला कर्जा था। अध्यक्ष महोदय, 65 करोड़ 45 लाख में से भी 25 करोड़ 46 लाख रुपए रह गए थे, जब 23 जून 1991 में कांग्रेस की हमारी सरकार बन गई थी, उस वक्त हमने दिए थे। अध्यक्ष महोदय, सदन में दो-तीन बातें रखी गई हैं मैं उस बारे में सदन में चर्चा करना चाहूंगा। स्पीकर सर, कमेटी की टर्मज आफ रैफरैंस में स्पष्ट लिखा हुआ है, वह टर्मज ऑफ रैफरैंस नम्बर 4 मैं पढ़कर सुनाता हूं कि–

> "The report of the Committee will be submitted to the House during the current Session.

आज इस सत्र में बिजनैस एडवाईजरी कमेटी का निर्णय जो हाउस ने अडाप्ट किया है उसके मुताबिक आज सैशन का आखिरी दिन है और आज यह रिपोर्ट भी आ चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) सर, उस कमेटी की 3 डिफरैंट हियरिंग्ज हुई और श्री ओम प्रकाश चौटाला को उसमें आने का मौका दिया गया। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने कमेटी से रिकॉर्ड मांगा और वह रिकॉर्ड कमेटी ने उनको दे भी दिया था। सर, ओम प्रकाश चौटाला हाउस में तो आते थे अपनी हाजिरी लगाते और 600 रुपए का अलाउंस ले लेते थे। जब गुप्ता जी की कमेटी का टाईम होता था तो दौड़ जाते थे। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता था तो वे कहते थे मैं अभी स्टेशन से बाहर हूं। एक दिन तो अध्यक्ष महोदय, 3 बजे कमेटी की मीटिंग थी और वे दो बजे सदन से जा रहे थे तो मांगे राम गुप्ता जी ने उनको पकड़ कर कहा कि साहब अभी कमेटी की बैठक है उसमें आओगे न आप। उन्होंने कहा कि हां मैं जरूर आऊंगा। लेकिन वे मीटिंग में नहीं आए। उनका यह कंडैक्ट था क्योंकि उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, उनकी ढोल की पोल पूरी तरह से गुप्ता जी की कमेटी के पास जाकर खुलने वाली थी इसलिए बार-बार कहने के बाद भी वे उस कमेटी की मीटिंग में नहीं गए। अध्यक्ष महोदय, यह भी इस हाउस के अंदर कहा गया कि कमेटी की रिपोर्ट को बदल दिया गया। माननीय सदस्य ईश्वर सिंह पलाका जी ने तो यह नहीं कहा परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि जो कमेटी की आखिरी बैठक थी और जब उसकी मीटिंग हुई तो जैसे गुप्ता जी कह रहे थे मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब उस समय शोर मच रहा था तो गुप्ता जी ने यह बात कही थी कि

पलाका जी उस मीटिंग में नहीं आए थे इसलिए जो आदमी कमेटी की मीटिंग में ही न आए उनको इस बारे में क्या मालूम? अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने खड़े होकर सारी बात क्लीयर कर दी। This is completely contemptuous. चौटाला जी ने यह कहा कि 4400 करोड़ रुपये के ऋण माफी का बोझ प्रदेश सरकार पर पड़ा। स्पीकर साहब, अब यह बात स्पष्ट हो गयी कि 4400 करोड़ रुपये के बजाए केवल.....

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात थोड़ी क्लीयर करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर सिंह पलाका तो उस दिन कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I stand corrected it. उस समय जो गुप्ता जी बोल रहे थे और मुझे जो उस समय शोर में सुनाई दिया मैं उसकी ही चर्चा कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि 4400 करोड़ रुपए का लोन प्रदेश की सरकार ने माफ किया। लेकिन इसकी जगह जो आंकड़े आए हैं वह केवल 65 करोड़ 45 लाख रुपए के हैं। स्पीकर साहब, कहां 65 करोड़ 45 लाख रुपए और कहां 4400 करोड़ रुपए? थोड़ा बहुत झूठ तो खप भी जाता है परन्तु चौटाला जी की जो आदत है वे वैसा ही करते हैं। जैसा बीरेन्द्र सिंह जी बता रहे हैं कि उन्होंने दूसरी वाली राशि जो खुद उनके पास हैं, वह भी इसके अंदर हिसाब लिखते हुए गलती से इसमें जोड़ ली होगी। अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि 16514 करोड़ रुपये के ऋण माफ हुए। अध्यक्ष महोदय, दलबीर सिंह जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और जो 1992 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाईनैंस थे, उनके जबाव को कोट किया गया। मैंने पार्लियामैंट की इस बारे में सारी प्रोसीडिंग्ज निकालकर रिकॉर्ड पर लगा दी। दलबीर सिंह का जबाव भी मैंने लगा दिया। जो बातें उन्होंने कहीं थी वह भी मैंने कमेटी के सामने पेश कर दीं। गुप्ता जी की कमेटी ने वे सारी बातें देख भी लीं। उन्होंने यह पाया कि 16514 करोड़ रुपए की फिगर्ज ही जबाव के अंदर कहीं नहीं है। चौटाला जी ने खड़े होकर कागज दिखाते हुए कहा कि इसमें 16514 करोड़ रुपये लिखे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं पार्लियामैंट से मशक्कत करके प्रोसीडिंग्ज निकलवाकर लाया तो यह पाया कि यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। स्पीकर साहब, सच बात तो यह है कि चौटाला जी द्वारा इस हाउस को बरगलाया गया है and that is why Sir, I only want to quote one para which you also read from the report of the Committee. The inescapable conclusion that the Committee arrived that — "Therefore, the statement given by Shri Om Prakash Chautala M.L.A. was false. He further stated that waiving off loan of Rs. 16514 crores was misleading and figure is hypothetical."

Sir, again it is written in para 28 on page 102 that—"After going through the material evidence on record the Committee is of the view that the figure of waived loan given by Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. was false and incorrect. It appears that Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. misinterpreted the amount of Rs. 16514 crores. He also further tried to mislead the House by saying that there were no ifs and buts whereas there were some conditions for waiving of loans as has already been mentioned herein before in the report. The technical objection raised on terms of preference are not substantial in character and such an objection does not prove

[Shri Randeep Singh Surjewala]
that his version regarding figure quoted on the Floor of the House on 12.03.2008 was correct".

Sir, I only want to conclude by saying four things. Sir, No. 1 अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि 1987 से लेकर 2008 तक जो वे हजारों करोड़ रुपयों की ऋण माफी का दम भरते रहे वह गलत था क्योंकि वह ऋण माफी केवल 34 करोड़ के करीब थी। यह बात भी अब स्पष्ट हो गयी है कि 1990 की स्कीम में ऋण माफी केवल 65 करोड़ 45 लाख रुपये की हुई थी और उसमें से भी 25 करोड़ 86 लाख रुपये का भुगतान कांग्रेस सरकार ने किया, उन्होंने नहीं किया। यह भी अब स्पष्ट हो गया है कि पूरे हिन्दुस्तान की 16514 करोड़ रुपए के ऋण माफी की जो फिगर्ज चौटाला जी ने दी वह फिगर भी गलत थी। 16514 करोड़ की ऋण माफी हिन्दुस्तान के अंदर नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट हो गया है कि 4400 करोड़ रुपए का बोझ जो हरियाणा प्रदेश पर पड़ने का क्लेम किया इसमें हरियाणा प्रदेश का शेयर मात्र 65.45 करोड़ था। यह भी साबित हो गया है कि जो ऋण माफी थी वह आज की सरकार की तरह बगैर इफस एंड बट्स के नहीं की। 1987 में 10 हजार रुपये के ऋण की माफी की शर्त थी उसमें यह था कि सारा ऋण जमा कराओ तब दस हजार रुपये की छूट मिलेगी। अगर पांच लाख रुपये का ऋण होगा तो 5 लाख रुपया पूरा वापस जमा कराओ, तब दस हजार रुपये की छूट मिलेगी। स्पीकर सर, हर लोन माफी में शर्त थी। चौटाला जी ने इस हाउस को मिसलीड किया है। It is most condemnable. It is deplorable act and conduct on the part of Shri Om Prakash Chautala. उनको ऐसा विहेव नहीं करना चाहिए था। उनको इस सदन में जिम्मेदारी से बात कहनी चाहिए थी। His act and conduct of misleading the House should be condemned and necessary action should be taken.

श्री नांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, जो हमने रिपोर्ट पेश की है, मोस्टली रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो हमारी रिपोर्ट में तथ्य हैं उनके बारे में पूरी तरह से सदन में क्लैरीफाई कर दिया है। इस रिपोर्ट, जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय आपने हमें आदेश दिये थे उसमें हमने न तो किसी को गिल्टी डिक्लेयर किया है न ही कोई पैनल्टी की बात की है। आपने हमारे जिम्मे जो काम लगाया था उस पर हाउस में जो कंट्रोवर्सी है उसको वैरीफाई किया है। कमेटी में दोनों पक्षों की तरफ से स्टेटमैंट आनी थी। ट्रेजरी बैंचिज के मंत्री ने अपनी स्टेटमैंट दे दी है। उनको हमने पर्सनली अपीयर होने के लिए बुलाया था, उन्होंने कमेटी के समक्ष आकर अपनी स्टेटमैंट दी। हमने बैंक्स के एम०डीज और निगम के एम०डीज को भी बुलाकर उनसे कन्फर्म किया और उनकी भी स्टेटमैंट लेकर रिपोर्ट में रखी है। दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश चौटाला ने हाउस में फिगर दी थी, उस पर ड्यूटी तो उसकी बनती थी कि उन फिगर्ज को कन्फर्म करने के लिए कमेटी में आते और आकर कहते कि यह जो 1987 में कर्ज माफ हुआ था। हमने तो उसकी उस बात को ऐग्री किया था जिसमें उसने 1990 में सैन्ट्रल लैवल पर कर्ज माफ करने की बात कही थी। उसको हमने उसकी स्टेटमैंट में ऐड भी कर लिया। अध्यक्ष महोदय, आपने करंट सैशन में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हमने चौटाला साहब को दिनांक 19.3.2008 को उपस्थित होने का अवसर दिया, फिर दूसरी बार दिनांक 25.3.2008 को पेश होने का अवसर दिया और अंत में

26.3.08 को लास्ट अपोर्चुनिटी लिखित में दी कि 26.3.08 को आकर अपनी बात रख ले। उसके बाद तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं था। मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड यह कहता हूं कि हमने कोई स्टेटमैंट नहीं बदली और न ही अपनी तरफ से कोई फाइंडिंग्ज दी है। ऑन रिकॉर्ड हरियाणा में जो कर्ज माफ हुए थे उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के कहने पर नहीं माना बल्कि एम०डी०, हरको बैंक, एम०डी० हरियाणा ऐग्रीकल्चर एंड रूरल डिवैल्पमैंट बैंक, एम०डी०, हरियाणा शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनैंस एंड डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन और एम०डी०, बैकवर्ड क्लासिज एंड इकोनोमिक वीकर सैक्शन कल्याण निगम से स्टेटमैंट लेकर रिकॉर्ड की है उसके मुताबिक ही वैरीफाई करके 1987 की फिग्गर दी है और 1990 की फिग्गर के बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैंट के फाइनैंस सैक्रेटरी की रिपोर्ट आई, उसमें जो हरियाणा का शेयर बनता है उसके मुताबिक जो लगभग 65 करोड़ के कर्ज माफ किए, वह फिग्गर भी हमने उसमें ऐड की है। अपनी तरफ से कोई फिग्गर नहीं दी। उस कमेटी के ऑनरेबल मैंबर श्री तेजेन्द्र पाल सिंह भान जी भी बैठे हैं, अरजन सिंह भी बैठे हैं, फूलचंद मुलाना जी भी बैठे हैं। हमने अपनी तरफ से कोई फिग्गर चेंज नहीं की, कोई रिकॉर्ड नहीं बदला। ईश्वर सिंह पलाका भी उस मीटिंग में आए। हमने उन्हें समझाया भी कि अपने नेता को बुला लो। उनका फर्ज बनता हैं। स्पीकर सर, हमारे से जो प्रयास हो सके, हमने किए हैं। जो हम ऑन रिकॉर्ड बात ला सके, वह लाए हैं सर, इस रिपोर्ट में हमने कोई पक्षपात नहीं किया। न हमारे ऊपर कोई राजनैतिक दबाव था और न हमने किसी अन्य राजनैतिक दबाव में आपको यह रिपोर्ट पेश की है। राजनीतिक छवि की जो भाई बात कर रहे थे। मैं तो वर्ष 1977 में जब चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे तब उनके साथ अपोजीशन में विधायक था। पांच साल श्री ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे उस समय भी मैं विरोधी पक्ष में विधायक था। आज जनता के सहयोग से फिर मैं विधायक बना और सरकार में मंत्री हूँ। हम कभी कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए रिपोर्ट में हेर-फेर नहीं करते। हमने तो ईमानदारी से प्रयास किया है। उसके मुताबिक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट पर फैसला तो स्पीकर साहब, आपने करना है। हम यह चाहते हैं कि हाउस की आप सलाह लें कि इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, इस सदन की कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखी है। उसको ये माने नहीं और सदन से उठकर चले जाएं। इस पर जरूर थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाहिए ताकि आप के द्वारा बनाई गई कमेटी के फैसले के आगे हाजिर होकर अपनी बात कहें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मांगेराम गुप्ता ने चर्चा की और काफी देर से माननीय सदस्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। एक ऐसा मुद्दा इस सदन में उठा था मैं सदन की तरफ से जो कमेटी ने कार्य किया है उसकी सराहना करता हूं और sense of the House जो भी फैसला करेंगे वह ठीक है। लेकिन एक बात इस कमेटी की रिपोर्ट में आई है वह यह है कि कम से कम जो झूठ कई दिनों से चल रही थी और लोगों के समझ नहीं आ रही थी। कमेटी की रिपोर्ट ने उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया है। लोग झूठी बात कह कर सत्ता में आते थे कमेटी ने उनको एक्सपोज किया है और आगे से भी सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि चाहे वे पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। लोगों ने हमारे को नुमायंदा चुनकर भेजा है। हमारी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के पद पर आकर झूठी बात कहना, सबसे गलत बात

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

है। ये इस कमेटी ने साबित किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट से हमारे सभी साथियों को भी यह ग्रहण करना चाहिए कि जो भी बात हम सदन के पटल पर कहें बिल्कुल सत्य कहें और लोगों को गुमराह करने के लिए कोई बात नहीं कहें। आज हरियाणा के लोग इस बात को समझ गये हैं कि किस प्रकार से उनको गुमराह किया गया था, किस प्रकार से गुमराह करके सत्ता हथियाई गई थी। सत्ता अपनाने के बाद क्या-क्या कार्य किए? कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है मैं उसकी सराहना करता हूं। सारे हाउस से भी मैं निवेदन करता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट की सराहना की जाए ताकि आगे प्रस्ताव रखा जा सके।

श्री अध्यक्ष : कितना ही डिसकशन कर दें अगर कोई रिबेलियन मैनर में एक्ट करेगा तो उसका क्या कोई इलाज है?

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I have to make a suggestion. Now, the Committee's Report is before the House and the Committee, headed by Shri Mange Ram Gupta, has clearly mentioned that whatever has been said by Shri Om Prakash Chautala was false. Shri Om Prakash Chautala misled the House and, Sir, for misleading the House and making a false statement, there is a breach of privilege of the House and I think he should be punished for such act. There may be situations when we may also quote some figures that may not be correct. It may not be our intention but sometimes it can be quoted inadvertently. The way Shri Om Prakash Chautala presented the figures, he presented his case that in such and such year, this was the figure. He ever quoted Rs. 14537 crores that means, he wanted to camouflage the entire untruth and he wanted to mislead the House on this very basis and this is not only the House which has been misled, the team of Shri Om Prakash Chautala, they were doing it for the last more two, decades. They were giving the impression to the people of Haryana that they are the sole champion of the peasantry of Haryana which they have never been the worthy sole champion but they were the champion of their family to make to see that their family prosperous. They never bothered about the Kisans, they never bothered about the plight of the Kisans. This is the only Congress Party, we never made such long promises but our leader Smt. Sonia Gandhi, was the spirit behind this decision of waiving the loans of Rs. 60,000 crores of the farmers. Sir, I would go to this extent that he should met with the harsh punishment from this House.

श्री अध्यक्ष : आपके दोस्त ने, आपके प्रैडीसैसर ने इनको फंसा दिया, उसने एक दिन पहले अखबार में कोई ब्यान दे दिया और वही झूठी खबर इस बेचारे ने पढ़ दी कि इतने कर्जे माफ हुए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह खबर तो लोगों को गुमराह करने वाली बात कही गई है और जानबूझकर गुमराह करने के लिए कही गई है।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चेयरमैन साहब ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी में हमें भी मैम्बर बनाया गया था। जो रिपोर्ट दी गई है वह चेयरमैन साहब ने आपके सामने रख दी है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज जिस तरीके से हाउस को चलाया जा रहा है। जैसी दरियादिली आपने दिखाई, जैसे आप पत्थर मारने वाले को फल दे रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया मैसेज पब्लिक में जा रहा है। मैं तो एक बात कहूंगा कि इन्होंने झूठ बोला

और पहले भी इन्होंने झूठ बोल-बोल कर पब्लिक का नुकसान किया। आप कोई कमेटी बनाकर इसकी भी पूरी इन्क्वायरी करवाएं और पूरी जानकारी दें। मेरे पास सी०डी० पड़ी है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम कर्जे माफ करेंगें, हम कर्जे माफ करेंगें। इन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया बल्कि इन्होंने पब्लिक पर कई गुना बोझ डाल दिया। लोगों को पता था कि हमारे कर्जे माफ होंगे लेकिन कर्जे माफ होने में डिले हो गई। लोग भोले थे उन्होंने सोचा कि चौधरी देवीलाल जी ने 20 हजार रुपये कर्जा माफ करने का नारा दिया है इसलिए उन्होंने सोचा कि 20 हजार में से 10 हजार की पी लो और 10 हजार फिर भी बच जाएंगें। लेकिन कर्जा माफी होने में फिर डिले हो गई। फिर लोगों ने सोचा कि 5 हजार की और पी लेते हैं, 5 हजार फिर भी बचेंगें लेकिन कर्जा माफी में फिर डिले हो गई। फिर भोले भाले लोगों ने सोचा कि 20 हजार कर्जा माफी होना है बाकी के 5 हजार की भी पी लेते हैं और ये 5 हजार की भी पी गए लेकिन कर्जा माफी में फिर भी डिले हो गई। इस दौरान उनको पीने की आदत पड़ गई। इस आदत के कारण उन्होंने अपने खूड भी बेचकर पीना शुरू कर दिया। इस तरह से इन्होंने भोले भाले लोगों को झूठे नारे देकर बहकाया और उनका नुकसान करवाया। आज जो ये लोग यहां हाउस को देखने के लिए आए हैं, ये भोले नहीं हैं और ये अनपढ़ नहीं हैं। ये सारे इस चीज को देखने आए हैं कि सरकार की नीयत क्या है? अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसकी नीयत साफ हो। किसी औरत का बेटा मिठाई ज्यादा खाता था। वह अपने बेटे को किसी संत के पास ले गई और कहने लगी कि मेरा बेटा मिठाई ज्यादा खाता है जिससे इसका नुकसान हो रहा है और यह मिठाई खाने से हट नहीं रहा है। उस संत ने कहा है कि आज से 20 दिन बाद आना। वह औरत जब 20 दिन बाद फिर उस संत के पास गई और कहने लगी कि कोई झाड़ा लगा दो या कोई दवाई दे दो। उस संत ने उस लड़के को कहा कि बेटे मिठाई नहीं खाया करते। उस औरत ने उस संत से कहा कि यही बात कहनी थी तो आप 15 दिन पहले कह देते। मैं इतनी दूर से पैसा खर्च करके यहां आई हूं इसलिए उसी दिन आप यह बात कह देते तो उस संत ने कहा कि उस दिन तक मैं मिठाई खाता था इसलिए पहले मैंने छोड़ी है तभी मैं कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी खुद ठीक हैं इसलिए इन्क्वायरी कर रहे हैं। इनकी सरकार में तो बहुत कमियां थी, इन्होंने बोर्डों पर कुछ न कुछ लिखवा कर बहुत पैसा खर्च कर दिया उसकी भी इन्क्वायरी होनी चाहिए। किसी ने उन बोर्डों को नहीं पढ़ा। ये लोग बोर्ड पढ़ना नहीं जानते हैं। ये सारे हालात से वाकिफ हैं, इन्हें सबका पता है कि कौन हमारा फायदा कर रहा है और किसने हमारा नुकसान किया है। इन सारी बातों को देखकर ही यह रिजल्ट आया है। मैं इनकी किसी बात पर टिप्पणी नहीं करता, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इनका रिजल्ट याद रखना। जनता सब जानती है, ऐसा कोई भला करने वाला नहीं है, किसी का गुणगान करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को पता है कि हम किस हालत में थे और किस हालात में हम जा रहे हैं। इनकी सी०डी० मेरे पास पड़ी है, मैं दिखा सकता हूं जिसमें ये भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उस आदमी को आदमी नहीं मानता जिसके डर से रात को कोई चारपाई से नीचे न गिरे। अध्यक्ष महोदय, यह आदमी की भाषा नहीं है बल्कि हैवान की भाषा है। इन्होंने पब्लिक का जितना नुकसान किया है उसकी इस सरकार ने इन्क्वायरी करवाई इस बात की हम सराहना करते हैं और इसका

[श्री अर्जन सिंह]

पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज गया है। चोर पर अंकुश नहीं रहेगा और कोई कार्यवाही नहीं होगी तो जनता का विश्वास टूट जाएगा। आज जनता में इस सरकार के प्रति इसलिए विश्वास बनता जा रहा है क्योंकि जिसने उनका नुकसान किया है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के हालात आज सदन में चल रहे हैं कि किसी इशू पर भड़ककर फिर प्रैस गैलरी में जाकर वहां ब्यानबाजी करते हैं ताकि अगले दिन अखबार में खबर आ जाए। असल में हरियाणा में बहुत दिनों से एक खेल चल रहा है। चौधरी भजनलाल और चौटाला जी की सैटिंग थी, दोनों आपस में मिले हुए थे। वे अपने-अपने राज में करप्शन और ज्यादतियां करते थे। वे सर्विसिज में भी गड़बड़ी करते थे। उसके बाद नौन जाट का नारा चौधरी भजन लाल लगाता था और जाट का नारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लगाता था। लेकिन लूट के लिए दोनों एक ही नारा लगाते थे कि अपने-अपने राज में दोनों लूटो और एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही न करो। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई और उससे लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि उन दोनों का काम खत्म हो जायेगा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जमूरियत को खतरा है, सारी दुनिया जानती है, कण-कण जानता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने किस तरह से प्रदेश की जनता के हितों पर डाके डाले और पैसा इकट्ठा किया। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने राज में आदमी मरवाये और दूसरे क्राईम भी करवाये। उस समय जे०बी०टी० में एडमिशन के लिए वे लिस्ट लिखकर दे देते थे और अनपढ़ लोगों को एडमिशन दे दिया जाता था तथा पढ़े लिखे लोगों को दरकिनार कर दिया जाता था। उस समय उन्होंने सर्विसिज में भी गड़बड़ियां की थी और भ्रष्टाचार करने में भी हद कर दी थी। लेकिन तीन साल हुड्डा साहब की सरकार को बने हुए हो गये किसी तरह की कार्यवाही चौटाला के खिलाफ नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि दो साल और टप जायेंगे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी और लोग हुड्डा साहब को माफ नहीं करेंगे क्योंकि हरियाणा की जनता सब कुछ देख रही है। उन लोगों ने जितने कुकर्म किए उसके बाद उन लोगों का यहां क्या काम था यदि सरकार सख्ती से उनके खिलाफ कार्यवाही करती। क्या सरकार के पास एक भी काबिल और ईमानदार पुलिस आफिसर नहीं है जिसको ये इन्क्वायरी दे दें और वह जो चौटाला ने डाके मारे हैं, धन कमाया है उसकी इन्क्वायरी करता और उसकी सारी धन-सम्पत्ति कुड़क कर लेते तथा उसके सारे चूची-बच्चे समेत अंदर कर देते। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला सदन में ऐसा साफा बांधकर आता है चाहे उस पर नींबू धर लो, गिरेगा नहीं। यह सब सरकार की मेहरबानी से हो रहा है।

****

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, सी०बी०आई० वाली जो बात कह रहे हैं यह रिकॉर्ड न की जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक जिम्मेवार

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

सदस्य हैं, इनको जिम्मेवारी के साथ अपनी बात करनी चाहिए। कमेटी ने सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उस पर चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें लेकिन सी०बी०आई० के बारे में आक्षेप लगायें यह सही बात नहीं है। सी०बी०आई० हिन्दुस्तान की नम्बर-1 इन्वैस्टीगेशन एजैंसी है।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, सदन की सैंस के हिसाब से सदन की कमेटी बनाई गई और उसका ट्रम्ज ऑफ रैफरैंसिज रखा गया। The report of the Committee will be submitted to the House in the current session. वह रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट के अनुसार एक माननीय सदस्य ने सदन को गुमराह किया है। जो सदन हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए पूजा का स्थल है उसमें सदन के एक सदस्य ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और सदन को गुमराह किया है। यदि उस रिपोर्ट के बारे में गौतम जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी गौतम जी को कहना चाहूंगा कि कल तो गौतम जी बरवाला में जो केस हुआ उसकी सी०बी०आई० से जांच करवाने की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी एक तरफ तो सी०बी०आई० को केस रैफर करवाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि सी०बी०आई० कुछ नहीं है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सी०बी०आई० हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी इन्वैस्टीगेशन एजैंसी है जिस पर हमें पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, **********

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. पण्डित जी, आप 84 मिनट बजट पर बोले और आप डिमांड्ज पर भी बोले। अब आप फिर उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं। अब यह कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन चल रही है कि एक माननीय सदस्य ने किस ढंग से सदन को गुमराह किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : गौतम जी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप अपने नेताओं को भी बता देना कि यह कितना झूठा आदमी है। कहीं यह वहां पर भी झूठ बोल दे और आप बैठे रह जाओ।

श्री राम कुमार गौतम : मैं नेताओं के साथ नहीं हूं। आप कार्यवाही कीजिए मैं तो आपके साथ हूं। आप कोई कार्यवाही करके जनता को कोई मैसेज दो।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, मैं समझता हूं कि लोन और इंट्रेस्ट वेविंग के बारे में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो गलतब्यानी की है उस बारे में श्री मांगे राम गुप्ता जी ने यह रिपोर्ट सबमिट की है इससे उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। अध्यक्ष महोदय, 10 साल तक हम विपक्ष में रहे आप भी हमारे साथ थे आपने देखा होगा कि कभी भी विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन आपने विपक्ष के साथियों को बोलने का पूरा मौका दिया लेकिन उनके पास कोई मैटीरियल नहीं था और अपने नेता के कहने पर वे यहां शोरगुल मचाते रहे। आपने उनको बोलने का

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

भरपूर मौका दिया कि कुछ कहें लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ठोस बात नहीं की। इसका यही मतलब है कि उन्हें यह पता चल गया था कि जनता के सामने वे दो दशकों तक जो झूठ बोलते रहे थे वह सारी बात अब खुल चुकी है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के जिम्मेवार व्यक्ति हों पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हों उन्हें इस महान सदन में इस प्रकार की गलतब्यानी नहीं करनी चाहिए। इसमें आप तीन बातें कर सकते हैं कि एक तो आप ब्रिच ऑफ प्रिविलेज इनके खिलाफ लेकर आयें, दूसरा पूरा हाउस उनकी इस कार्यवाही को कंडैम्न करे और तीसरी बात यह है कि उनको रिप्रीमैंड करें। यह sense of the House है कि क्या किया जा सकता है। ये तीनों बातें इसमें होनी चाहिए ताकि आगे से कोई जिम्मेवार व्यक्ति हाउस में आकर इस प्रकार की कोई बात न करे। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में रहते हुए हम यहां पर नेम होते रहे हैं और दूसरे साथियों द्वारा रिक्वैस्ट किये जाने के बाद भी कभी भी हमें वापिस नहीं बुलाया गया। पांच मिनट से ऊपर कभी हमें बोलने नहीं दिया लेकिन आपने फिराखदिली दिखाते हुए कई बार विपक्ष के साथियों को नेम होने के बाद वापिस बुलाया और दो बार आपने हाउस एडजर्न किया उसके बावजूद भी उन्होंने यहां आकर कोई विशेष बात नहीं की। मैं समझता हूं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए। स्पीकर सर, यही बात मैं कहना चाहता हूं।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, हाउस के तकरीबन सभी सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है और मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी सदस्य की राय भी इससे अलग है। Speaker Sir, therefore, I want to move a resolution.

Mr. Speaker : Alright.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That Shri Om Parkash Chautala, MLA may be censured for his false and incorrect statement made knowingly and deliberately before the House during his speech on Governor's Address on 12.03.2008 by quoting incorrect figures of loan waived during the year 1987-88 and the Central Scheme of 1990 qua Haryana Share. Thus, he may be censured for his improper and highly objectionable conduct and for misleading the House on this account.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That Shri Om Parkash Chautala, MLA may be censured for his false and incorrect statement made knowingly and deliberately before the House during his speech on Governor's Address on 12.03.2008 by quoting incorrect figures of loan waived during the year 1987-88 and the Central Scheme of 1990 qua Haryana Share. Thus, he may be censured for his improper and highly objectionable conduct and for misleading the House on this account.

Mr. Speaker : Question is—

> That Shri Om Parkash Chautala, MLA may be censured for his false

and incorrect statement made knowingly and deliberately before the House during his speech on Governor's Address on 12.03.2008 by quoting incorrect figures of loan waived during the year 1987-88 and the Central Scheme of 1990 qua Haryana Share. Thus, he may be censured for his improper and highly objectionable conduct and for misleading the House on this account.

The motion was carried.

विधान कार्य–

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2008

13.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो सेमैस्टर सिस्टम इंट्रोडयूश किया है यह बहुत अच्छा है लेकिन इसकी पोजीशन यह है कि मैट्रिक के बाद 10+1 और 10+2 की जो दो क्लासिज हैं जो हर स्टूडैंट को पढ़नी पड़ती हैं चाहे कोई मैडीकल, नान मैडिकल, कोमर्स और आर्ट्स का स्टूडैंट हो। 10+2 की परीक्षा पास करने के बाद चाहे उनकी कोई भी पोजीशन हो, चाहे कितने ही मार्क्स हों, वह सब बेकार है। जो दो साल की पढ़ाई है उसको कंसिडर नहीं किया जाता और आगे एडमिशन के लिए अलग से एंट्रैस एग्जाम होते हैं। उन एंट्रैस एग्जाम के लिए बड़े-बड़े शहरों में ट्यूटोरियल कॉलेजिज और ट्यूशन सैन्टर खुले हुए हैं, ये तैयारी करवाते हैं। ये इंस्टीच्यूट कोचिंग के लिए बहुत ज्यादा फीस ऐंठते हैं जिसको हमारे गांवों के गरीब लड़के-लड़कियां वहन नहीं कर सकते। पैसे खर्चने में हमारे गांव के लड़के-लड़कियां शहर वाले अमीरों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि गांवों में कई बार किसी गरीब परिवार का बच्चा पूरे प्रान्त में या जिले में प्रथम आता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब वह एंट्रैस में जायेगा तो उसका एडमिशन हो जायेगा। यहां उसका एडमिशन नहीं हो सकता और जो 10+2 तक की पढ़ाई की थी वह बेकार जाती है। अगर 10+2 के रिजल्ट के आधार पर एडमिशन दें तो गांवों के गरीब

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

लड़के-लड़कियां भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। मैं यह चाहूंगा कि सरकार को इस मामले में भारत सरकार को भी रिकमैंड करना चाहिए क्योंकि यह नेशनल लेवल का एंट्रैस टैस्ट है बल्कि हमें अपनी स्टेट में भी हायर क्लासिज़ के लिए यह एंट्रैस टैस्ट खत्म करना चाहिए और 10+2 के आधार पर ही एडमिशन होना चाहिए। अगर यह एडमिशन 10+2 के आधार पर होगा तो जो लड़के-लड़कियां मैरिट में आते हैं उनका एडमिशन हो जायेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 10+2 की पढ़ाई करने में जो 2 साल लगते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। इसका फायदा बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे ही उठा पाते हैं। वे शुरू से ही इन कोचिंग्स को ज्वाईन कर लेते हैं और अल्टीमेटली उनको ही उसका फायदा होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो मार्क्स का सिस्टम है, जो डिविजन का सिस्टम है, चाहे फर्स्ट डिविजन हो, सैकिंड डिविजन हो, थर्ड डिविजन हो या पास मार्क्स हों, यह बहुत पुराना है, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो लोग हमारी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो यूनिवर्सिटीज में ऐजुकेशन को देख रहे हैं मैं इस हाउस के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि यह सिस्टम अंग्रेजों के समय का चला आ रहा है जिसमें सिर्फ 33 परसैंट वाले को पास कर दिया जाता है और यह सिर्फ क्लर्क पैदा करती है। आज ये बेमानी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 50 प्रतिशत मार्क्स लेने वाले ही पास होने चाहिएं और जो उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते उनके लिए दूसरे एवैन्यूज हैं आई०टी०आई० और दूसरी जूनियर ट्रेनिंग्ज के लिए चांसिज हैं और वे अपना काम कर सकते हैं। बजाये इसके कि 35% मार्क्स लेकर वे बेकार घूमते रहें या कॉलेज में जाएं या पोस्ट ग्रेजुऐशन कॉलेज में जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह परपोज करता हूं कि 50% पास मार्क्स होने चाहिएं और 75% मार्क्स से फर्स्ट डिविजन होनी चाहिए उस फर्स्ट डिविजन को अपर डिविजन कह सकते हैं और उससे नीचे लोवर डिवीजन होनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें चेंज करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाउस में एक बड़ी चर्चा चलती है कि गांवों में डॉक्टर्ज नहीं जाते हैं। इसके कारण हैं क्योंकि जहां पर वे 5-6 साल शहर में पढ़ते हैं या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहां पर बड़े-बड़े शहरों और मैडिकल कॉलेजों में वे पढ़ते हैं वहां हर सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है तो उनकी बीवी भी बहुत पढ़ी-लिखी होती है। उसके बाद इतना गैजेट्स उनके ससुराल वाले दहेज में देते हैं। स्पीकर सर, गांवों में तो बिजली नहीं है इसलिए उनका फ्रिज, टी०वी०, वाशिंग मशीन और ए०सी० आदि काम नहीं करते हैं। नॉर्मली वे गांवों में नहीं जाते और शहरों में रहते हैं, या छुट्टी ले लेते हैं या फिर नौकरी तो किसी शहर में करते हैं लेकिन तन्ख्वाह गांव से लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह परपोज करूंगा कि सरकार को इस प्रकार के रूरल डॉक्टर्ज मुकर्रर करने चाहिए जो गांव की बेकग्राउंड से हों और गांवों में रह सकें। बजाए इसके कि वे 5-6 साल तो एम०बी०बी०एस० की पढ़ाई करें और उसके बाद दो-अढ़ाई साल पढ़ाई करके दूसरी डिग्रियां यानि पोस्ट ग्रेजुऐशन की डिग्री लें। जो रूरल डॉक्टर्ज तैयार किए जाएं उन्हें छः महीने की या जितनी मुनासिब समझे उनको ट्रेनिंग देकर गांवों में लगाया जाए। वे लोग कोई कॉम्पलीकेटिड ऑपरेशन न करें और ऐसे केसिज को बड़े अस्पतालों में रैफर कर सकते हैं। गांव के गरीब आदमी को कम से कम उनकी सेवाएं मिल सकती है क्योंकि गांव के गरीब आदमी महंगा

डॉक्टर एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रूरल डॉक्टर्ज होने से वे महंगे डॉक्टरों की लूट से भी बचेंगे। इनिशियल प्रिलिमिनरी इलाज तथा छोटी-मोटी दवाइयों के लिए वे रूरल डॉक्टर्ज के पास जा सकते हैं। बहुत सी छोटी-मोटी बीमारियां हैं जिनका इलाज गांव में ही हो सकता है। गांव में काम करने वाले डॉक्टर्ज को रूरल डॉक्टर्ज की पोस्ट दे दी जाए और उनकी पढ़ाई और कोर्स भी थोड़ा डिफरैंट हो और उसको सिक्वीज कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से गांव के लोगों को मैडिकल की सहूलियत मिल सकती है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अन-आर्गेनाईज्ड सैक्टर ऐसा है जिसमें आपके बेशुमार लोग अन-आर्गेनाईज्ड सैक्टर में काम करने वाले हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनको कोई राईट नहीं है, उनकी कोई प्रोटैक्शन नहीं है। रेहड़ी वाला है, छाबड़ी वाला है रिक्शा चलाने वाला है, खच्चर-रेहड़ा चलाने वाला है, ऊंट रेहड़ा चलाने वाला है इनके लिए पार्किंग के लिए तथा अपना काम-धन्धा करने के लिए कोई जगह नहीं है। स्पीकर सर, इस प्रकार के जो छोटे-छोटे काम करते हैं या कुछ चीजें बेचते हैं उनके लिए म्यूनिसिपल कौंसिल या म्यूनिसिपल कमेटी में कोई जगह मुकर्रर नहीं है जहां पर वे लोग अपना रोजगार चला सकें। स्पीकर साहब, म्यूनिसिपल कौंसिल और म्यूनिसिपल कमेटियों के लोग इनसे मन्थली लेते हैं इनसे पैसा लेते हैं। पुलिस वाले भी इनको बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं और कई दफा उनका पूरा छाबड़ा या टोकरी उल्ट देते हैं और इस प्रकार से उनके पेट पर लात मारते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 3-4 बातें अन-आर्गेनाईज्ड लोगों के लिए करनी जरूरी हैं। नम्बर एक तो हर शहर में यह अनिवार्य होना चाहिए कि म्यूनिसिपल कौंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी इनके लिए कोई जगह मुकर्रर करेगी। इसके लिए बस-अड्डे के पास, रेलवे स्टेशन के पास या किसी और मुनासिब जगह पर उनको जगह दी जाए जहां पर उनका सामान बिक सकता है। लोग उनसे सामान खरीदते हैं। उन गरीब लोगों की शंटिंग होती रहती है। हर साल या छठे महीने उनको लाईसैंस लेना पड़ता है, तहबाजारी देनी पड़ती है, अध्यक्ष महोदय, यह सारा कानून चेंज होना चाहिए, खत्म होना चाहिए और उन लोगों को शहर में कोई परमानैंट जगह दी जानी चाहिए उनको शैड्ज वगैरा भी प्रोवाईड करवाये जाने चाहिएं। जो रिक्शा वाले हैं या रेहड़ी अथवा खच्चर-रेहड़ा चलाते हैं उनके लिए पार्किंग मुकर्रर करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके लिए दो और बातें जरूर कहूंगा। एक तो इन को सोशल बैनिफिट्स जरूर मिलने चाहिएं। अगर किसी का कोई एक्सीडैंट हो जाता है उनके इलाज के लिए मैडिकल ट्रीटमैंट के लिए सरकार उसका बीमा करवा दे। इन सबका मैडिकल ट्रीटमैंट बीमा सरकार को करवाना चाहिए जैसे और भी बहुत से गरीब लोगों का करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इनके बच्चों की ऐजुकेशन के लिए है। एस०सी०, बी०सी० और दूसरे गरीब बच्चों को वजीफा दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं, बस्ते दिये जाते हैं। उन गरीब बच्चों का क्या होगा, आज उनके लिए कोई भी सहूलियत नहीं है। मेरा कहना है कि उनको भी एट पार ट्रीट करना चाहिए। मैडिकल में और पढ़ाई में इन गरीब बच्चों को भी सहूलियतें देनी चाहिए। पुलिस भी इन गरीब लोगों को तंग नहीं करे इसलिए इनको प्रोटैक्शन देनी चाहिए। ये गरीब लोग झोटा-गाड़ी खच्चर आदि पर अपना समान लेकर आते हैं और उनको समान उतारने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती है जिसकी वजह से बहुत दर्द पैदा होता है। इसी तरह से अब हिन्दुस्तान में मल्टीनैशनल कम्पनियां छोटे स्टोर लेकर आ

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]
रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने यह बात पहले भी कह दी है। आप इसको रीपिट न करें। अब आप बैठें।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह बात नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि जो रिटेल का काम करते हैं उनकी संख्या 8 करोड़ के करीब है। सर, न तो किसी सोसाईटी के पास और न ही सरकार के पास इन रिटेलर्ज का कोई सैंसेक्स है, कोई फीगर नहीं है कि वे कितने हैं और कैसे गुजारा करते हैं। यह जो मल्टी नैशनल कम्पनियां रिटेल शॉप्स खोल रही है, यह रिटेलर्ज के लिए बहुत बड़ा थ्रैट है इस सम्बन्ध में सरकार को नीतिगत फैसला लेने के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सुरजेवाला साहब इस सदन में सबसे सीनियर सदस्य हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आज एम०एल०ए० हैं। इनकी पता नहीं क्यों प्राईवेट डाक्टर्ज के बारे गलत धारणा बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में डॉक्टर बनना सबसे मुश्किल काम है।

श्री अध्यक्ष : भारद्वाज जी आप उनसे कुछ न कहें। आप एप्रोपिएशन बिल पर बोलें। (विघ्न)

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जितनी सेवा प्राईवेट डाक्टर्ज करते हैं उतनी सेवा तो सरकारी डाक्टर्ज भी नही कर सकते हैं। मैंने सरकारी नौकरी भी की है और प्राईवेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। मैंने दो जगहों पर काम करके देखा है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। प्राईवेट डॉक्टर और वकील दोनों ही बहुत सेवा करते हैं। इसमें पैसा भी बहुत है और इज्जत भी है। डॉक्टर साहब आप प्वायंट पर आएं। एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 21, 22 और 23 तारीख की छुट्टी थी। मैंने इन तीनों दिनों में वहां पर खूब काम किया है। अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को मुझे हाउस में आना था और उस दिन प्रश्न काल के दौरान मेरा पहला प्रश्न लगा हुआ था। मैं 11 बजे तक तो आप्रेशन थियेटर में था उसके बाद मैं शादी में गया फिर वहां से चलकर यहां पर पहुंचा था। यहां पर मेरा पहला प्रश्न लगा हुआ था।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, यह सब करना पड़ता है। आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें। अगर आप इस तरह से डिबेट करेंगे तो यह ठीक नहीं है।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : सर, मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोल रहा हूं। यह जो यहां पर अढ़ाई साल और 6 महीने के कोर्स करने की बात की जा रही है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सुझाव सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, इस बारे में फाईनांस मिनिस्टर जी जवाब देंगे। आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : सर, सुरजेवाला जी ने प्राईवेट डॉक्टरों के बारे में बात कही

है। मैं उस बारे में अपनी बात कह रहा हूं।

Mr. Speaker : आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें। Please specify your demand and speak. (विघ्न) नहीं नहीं। आप बैठ जाएं। प्रोफैसर छत्तरपाल जी आप बोलें। प्रोफैसर साहब बोलते हुए आप समय का ध्यान रखना।

प्रो० छत्तर पाल सिंह (विराय) : स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया। सर, मैं डिमांड नं० 10 पर बोलना चाहता हूं। मेरी मैडीकल और पब्लिक हैल्थ से संबंधित बात है। विलेजिज की बहुत डिमांडज हैं कि कहीं पर पी०एच०सी० खोली जाए, कहीं पर पी०एच०सी० से सी०एच०सी० अपग्रेड की जाए और कहीं पर सब-हैल्थ सैंटर खोले जाएं। स्पीकर सर, मेरी कांस्टीच्यूएंसी में रायपुर, फरीदपुर, खेदड़ भागाणा, लाडवा, बावड़ा, खैरी, कंडूल, भाटला, बातक ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरह की डिमांडज ऐग्जिस्ट करती हैं। विभाग की तरफ से तो पुराने नोर्म्ज ही चले आ रहे हैं कि इतनी पोपुलेशन पी०एच०सी० से सी०एच०सी० की अपग्रेडेशन के लिए चाहिए, इतनी पोपुलेशन नयी पी०एच०सी० खोलने के लिए चाहिए, इतनी पोपुलेशन नये सब-हैल्थ सैंटर खोलने के लिए चाहिए। स्पीकर साहब, एन्वायरमैंट बहुत ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। अब पेस्टीसाइडस खेत के खाद्यान्न में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके कारण बहुत बुरी तरह से बीमारियां बढ़ने लग रही हैं। मेरी गुजारिश है कि सरकार इस बारे में नोर्म्ज में रिलैक्सेशन देकर देहातों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पी०एच०सी०, सी०एच०सी० और सब-हैल्थ सैंटर्ज खोलने की तरफ ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, आप तो सीनियर मैम्बर हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ऐप्रोप्रिएशन बिल पर किस तरह की बात बोलनी है। ऐप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा डिफरैंट डिमांडज के लिए जो फंडज की ऐलोकेशन की गयी है उसमें अगर आपको यह दिखाई देता है कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है और आपका सुझाव यह है कि इस हैड में अगर इस लाईन में इतना प्रोविजन और बढ़ा दें या इसमें अलग से बजट रख दें क्योंकि यह खर्च होना है।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, यदि आप इनके लिए रिलैक्सेशन देंगे तो आपको इनको और ज्यादा ऐप्रोप्रिएट बनाने के लिए पैसा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। यही मेरा सुझाव है कि यदि आप इसके लिए रिलैक्सेशन देंगे तो ज्यादा सब-हैल्थ सैंटर्ज, पी०एच०सी०, सी०एच०सी० खोलनी पड़ेगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, आप चेयर के माध्यम से फाईनैंस मिनिस्टर को एड्रैस करें क्योंकि यह हैल्थ का ऐप्रोप्रिएशन बिल नहीं है।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, हैल्थ की डिमांड होगी तो पैसा फाईनैंस मिनिस्टर ही देंगे। हैल्थ मिनिस्टर साहिबा भी यही बैठी हैं और फाईनैंस मिनिस्टर भी बैठे हैं। हम सभी देहात को रिप्रजैंट करते हैं इसलिए सबके एरियाज में एक ही प्रोब्लम है। मेरी गुजारिश है कि हैल्थ मिनिस्टर इस बारे में गौर करेंगी। हमारे फाईनैंस मिनिस्टर साहब तो बहुत लिबरल हैं वे हाउस में ऐश्योर करते रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है अगर पंजाब

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]
भी मांगे तो हम देना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है कि हैल्थ मिनिस्टर इसको और ज्यादा ऐप्रोप्रिएट बनाने के लिए ध्यान दें।

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमारा जो यह विभाग है यह एक तरह से वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। जो नोर्म्ज तय किए जाते हैं उनको हम तय नहीं करते बल्कि पूरे देश में भारत सरकार इनको तय करती है। पूरे देश में एक से ही नोर्म्ज हैं। केवल पहाड़ी इलाकों के लिए कुछ आबादी में छूट दी गयी है बाकी देश के किसी भी हिस्से के लिए नोर्म्ज एक से ही हैं उनके लिए आबादी में छूट नहीं दी गयी है। जो मिनीएयर प्रोग्राम है इसके तहत भारत सरकार हमें कुछ पैसा देकर हमारी मदद करती है।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरी गुज़ारिश है कि जिन आवश्यकताओं का इशारा मैंने विभाग की तरफ किया है उन आवश्यकताओं को दिमाग में रखकर विभाग सुझाव दें। यदि विभाग इन आवश्यकताओं को ठीक समझता है तो नोर्म्ज में रिलैक्सेशन करने के लिए, नोर्म्ज रि-ऐस्टेबलिश करने के लिए वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन को भी लिख सकता है और यहां भी आप कानून के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं० 17 पर अपनी बात कहना चाहता हूं। एक केस मेरे नोटिस में ऐसा आया है जो ऐग्रीकल्चर विभाग से संबंधित है। दो डिप्टी डायरैक्टर्ज हैं जिनको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने नियुक्त किया है। ओम प्रकाश पुत्र श्री भूखराम और धर्मपाल पुत्र श्री तेलूराम। ऐग्रीकल्चरल मिनिस्टर साहब इसको देखें कि इनकी रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन थी या नहीं। **********

श्री अध्यक्ष : प्रो० छत्तर पाल सिंह जी अब जो कुछ कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए। आपको अपील चुनिटी दी थी। If you have the tendency to snatch the right of others then it is not a right practice and it is not a good practice. Please take you seat.

श्री हर्ष कुमार (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बारे में सुझाव देना चाहूंगा कि जहां तक शिक्षा की बात है। दलित वर्ग और कमजोर वर्ग के बच्चों को सरकार ने रियायतें दी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह सराहनीय है। लेकिन ये जो मिड-डे मील स्कीम है या जो ए०आई० सैंटर चल रहे हैं। इनकी वजह से गांवों में शिक्षा का स्तर उस तेजी से नहीं सुधर रहा जिस तेजी से सुधरना चाहिए। इस क्षेत्र में कुछ सुधार लाने के लिए मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जिस तरह से सरकार ने दलित और कमजोर वर्ग के बच्चों को रियायतें दी हैं इसी तरह से देहात में जो हमारे टीचर्ज हैं उनके बच्चों को भी उसी तरह से रियायतें दें लेकिन उसमें एक शर्त यह होनी चाहिए कि जो मास्टर स्कूल में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। अगर ऐसा किया जाएगा तो कम से कम देहात में इस बात से शिक्षा के स्तर में कुछ तो सुधार होगा। जितने भी सरकारी

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

शिक्षक हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90 परसैंट टीचर्ज के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो गांव के स्कूलों में टीचर्ज को गपशप के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह जाता। मिड-डे मील या फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूलों में कमरे वगैरह बनते हैं उन्हीं कामों में टीचर्ज ज्यादा रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। ये शर्त यदि लगाई जाएगी तो लाजिमी तौर से देहात में बच्चों की शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि हमारा मेवात का इलाका है। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां एजुकेशन नहीं है। विशेष तौर से वहां पर लड़कियों के लिए ऐजुकेशन नहीं है। वहां एक नर्सिंग ट्रेनिंग सैंटर खोल रखा है लेकिन उस नर्सिंग ट्रेनिंग सैंटर में क्वालिफिकेशन पूरी न होने की वजह से वहां ऐडमिशन पूरे नहीं होते। उसमें दसवीं पास की क्वालिफिकेशन रखी गई है। मेरा सुझाव है कि दसवीं की जगह उस क्वालिफिकेशन को आठवीं पास रख दी जाए। आठवीं के साथ जो एक साल का नर्सिंग का कोर्स है उसको दो साल या तीन साल का कर दिया जाए। नर्सिंग की ट्रेनिंग के साथ-साथ दसवीं की ऐजुकेशन तक कम्प्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जाए तो जितनी पी०एच०सी० और सी०एच०सी० हैं जिनमें आशा वर्कर और हैल्थ वर्कर की पोस्टें खाली पड़ी हैं उनके लिए अच्छी टीम तैयार हो जाएगी। हैल्थ के लिए बहुत सारे काम सरकार कर रही है लेकिन वहां टीम की कमी है। डॉक्टर देहात में नहीं आते हैं और पी०एच०सी० व सी०एच०सी० में भी डाक्टर्ज की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। सरकार इस काम में प्राइवेट लोगों को ठेके पर लगा रही है लेकिन इसमें अभी अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां जो निचले लैवल का स्टाफ है वह वहां नहीं है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग शुरू की जाए तो बड़ा फायदा होगा। सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वह भी वेस्ट नहीं जाएगा और इलाके का भी फायदा होगा। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री नरेश यादव (अटेली) : स्पीकर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए समय दिया। मैं अपने हल्के की कुछ बातें रखना चाहूंगा। स्पीकर सर, हल्के के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे इलाके में कांटी गांव के लिए एक पी०एच०सी० खोलने के लिए पास हुई थी।

श्री अध्यक्ष : कांटी के बारे में तो आपने क्वैश्चन भी किया था और उसका स्पैसिफिक रिप्लाई भी आ गया।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, बाछौद की पी०एच०सी० का उद्घाटन हो चुका है लेकिन वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है। दूसरा अटेली मण्डी के पास जो कालेज है उसके पास 20 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है वहां पर खेल स्टेडियम खोलने की मांग आई है वहां खेल स्टेडियम बनाया जा सकता है। स्पीकर सर, मेरे हल्के के 3-4 स्कूल ऐसे हैं जो अपग्रेड होने बहुत जरूरी हैं। नीम का राना जोकि इण्डस्ट्रियल जौन है, एक खेड़ी गांव का स्कूल है, एक तिगराम और चन्दपुरा गांव का स्कूल है और पांच गांवों के बीच में कोई प्लस टू का स्कूल नहीं है। इसी प्रकार बिजली के लिए बार-बार लिखकर दिया है। बार-बार प्रस्ताव भी आ जाता है। बिजली की तार और खम्भे बदले जा रहे हैं। लेकिन जब भी प्रिवैंसिज कमेटी की बात आती है तो कह दिया जाता है कि 10-15 दिन में बदल दिए

[श्री नरेश यादव]

जायेंगे। फिर मीटिंग में यह बात आती है कि स्पीड से काम किया जाए। तार और खम्भों की कई गांवों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं कि कई खम्भे तो घरों के बीच में आ गये हैं कहीं तो करन्ट से आदमी मर रहे हैं और कहीं करन्ट से पशु मर रहे हैं। बार-बार कहने के बावजूद अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। हम गांवों में दौरा करने के बाद लोकल अधिकारियों को कामों की लिस्ट बनाकर देते हैं बाकायदा लिखित में भी देते हैं उस समय कम से कम उन कामों को टाईम बाउंड किया जाए और उन कामों का जवाब हमारे पास आ जाए। अधिकारियों को उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि 30-35 साल पहले तारें और खम्भे लगे थे। इसी तरह से ट्रांसफारमर्ज जलते थे। मंडियाली काण्ड जले हुए ट्रांसफारमर्ज को लेकर हुआ था। क्योंकि उस समय यही सुना जाता था कि उस गांव में ट्रांसफारमर जल गया। लेकिन आज यह सुनने में नहीं आता कि किसी गांव में ट्रांसफारमर जला हुआ नहीं मिलता है। स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि जो तार-खम्भे है वे कई गांवों में नीचे लटके हुए हैं। इस बारे में हमने लिख कर भी दिया है। माननीय मंत्री जी, चौधरी साहब हमारी ट्रिवैंसिज कमेटी के चेयरमैन हैं वे हमारे एरिया में जाते रहते हैं इनको भी हमने लिख कर लिस्ट दी है और कैप्टन अजय सिंह यादव भी मौका मिलता है तब जाते रहते हैं इनके माध्यम से भी लिस्ट दी गई लेकिन उस लिस्ट पर कार्यवाही करके कोई हमारे पास जवाब नहीं आता। स्पीकर सर, यह जरूर हो कि जो विधायक लिखकर देता है उसको जवाब तो मिलना चाहिए। कई सड़कें ऐसी हैं जिनमें ज्यादा खड्डे हो गये हैं एक में तो एक स्कूल बस भी गिर गई थी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जिला लैवल पर या लोकल लैवल पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए जायें कि जब भी माननीय सदस्य लिखकर देते हैं उन कामों पर कार्यवाही करके सदस्यों को सूचित किया जाए इस बात पर ध्यान दिया जाए। नरेगा स्कीम के तहत हमारे पास खूब पैसा है जितना चाहे ले सकते हैं। जो ठेकेदारी सिस्टम में हम काम करवा रहे हैं, उसमें देरी हो रही है क्योंकि इसमें जिम्मेवारी फिक्स नहीं हो पाती। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे जिले के जितने बी०डी०ओज० हैं, जितने एक्सीयन पंचायती राज हैं, जितने हमारे जे०ई०ज० हैं वे सब खाली बैठे हैं चूंकि हमारे जिले में इस स्कीम के अलावा दूसरी कोई स्कीम नहीं है और बी०आर०जी०एफ० स्कीम भी अभी तक महेन्द्रगढ़ में नहीं आई है। हमारे सारे कर्मचारी खाली बैठें हैं। नहरों की छटाई के लिए एच०आर०डी०एफ० का जो बजट सरकार देती है वह बहुत थोड़ा बजट है उस पैसे से उसका काम हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि जोहड़ों की खुदाई का काम, मिट्टी गिराने का काम जैसी दूसरी स्कीमों के लिए भी नरेगा स्कीम से थोड़ा पैसा दिया जाए। जिला लैवल पर जैसे जिला परिषद् हैं उनके साथ उस एरिया के एम०एल०ए० की कमेटी बना दें। उसमें पंचायत समिति के मैम्बर्स को भी शामिल कर दें चूंकि उनके पास भी कोई काम नहीं है। यह कमेटी अपने-अपने हलके के पार्षद से और पंचायत समिति के मैम्बर्स से कामों की लिस्ट लें और कहें कि आपके फलां गांव में नहर का काम है, आप कमेटी के साथ चलकर इस काम को देखोगे और फलां-फलां आदमी कमेटी के मैम्बर्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे इनका अधिकारियों पर भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा और पैसा सही काम में लग जाएगा और काम भी हो पाएंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । जैसा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2008 को शिक्षा वर्ष मनाने का फैसला लिया है, हम इसकी सराहना करते हैं । आजादी के तकरीबन 60 साल हो गए हैं और आंकड़े देखें तो ड्राप आउट की समस्या अभी भी बहुत गम्भीर बनी हुई है । आज बहुत सी स्कीमों की घोषणा की गई । हमारी सरकार ने सेमैस्टर सिस्टम की घोषणा की है । मैं यह कहना चाहूंगी कि आज सरकार द्वारा अच्छे स्टैप्स उठाए जा रहे हैं जिनका अच्छा नतीजा निकल रहा है । हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि बच्चों को मुफ्त कापी किताबें दी जाएंगी, मुफ्त बस्ता दिया जाएगा । सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब सरकारी किताबें बांटनी होती हैं तो जब फर्स्ट सेमैस्टर शुरू होता है उसी समय किताबें दी जानी चाहिए क्योंकि बच्चों को किताबें न मिलने की वजह से उनका फस्ट सेमैस्टर निकल जाता है और दूसरे सेमैस्टर में किताबें मिलती है जिसकी वजह से अच्छे नतीजे नहीं निकलते हैं । अक्सर देखा गया है कि गांव में मां-बाप को पता नहीं चलता था कि उनके बच्चे कहां स्टैण्ड करते हैं, उनका किस सब्जैक्ट में इंट्रस्ट है । जब 10वीं का या 8वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आता है कई पेरैंटस को तब पता चलता है कि उनका बच्चा बड़ा होशियार था, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है । कई पेरैंटस को तो तब पता चलता है कि उनका बच्चा अंग्रेजी में कितना नालायक है । भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर प्रावधान किए हैं तो मैं कहना चाहूंगी हम यह सुनिश्चित करें कि हम पहली क्लास से ही रिपोर्ट कार्ड देंगें ताकि पेरैंटस चाहे वे अनपढ़ हैं उनको पता चल सके कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो स्कीमें दी हैं उनमें अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उनका रिव्यू किया जाना चाहिए । हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखीं । CHCs, PHCs की अपग्रेडेशन की बात की गई । मेरा कहना है कि जो PHCs चौपालों में चल रही हैं, नई PHCs बनाने की बजाय जो 15-15 सालों से चल रही है, जैसे हमारे सीसर गांव में 15 सालों से चल रही है, वहां स्टाफ भी हैं और डॉक्टर्ज भी है लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां होस्पिटल चलाया जा सके । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि वहां पर एक होस्पिटल बनाने का प्रावधान किया जाए । इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम के तहत सभी एस०सी० बस्तियों में पानी पहुंचाने का और पाइपें बिछाने का काम किया गया है । क्योंकि गलियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, अब वे बिल्कुल उखड़ गई हैं इसलिए उनको उखड़वाकर कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि उन गलियों को सी०सी० की गलियां बना दिया जाए । धन्यवाद ।

श्री फूलचन्द मुलाना (मुलाना अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार का और केन्द्र की सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे नैशनल हाइ-वे में सुधार हुआ है । व्हीकल्स की संख्या बहुत बढ़ी है । हर रोज फैक्ट्रियां जितने व्हीकल्स बनाती हैं वे सारे रोडस पर आते हैं । नैशनल हाई-वे एथोरिटी ऑफ इण्डिया है उनके बैरियर्ज से जो भी व्हीकल गुजरता है उसको टोल टैक्स देना पड़ता है । वहां पर बैरियर्ज पर लम्बी-लम्बी लाइनें लग जाती हैं और जाम भी लगते हैं । उसमें करप्शन भी बहुत होता है । रात के समय में तो डुप्लीकेट पर्चियां काटी जाती हैं इसमें मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से पैट्रोल पर सैस लगा हुआ है या गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के समय भी

[श्री फूलचंद मुलाना]
व्हीकल टैक्स लिया जाता है अगर नैशनल हाई-वे एथोरिटी ऑफ इण्डिया के लिए भी नैशनल हाई-वे एथोरिटी ऑफ इण्डिया के नाम से अलग से सैस व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय ही ले लिया जाये तो अच्छा होगा। इससे करप्शन भी कम होगी और रोड पर जाम भी नहीं लगेगा। मेरे ख्याल में आजकल हर गाड़ी कहीं न कहीं पर उन बैरियर्ज से होकर गुजरती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्वायंट यह है कि जो आपकी और हमारी चिंता है कि आज के दिन चाहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट हो, चाहे पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट हो और चाहे पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) डिपार्टमैंट हो यानि कि हर विभाग में सारे काम ठेकेदारों के माध्यम से करवाये जाते हैं। जो हमने 5-6 हजार इन्जीनियर लगा रखें हैं ये केवल सुपरवाईजरी करने के लिए रखे हुए हैं। जो ठेकेदार बीच में काम छोड़कर भाग जाते हैं उनके खिलाफ भी हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिए स्टेट के हित में मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि सभी विभागों में पहले की तरह विभागीय स्तर पर काम करवाना चाहिए और ठेकेदारी सिस्टम को बंद करना चाहिए ताकि जो हमारे अधिकारी आज मौज मार रहे हैं उनकी जिम्मेवारी बने।

श्री रणधीर सिंह बरवाला (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग भी करता हूं और सुझाव भी देता हूं कि मलेरिया विभाग गांवों और शहरों में मच्छर मारने के लिए मई, जून और जुलाई के अंदर दवाई का स्प्रे करता है। लेकिन अब गांव और शहरों में दो समय मच्छर पैदा होते हैं। फरवरी और मार्च के महीने में भी मच्छर बहुत होते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मच्छर मारने वाला स्प्रे साल में दो बार किया जाना चाहिए। एक बार फरवरी और मार्च में तथा दूसरी बार मई, जून और जुलाई के महीनों में स्प्रे करना चाहिए ताकि लोगों को मच्छरों से छुटकारा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि बरवाला में सी०एच०सी० के लिए पैसे देकर वहां पर ऑपरेशन थियेटर बनवाया है। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि बरवाला की सी०एच०सी० को जनरल हॉस्पिटल बनवाया जाये। वह जनरल हॉस्पिटल के सारे नार्म्ज पूरे करता है वहां की आबादी 50 हजार के करीब है।

श्री अर्जन सिंह (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि गांवों के अंदर नालियों का पानी सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। इसका मेन कारण यह है कि वहां पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि पांच-सात गांवों के लिए एक नाला बनाया जाना चाहिए जिसमें वे गांव अपना गंदा पानी डाल सकें।

श्री सुखबीर सिंह फरमाना (रोहट) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मौजूदा सरकार बहुत अच्छे और ईमानदारी से कार्य कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि मेरे हल्के में बधाना से रोहट की सड़क जल्दी से जल्दी बनवाई जाये। स्पीकर सर, सरकार द्वारा हमारी लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं और सभी काम बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। क्योंकि एक ईमानदार मुख्यमंत्री की यह एक बढ़िया सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अन्तर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं अपने हल्के की एक मांग आपके माध्यम

से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। यहां पर मेरे हल्के के एक बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने मुझसे बधाने से रोहट का रास्ता जो कि मार्केटिंग बोर्ड के तहत आता है उसको बनवाने का निवेदन किया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस रास्ते को बनवाने का अनुरोध करूंगा। इसके अलावा मैं एक बात जोहड़ों के बारे में कहना चाहता हूं। जोहड़ों में हमारे पशु पानी पीते हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश में काफी मात्रा में पशुधन है। इसलिए सरकार द्वारा जोहड़ों का निर्माण भी किया जाना चाहिए इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी से बजट में प्रावधान करने का भी अनुरोध करूंगा। इसके लिए भी अलग से बजट दिया जाना चाहिए कि नाले खोदकर जोहड़ों को भरा जाये।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर (नारनौल) : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के बारे में मैं एक सजैशन देना चाहूंगा। इसमें मेरा सुझाव यह है कि सरकार को ग्रामीण डॉक्टरों की भर्ती के लिए अलग से स्पैशल एडवरटाईजमैंट निकालनी चाहिए और उसमें उनको दो हजार या चार हजार या जैसा भी सरकार उचित समझें उनको ज्यादा तनख्वाह प्रोत्साहन के तौर पर भी देनी चाहिए। इसके अलावा एक शर्त यह भी होनी चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के तहत निकली वैकेंसी पर ड्यूटी ज्वाईन करे उसकी शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर भी नहीं होगी। जिससे वे वहां पर रुक कर सेवा कर सकें। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त एक दूसरी छोटी सी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सन् 1975 में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों का वेतन 12 हजार रुपये था और अब यह 20 हजार रुपये हो गया है।

Mr. Speaker : Is there any other Member, who want to speak on the appropriation Bill.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, सभी मैम्बर्स की मंशा यह है कि बिना रिप्लाई के ही ये सब बिल पास हो जायें। मैं अपने सारे सदन का, विधान सभा के सभी कर्मचारियों का और जिन्होंने बजट बनाने में मेरी मदद की, मेरे विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का एक अच्छा बजट बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बजट में जो दिशानिर्देश हैं आने वाले पूरे साल के दौरान हम उनको पूरा करेंगे ताकि हरियाणा प्रगति के पथ पर पूरे तौर पर अग्रसर हो सके। इसके अतिरिक्त मैं बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके बगैर तो गाड़ी चलती ही नहीं। कोशिश तो मैं जरूर करता हूं कि इनके बगैर गाड़ी चल जाये लेकिन चलती नहीं।

श्री अध्यक्ष : क्या स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, स्पीड ब्रेकर तो नहीं आते लेकिन ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी के पास 39 या इससे ज्यादा विभाग हैं। सारे 80 के करीब विभाग हैं। जितना समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है इतना समय कोई और मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। क्योंकि मैंने तीन-चार मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है और उनकी कार्यप्रणाली को देखा। श्री बंसी लाल जी के साथ भी मैं रहा और बहुत नजदीक से उनकी कार्यशैली देखी, श्री भजन लाल जी के साथ भी मैं रहा और इसके साथ ही विपक्ष में बैठकर भी मैंने बहुत से मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली देखी हैं। एक बात मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि इनको तो मनाया जा सकता है और इनको हम यह कह सकते हैं कि यह काम हमको करना है। बहुत से मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने यह भी देखा है कि वे किसी काम

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

को करने के लिए हां भी कह देते थे और काम करते भी नहीं थे। मैं जब 1991 में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुआ तो उस समय मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और श्री भजन लाल जी उस समय मुख्यमंत्री बनाये गये। उन्होंने यहीं इस हाउस में विधान सभा के प्रथम सैशन के दौरान यह बयान दिया कि हम 6 महीने के अन्दर-अन्दर एस०वाई०एल० की खुदाई पूरी कर देंगे। जब एक साल बीत गया उस समय भी मैं पार्टी अध्यक्ष था तो मैंने कहा कि चौधरी साहब प्रदेश में भी लोग पूछेंगे और विधान सभा में भी लोग पूछेंगे कि जो आपने 6 महीने के अन्दर एस०वाई०एल० की खुदाई की बात कही थी वे 6 महीने हो गये हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भईया मैं यह कहूंगा कि कौन से 6 महीने। पहले एक यह भी नजरिया था और एक यह भी नजरिया है कि हम निशाना तय कर लें और उस पर खरे उतरें। लक्ष्य पर खरा उतरने में मैं मुख्यमंत्री जी को पूरे मार्क्स दे सकता हूं। इनकी यह कोशिश रहती है कि लक्ष्य पर ये पूरे उतरें। पहले मुख्यमंत्रियों में और आज के मुख्यमंत्री में यही फर्क है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमिशन बनाया है उसका भी यही मानना था कि काम की गति धीमी है, अब वह तो दलाल साहब पर निर्भर करता है कि वे इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने तो अपने भाषण में भी इसलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी की बड़ी तारीफ की थी, इसीलिए की थी कि काम की रफ्तार कुछ तेज हो जाये।

श्री अध्यक्ष : तो क्या फैक्च्यूअल पोजीशन कुछ और थी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : फैक्च्यूअल पोजीशन तो यह है कि अब हमारा माइंड सैटअप ऐसा बन गया है। अब हम बुरा ही नहीं मानते कि यह काम इतनी देर से रूका हुआ है। हम कहते हैं कि हो जायेगा। फाईल मेजी है फिर नोटिंग होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपने, मुख्यमंत्री जी ने और सभी ने यह फैसला किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमिशन बनना चाहिए और अब उसमें ही ये सब बातें तय होंगी। मैं फिर यही बात कहूंगा कि हमारे साथियों ने, हमारे मंत्रीगण ने हमारा साथ दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि प्लान एस्टीमेट क्या है? अगर हमारे पास पैसा है तो हमें काम करना चाहिए। अगर ज्यादा पैसा खर्च होता है तो हो जाये, हम पैसा देंगे। अगर कोई स्कीम ऐसी है जो एक साल में पूरी होनी हो और हम उसको 3 साल तक स्प्रैड ओवर करते रहे तो फिर लोग भी यह समझते हैं कि यह तो बननी ही थी तो फिर राजनीतिक लोगों को उसका क्रेडिट नहीं मिलता। अगर आप लोग कह कर आयें कि यह काम 3 महीने में हो जायेगा या 3 साल में हो जायेगा और वह काम उस समय में पूरा हो जाये तो वे लोग समझते हैं कि हमारे जो एम०एल०ए० हैं वे इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इसको पूरा किया है। इस तरह की जो योजनाएं हैं जो हैल्थ डिपार्टमैंट से संबंधित हैं, जो सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट से संबंधित हैं उनमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। चाहे कोई विपक्ष का विधायक है, चाहे हमारा अपना साथी है उससे यह भी होगा कि जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको यह भय रहेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे विधायकों को या हमारे दूसरे साथियों को इसका पता लग जायेगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे पास पैसा होते हुए भी काम करने वाला नहीं

है। अध्यक्ष महोदय, जैसे मुलाना जी कह रहे थे कि यह ठेकेदारी पद्धति भी गलत है। मैं अपने गांव की बात बताता हूं। मेरे दो गांव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको आदर्श गांव बनाना है क्योंकि यह उनका नानका भी है। मेरा जो डूमरखां गांव है उसके ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। मैंने एक दिन पुलिस को कहा कि उसको बुलाओ और उसके खिलाफ केस दर्ज करो, वह लोगों को बहुत परेशान करता है। तो जो पंचायती राज का एक्सियन था उसने कहा कि अगर इसके साथ आप ऐसा करेंगे तो सब काम ठप हो जायेगा और हम कुछ भी नहीं कर पायेंगे। अब समय आ गया है जब हमें इस बात का फैसला करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड में 5 हजार इंजीनियर्स, एस०डी०ओ० और जे०ई० हैं लेकिन काम फिर भी सारा ठेके पर हो रहा है। सिर्फ यही डिपार्टमैंट नहीं है और भी बहुत सारे डिपार्टमैंट ऐसे हैं। तो ये पौलिसी डिसीजन हमारे को लेने पड़ेंगे। अगर वे इंजीनियर्स सिर्फ सुपरविजन के लिए बने हैं then we would like to have officers from business administration जिन्होंने एम०बी०ए० किया हुआ है। फिर हमें इंजीनियर्स की क्या जरूरत है?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, यह ठेकेदारी प्रथा बंद हो जाये और डिपार्टमैंटल काम शुरू किया जाये।

Mr. Speaker : Hon'ble Finance Minister of Haryana Government is saying this. God will not come for the rescue of anybody. You should make the detailed plan and execute it.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Speaker Sir, I can collect the funds for the State. I can disburse the funds for the State but that is to be decided by the different departments how they want to move. But this is my apprehension that this may be one of the bottlenecks where we are suffering. सर, ये बेसिक बातें हैं जिनको हमें तय करना चाहिए और हम इसमें लगे हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमने प्रयास नहीं किये हैं, हमने प्रयास किये हैं। स्पीकर सर, बहुत से साथियों ने सुझाव दिये हैं। माननीय श्री सुरजेवाला जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, डॉ० शिव शंकर भारद्वाज जी, श्री हर्ष कुमार जी, श्री नरेश यादव जी, श्री राधेश्याम शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये और श्री सुखबीर फरमाना जी ने कहा है कि तालाब भरवाए जाने चाहिएं। चौधरी रणधीर सिंह जी ने भी अच्छे सुझाव दिये हैं और बहुत सी चीजें हमारे माननीय साथियों ने यहां पर प्रस्तुत की हैं। (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वांयट ऑफ ऑर्डर है। हमारे यहां फरवरी और मार्च में मच्छर होते हैं। (विघ्न) मच्छर केवल हमारे यहां ही नहीं होते बल्कि सारे हरियाणा में ही होते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। श्री राधेश्याम शर्मा जी ने भी अच्छे सुझाव दिये हैं। डॉ० शिवशंकर भारद्वाज जी और श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कहा है कि जो रूरल एरिया के डॉक्टर्ज हैं वे स्पैसिफिकली रूरल डाक्टर्ज इम्पलाईज होने चाहिएं। इसके लिए इन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। एक तो यह सुझाव दिया है कि उनको कुछ स्पैशल एलांउस दिया जाए ताकि वे गांवों में टिक सकें। स्पीकर सर, कोई माने या न माने आज के दिन भी जो डॉक्टर्ज गांवों में पोस्टिंग करवाते हैं वे भी कहीं और डैपुटेशन पर काम करते हैं। उनका डैपुटेशन भी

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

हम लोग ही करवाते हैं। मंत्री लोग या एम०एल०एज० कहते हैं कि यह मेरा खास आदमी है उसको दूर मत रखो। वह डॉक्टर तनख्वाह तो गांव से लेगा लेकिन काम बड़े शहर में करेगा। (विघ्न) स्पीकर सर, चाहे मैं सत्ता पक्ष में था चाहे मैं पिछले करीब 20 साल से यही स्थिति देख रहा हूं। स्पीकर सर, मैं यह कहता हूं कि आने वाले समय में रूरल डॉक्टर्ज का एक अलग से कार्डर होगा जो गांव में लगाएं जाएंगे वरना आप चाहे कुछ भी कर लें वे वहां नहीं रहेंगे या फिर हम इस सिस्टम को बंद करके रैफरल सिस्टम को स्ट्रोंग बना दें। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी आदमी को थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो इतना अच्छा रैफरल सिस्टम हो कि उसको शहर के बड़े होस्पीटल में ले जाने का काम किया जाए तभी हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सर मैं यह कहना चाहूंगा कि पोस्ट ग्रेजुऐट का कोर्स करने के लिए You cannot believe जो पी०जी० कोर्स करने वाले हैं। (विघ्न) मेरे नोटिस में है कि प्राईवेट डॉक्टर्ज दो-दो करोड़ रुपये लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम ऐसा प्रोविजन कर दें कि जो डॉक्टर एक खास अवधि के लिए गांव में रहेगा उसको पी०जी० कोर्स के अन्दर रिजर्वेशन दे दिया जाए तो आप देखना कि इससे रूरल डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमें इसके लिए कुछ ऐसा प्रलोभन देना होगा या कुछ ऐसी बात करनी पड़ेगी जिससे डॉक्टर्ज गांवों में टिक सकें। स्पीकर सर, ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे साथियों ने रखी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कुछ नई परम्पराएं डाली हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पहली बार मुझे यह अहसास हुआ है कि out of way मैं इन लोगों की मदद करता था और शायद आप भी नाराज होते होंगे और भाई रणदीप सिंह जी को भी शायद मुझ से नाराजगी होती होगी लेकिन आज जिस तरह का उनका बिहेव था, उनका बर्ताव था उसको देखते हुए मैं आज आपका पक्षधर हूं और उनके खिलाफ हूं।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल ऐजुकेशन बिल, 2008

Mr. Speaker : Now the Technical Education Minister will introduce the Haryana State Board of Technical Education Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Sir, I beg to introduce the Haryana State Board of Technical Education Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana State Board of Technical Education Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana State Board of Technical Education Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana State Board of Technical Education Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub clause (2) of clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub clause (3) of clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub clause (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 48

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 48 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub clause (1) of clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Technical Education Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसीलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

14.00 बजे

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसेलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (एलाउंसिज एंड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) सैकेंड अमैंडमैंट बिल, हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (एलाउंसिज एंड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल, दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड एलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल तथा दि हरियाणा सैलरीज एंड एलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल ये पांच डिफरैंट-डिफरैंट बिल्ज आये हैं । स्पीकर साहब, माननीय सदस्य जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के साथी डॉक्टर सुशील इन्दौरा, डॉक्टर सीता राम, भारतीय जनता पार्टी के गौतम साहब, नरेश मलिक, बी०एस०पी० के अरजन सिंह, नेशनेलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सुखबीर सिंह फरमाणा और इंडीपैंडेंटस राधे श्याम शर्मा, चौधरी तेजेन्द्र पाल मान साहब और बहुत से कांग्रेस के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे । सभी साथियों का एक मत था कि जो हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली के सदस्य हैं उनकी मुखतलिफ सुविधाएं और एलाउंसिज वर्षों से नहीं बढ़े हैं इसलिए इन सबको बढ़ाना चाहिए । स्पीकर साहब, यह भी तर्क दिया गया कि

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

जो नैक्सट पे कमीशन आया है जिसके लिए 1500 करोड़ रुपयों से भी अधिक का प्रावधान बजट में रखा गया है तो कम से कम सदन के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको भी पूरी सुविधाएं मुहैया करवायी जाएं। इसलिए इसके तहत ही आज मुखतलिफ बिल्ज आये हैं। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने निर्णय लिया है कि मुखतलिफ बिलों के माध्यम से और कुछ रूल्ज में अमैंडमैंट करने के बाद ये सुविधाएं माननीय सदस्यों को दी जाएं। स्पीकर साहब, मैं इन सब बिल्ज के बारे में एक ही कड़ी में बता देता हूं। सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस का जो बिल इस समय अंडर कंसीड्रेशन है, वह 25 लाख रूपये प्रति सदस्य है। मैं राधे श्याम शर्मा जी का जो इस समय व्यस्त हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बिल के माध्यम से हाउस बिल्डिंग एडवांस 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा मोटर कार एडवांस एम०एल०एज० का जो पहले 6 लाख रुपये था उसको अब सरकार ने 6 लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया है। इसके लिए अमैंडमैंट ऑफ सैक्शन 3 ऑफ हरियाणा एक्ट 9 ऑफ 1979 आने लग रहा है। इसके अलावा जो डेली एलाउंस 600 रुपये है उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि इसको भी बढ़ाया जाए तो इसको बढ़ाकर अब एक हजार रुपये डेली कर दिया गया है। इसके लिए अमैंडमैंट ऑफ सैक्शन 5 ऑफ हरियाणा एक्ट 2 ऑफ 1975 हम लेकर आए हैं। इसी तरह से जो कांस्टीच्यूएंसी एलाउंस सदस्यों का पहले 8 हजार रुपये प्रति महीना था इसको भी बढ़ाने की मांग आयी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमें निर्देश दिया था इसलिए इसको भी हमने बढ़ाकर दस हजार रुपये महीना कर दिया है। इसके अलावा पांचवां बिल यह है जो सम्पचरी एलाउंस है जो पहले एक हजार रुपये महीना था इसको भी एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये महीना कर दिया है। इसके लिए हम रूल्ज में अमैंडमैंट करेंगे। छठा बिल यह है कि जो माइलेज एलाउंस है जो पहले दस रुपये किलोमीटर सारे सदस्यों को आने जाने के लिए मिलता था, जब सारे सदस्यों ने कहा कि डीज़ल पैट्रोल के दाम कई बार बढ़ चुके हैं और पिछली बार आठ से दस रुपये भी हमारी कांग्रेस सरकार ने ही किया था, इसलिए अब भी इसको दस रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये किलोमीटर करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए रुल्ज में नैसेसरीज अमैंडमैंट लेकर हम आएंगे। जो सातवां बिल पैंशन का है वह तो हम पहले ही पास कर चुके हैं। इसको 600 रुपये महीने से बढ़ाकर हम एक हजार रुपये महीना कर चुके हैं। स्पीकर सर, ये सात भिन्न-भिन्न मदों के अंदर माननीय सदस्यों के पैसे बढ़ाए गए हैं। मुझे लगता है कि एक मत से हमें इस बात का स्वागत भी करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : पंडित जी, यह बिल लोन पर था क्या आपको इस पर कुछ कहना है।

श्री राम कुमार गौतम : नहीं सर।

श्री नरेश यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार अपने सभी विधायकों को गाड़ियां देती हैं। लोन भी बहुत ज्यादा दिए जाते हैं गाड़ी भी टूट जाती है तो यह एक प्रकार से बराबर ही पड़ता है। मेरी रिक्वैस्ट है कि सरकार के पास फाइनैंस की भी इस

समय कमी नहीं है इसलिए सभी विधायकों को गाड़ियां दे दी जाएं।

श्री आनंद सिंह दांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल के माध्यम से सदस्यों को काफी सहूलियतें दी गई हैं। जैसे बिल्डिंग लोन, कार लोन बढ़ाया है, पैंशन बढ़ाई है लेकिन दो चीजों में फर्क आ गया है जो वेतन था वह जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महोदय का 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है लेकिन एम०एल०ए० का जहां 8 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है उसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है यह अंतर थोड़ा सा ठीक नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि हमारा भी 20 हजार रुपये भत्ता कर दो लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 8 हजार से बढ़ाकर 16 हजार या 15 हजार तो अवश्य किया जाना चाहिए। यह जरूरी चीज है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी आनंद सिंह दांगी और सभी सदस्यों की तरफ से इस बारे में मांग आई है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का सरकार ने निर्णय लिया है। अभी-अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके बारे में हम अनाउंसमैंट कर देंगे। यह भत्ता 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, इसमें ऑनरेबल मैंबर्ज की जो चिंता है वह यह है कि कन्यादान और उसके अलावा स्पोर्टस की पर्चियां भी कटती हैं वह कम से कम 1100 और 2100 रुपये की कटती हैं और इसके अतिरिक्त ऑनरेबल मैंबर्ज का चाय पानी पर भी डेली बहुत खर्च होता है। इस बारे में सदन के सदस्यों की फीलिंग्स का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 15 हजार रुपये कर देंगे।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken in to consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन आफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 2008

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.)

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of

Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.)

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलोजी हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Technical Education Minister will introduce Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry) : Sir, I beg to introduce Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Technical Education Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Education Minister will introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2008

Sir, I also beg to move—

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill, 2008, and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स सेलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सेलरीज एंड अलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Third Amendment Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Third Amendment Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Third Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Third Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Third Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause of clause.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Clause 2. He may move his amendment.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

"That in Clause 2 of the Bill for the words, 'ten thousand rupees' the words, 'fifteen thousand rupees', shall be substituted."

Mr. Speaker : Motion moved—

"That in Clause 2 of the Bill for the words, 'ten thousand rupees' the words, 'fifteen thousand rupees', shall be substituted."

Mr. Speaker : Question is—

"That in Clause 2 of the Bill for the words, 'ten thousand rupees' the words, 'fifteen thousand rupees', shall be substituted."

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill as amended, be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज रोहतक बिल, 2008

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the Health Minister will introduce Pandit Bagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Health Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 54

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 54 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Health Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

प्रो० छतरपाल सिंह (धिराय) : अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी की दाद देनी पड़ेगी कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है टैक्नीकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जनरल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, महिला एजुकेशन यूनिवर्सिटी और अब रोहतक के अन्दर जो पी०जी०आई० था उसको भी आप हैल्थ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ठीक बात है और मैं इसकी तारीफ करता हूं लेकिन जो integrated system of medicine की बात है वह इस यूनिवर्सिटी के अन्दर रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर आपने जनरल मैडिसन के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, सिधा, होम्योपैथी, नैच्यूरोपैथी, योगा and such other disciplines are included in this university. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री की जितनी तारीफ की जाये उतनी कम है। आजकल स्वास्थ्य के प्रति चिन्ता ज्यादा है। इसमें पब्लिक हैल्थ सैंटर की व्यवस्था भी रहेगी, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। Speaker Sir, Health Services with special focus on social and economic relevance of such research and with emphasis of occupational environmental health issue affected the people. अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक सुझाव है कि ऐनिमल साईंस सैंटर की व्यवस्था भी रहे जो रिसर्च के लिए और प्रैक्टिकल प्रपजिज के लिए, स्टूडैंट्स के लिए बहुत जरूरी रहेगा। इसमें शायद यह छूट गया है। मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से गुजारिश है कि ऐनिमल साईंस सैंटर को भी इसमें शामिल किया जाये ताकि इस यूनिवर्सिटी का मकसद हम अच्छी तरह से पूरा कर सकें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, before I adjourn the House sine-die, I would like to thank all the Hon'ble Members of the House for the cooperation extended by them to me in the smooth conduct of the proceedings of the House. I am also thankful to the press representatives as well as the media persons of the television and radio stations who were engagd in connection with the proceedings of the House.

I would also like to thank all the Govt. Officers/Officials concerned with the business of the House.

I am also thankful to all my officers and officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their whole-hearted assistance.

Shri Randeep Singh Surjewala : Mr. Speaker Sir, on behalf of the entire House as also on behalf of the Government, we want to thank you for making this one of the most memorable Sessions of the Haryana Legislative Assembly as also among the longest ever Sessions of the Haryana Legislative Assembly. Sir, the way you gave chance to everybody to express their opinion freely and fairly, the way you upheld the highest traditions of parliamentary democracy, the way you involved opposition members in the debate, the way you gave a chance to all concerned to raise issues of public importance, the way you gave the chance to all of us to raise issues of public policies as also grievances qua their constituencies as also gave your valuable advice to us on energy conservation only this morning. Sir, this does indeed make this Session even more memorable. स्पीकर सर, आपने जो नई परम्पराएं कायम की हैं तीन-तीन बार एक-एक सदस्य को समय देकर, सत्र के अन्दर प्राईवेट मैम्बर डे रख कर, रैजोल्यूशन पर चर्चा करवा कर बजट पर बहुत लम्बी चर्चा करवा कर तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लम्बी चर्चा करवा कर, डिमांडज पर एक पूरा दिन सिटिंग करवा कर, you have upheld the hightest traditions of parliamentary democracy by this. We all thank you for this as also the staff and other officers/ officials of the Haryana Legislative Assembly, who provided us the requisite support, all the documents and all the necessary help to all the members at the relevant time.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned sine-die.

*14.37 Hrs. (The Sabha then *adjourned sine-die.)

44446—H.V.S.—H.G.P., Chd.